रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224760
CG-DL-E-28012021-224760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
No. 39] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जाँच परिणाम

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2021

मामला सं. एडीडी (ओ.आई) 34/2019

विषय : यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच।

फा. सं. 6/43/2019-डीजीटीआर.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमि. (जिसे यहां "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसरण में यूरोपीय संघ (ईयू), सउदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) (जिन्हें यहां ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) से टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट, (जिसे आगे ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' अथवा ''संबद्ध वस्तु'' कहा गया है) के आयातों संबंधी पाटनरोधी जाँच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 31 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. ओ आई 6/43/2019-डीजीटीआर के जरिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जाँच की शुरूआत की गई ताकि संबद्ध देशों की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकारी ने इस अधिनियम और नियमावली पर विचार करते हुए अंतरिम शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त माना और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 4 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/43/2019-डीजीटीआर के संदर्भ में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किए। तद्नुसार केन्द्र सरकार ने दिनांक 2 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 43/2020-सीमा शुल्क के संदर्भ में चीनी ताइपेई, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से टोल्यूइने डी-आइसोकाइनेट के आयातों पर छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया।

ख. प्रक्रिया

4. इस जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच की शुरूआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों/क्षेत्रों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 जनवरी, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग को उपलब्ध सूचना के अनुसार भेजी थी । हितबद्ध पक्षकारों को विहित समय सीमा के भीतर निर्धारित तरीके और ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने और लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।

घ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवदेन के अगोपनीय अंश की प्रति उपलब्ध करायी थी।

ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थीं :

i. मै० सादरा केमिकल कंपनी

ii. मै० बीएएसएफ एसई

iii. मै० बीएएसएफ स्क्वारजाइड जीएमबीएच

iv. मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी, जर्मनी, ई यू

v. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, ई यू

vi मै० नान या प्लास्टिक्स, चीनी ताइपेई

vii. मै० पोलिकेम कंपनी, चीनी ताइपेई

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :

i. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, ई यू

ii. मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी, जर्मनी, ई यू

iii. मै० कावेस्ट्रो (हांगकांग) लि०

iv. मै० सादरा केमिकल कंपनी, सउदी अरब

v. मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० (दुबई ब्रांच)

vi मै० डो सउदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी वी, नीदरलैंड

vii. मै० डो केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा० लि०, सिंगापुर

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं ।

i. मै० शीला फोम लि०

ii. मै० तिरुपति फोम लि०

iii. मै० कुरलोन लि०

iv. मै० स्प्रिंगवेल मैट्रेसेज प्रा० लि०

v. मै० सनराइज फोम प्रोडक्ट प्रा० लि०

vi मै० एम एच पोलिमर्स प्रा० लि०

vii. मै० प्यारे लाल फोम (साउथ) प्रा० लि०

viii. मै० जिंदल पेट्रो फोम प्रा० लि०

ix. मै० अलाइड फोम प्रा० लि०

x. मै० फैंसी फोम प्रा० लि०

xi. मै० हिन्दुस्तान पोलि फोम्स प्रा० लि०

xii. मै० श्री मलानी फोम्स प्रा० लि०

xiii. मै० प्राइम कम्फार्ट्स प्रोडक्ट प्रा० लि०

xiv. मै० आदी पोलिमर्स प्रा० लि०

xv. मै० स्प्रिंगफील पोलियूरेथीन्स फोम्स प्रा० लि०

xvi. इंडियन पोलियूरेथीन एसोसिएशन

झ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों / प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

i. मै० कावेस्ट्रो (इंडिया) प्रा० लि०

ii. मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि०

iii. मै० वानहुआ इंटरनेशनल इंडिया प्रा० लि०

iv. मै० शीला फोम लि०

ञ. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए हैं/पंजीकृत किए हैं:

i. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, ई यू

ii. मै० कावेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

iii. मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० (दुबई ब्रांच)

iv. मै० डो सउदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी वी,

v. मै० सादरा केमिकल कंपनी, सउदी अरब

vi मै० इंडियन पोलियूरेथाने एसोसिएशन

vii. मै० बीएएसएफ एसई

viii. मै. डेसिम इंटरनेशनल

ट. इसके अतिरिक्त, सउदी अरब किंगडम से विदेश व्यापार महाप्राधिकारी और ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र ने अनुरोध प्रस्तुत किए है।

ठ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर हितबद्ध पक्षकारों को उत्तर प्रस्तुत के लिए समय विस्तार मंजूर किया। पहला समय 27 मार्च, 2020 तक बढ़ाई गई थी उसके बाद 10 अप्रैल, 2020 तक और उसके बाद 21 अप्रैल, 2020 अंतिम समय विस्तार मंजूर किया गया था।

ड. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के जरिए एक ई फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराया ।

ढ. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जाँच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयात के सौदा वार ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना के लिए और सौदों की आवश्यक जाँच के पश्चात विश्लेषण हेतु डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ण. सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और उसे बेचने के लिए तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना उस सीमा तक मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षेकारारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे वर्तमान जाँच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया था।

थ. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2016-17, 2017-18, 2018-19 की जाँच अवधि पर विचार किया गया है।

द. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं।

ध. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जाँच प्रक्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जाँच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्राथमिक जाँच परिणाम रिकार्ड किए हैं।

न. प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच में साक्ष्यों के समर्थित तथा संगत मानी गई सीमा तक इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और दी गई सूचना पर विचार किया है।

प. प्राधिकारी ने दिनांक 4 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 6/43/2019-डीजीटीआर के संदर्भ में प्रारंभिक जाँच परिणाम जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जाँच परिणामों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया गया था।

फ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 9 नवंबर, 2020 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें। पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे अपने अगोपनीय अनुरोधों को अन्य पक्षकारों के साथ साझा करें ताकि वे अपने खंडन संबंधी तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।

ब. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से सूचना उस सीमा तक मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया था। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षेकारारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे वर्तमान जाँच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया था।

भ. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, एक प्रकटन विवरण जिसमें इस जाँच में सभी आवश्यक तत्व निहित हैं, जो वर्तमान जाँच परिणाम का आधार बनता है, दिनिंक 20 जनवरी, 20121 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात् विवरण अनुरोधों पर उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे इस अंतिम जाँच परिणामों में संगत पाया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात् अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व मे किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात् अनुरोधों की जाँच उस सीमा तक इस अंतिम जाँच परिणाम में की जा रही है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया।

म. इस अंतिम जाँच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना दर्शाता है।

य. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जाँच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 70.73 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जाँच की शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:-

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट" (टीडीआई) है जिसमें आइसोमर्स की मात्रा 80:20 के अनुपात में होती है। टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट CH3C6H3 (NCO)2 फार्मूले सहित एक आर्गेनिक यौगिक है। छह संभव आइसोमर्स के दो आइसोमर्स व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएएस: 91-08-7) । 2,4 – टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित किए जाते हैं, किंतु टीडीआई का प्राय: क्रमश: 2,4 और 2, 6 आइसोमर्स के क्रमश: 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है । वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से संबंधित है । अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं ।

इस उत्पाद को कोड 2929 10 20 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

i. विचाराधीन उत्पाद टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट या जिसे टी डी आई भी कहा जाता है जो सीएच3सी6एच3 (एनसीओ)2 के वाला एक आर्गेनिक यौगिक है। वर्तमान जाँच 80:20 के अनुपात में आइसोमर मात्रा वाले टी डी आई तक सीमित है।

ii. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग फ्लेक्सिबल पोलियूरेथीन फोम, गद्दों और तकियों और रजाइयों में होता है।

iii. इस उत्पाद का इस अधिनियम के सीमा शुल्क शीर्षक 2929 10 20 के अधीन आयात किया जाता है।

iv. आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद में कोई अंतर नहीं है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

8. पी यू सी संबंधित मुद्दों के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच और समाधान किया गया है।

9. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट (टी डी आई) है जिसमें आइसोमर की मात्रा 80:20 के अनुपात में है। वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा (80:20) के अनुपात में आइसोमर मात्रा वाले टी डी आई तक सीमित हैं और सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग फ्लेक्सिबल पोलियूरेथीन फोम, गद्दों, तकियों ,रजाइयों आदि में किया जाता है।

10. प्राधिकारी ने पीयूसी पर निम्नानुसार विचार किया है :

"*वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद ''टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट'' (टीडीआई) है जिसमें आइसोमर्स की मात्रा 80:20 के अनुपात में होती है। टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) CH3C6H3 (NCO)2 फार्मूले सहित एक आर्गेनिक यौगिक है। छह संभव आइसोमर्स के दो आइसोमर्स व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएएस: 91-08-7) । 2,4 – टीडीआई शुद्ध अवस्था में उत्पादित किए जाते हैं, किंतु टीडीआई का प्राय: क्रमश: 2,4 और 2, 6 आइसोमर्स के क्रमश: 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है । वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (80:20) के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टीडीआई से संबंधित है । अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं ।*

11. विचाराधीन उत्पाद को एचएस कोड 2929 10 20 के तहत अध्याय शीर्ष 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है ।

12. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित पी यू सी भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य, प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण तथा विपणन और वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। अंतिम उत्पाद में तुलनीय विनिर्देशन है और इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातित और घरेल रूप से बेचा गया उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और उपभोक्ता इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह करते हैं। इस प्रकार प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति

घ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए है:

i. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक है।

ii. आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं है।

iii. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षा को पूरा करता है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के संबंध में किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. इस नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

16. यह नोट किया जाता है कि आवेदन मै० गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स लि० दायर किया गया है भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक या भारत में आयातक से संबंधित नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति की अपेक्षा को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. कोवेस्ट्रो डचलैंड एजी और सादारा केमिकल ने दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 की आवश्यकताओं के अनुपालन में सूचना प्रकट नहीं की है।

ii. मालिक के नामों, उत्पादन किए गए उत्पादों की सूचियां, उत्पाद का विनिर्देश, उत्पाद ब्रोसर और संबद्ध कंपनी की सूची के संबंध में सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलबध है लेकिन उसके बारे में बोरसोड द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। इसके अलावा, इसने दावा किया है कि ब्रोसर और विनिमय दरों को प्रकट करना कंपनी के व्यापारिक हितों को "अपूरणीय क्षति" पहुंचाने के बराबर होगा। आवेदक यह समझने में सक्षम नहीं हैं कि इतनी अपूरणीय क्षति उत्पाद के ब्रोसर अथवा विनिमय दर को भी प्रकट करने पर पहुंचाई जा सकती है।

iii. मै. केडजियरजिन-कोजले, जो बोरसोड का संबंधित पक्षकार है, संबद्ध वस्तुओं अर्थात टोलुऐन के लिए कच्चे माल के उत्पादन में लगा हुआ है और बिजली और पानी जैसे संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने लिए अपेक्षित यूटिलिटी द्वारा इसे कैप्टिव रूप से उत्पादन किया जाता है। हालांकि, कैप्टिव रूप से उत्पादन किए गए इनपुट्स के बारे में सूचना और पूर्ण से अंतरण का आधार दर्शाने वाला साक्ष्य गोपनीय रखा गया है।

iv. आवेदक ने मै. बोरसोडकेमजेडआरटी और मै. कोवेस्ट्रो डचलैंड एजी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में विस्तृत अनुरोध किए हैं।

ड. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार हैं:

i. बोरसोड निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 सहित लागू व्यापार सूचनाओं के अनुपालन में और निर्धारित प्रपत्र में है।

ii. मै. कोवेस्ट्रो डचलैंड एजी ऐंड कोवेस्ट्रो (हांग कांग) लि. ने निर्धारित प्रपत्र में उत्पादक और निर्यातक की प्रश्नावली में पूर्ण सूचना दी है।

iii. सादारा केमिकल कं., डॉ मार्केटिंग और डॉ सिसंगापुर ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

iv. घरेलू उद्योग का सादारा केमिकल द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में दावा गलत है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

19. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल के रूप में सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था।

20. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

21 जहां तक सूचना की गोपनीयता के संबंध में तर्को का संबंध है, यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रुपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। आयातों, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन, मापदंडों और क्षति मापदंडों संबंधी सूचना को सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया । परिपाटी के अनुसार व्यापार संवेदनशील सूचना को गोपनीय रखा गया है।

च. विविध अनुरोध

च.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्तमान याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी यह देखा जाता है कि जनवरी, 2019 तक इस उत्पाद का कोई पाटन नहीं था। अत: जाँच अवधि मार्च, 2019 से पहले शुरू नहीं हो सकती थी। जहां तक अक्टूबर-दिसंबर, 2019 की अवधि का संबंध है उसे इस कारण से नहीं जोड़ा जा सकता था कि याचिका 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई और उस अवधि के लिए वित्तीय परिणाम 11 फरवरी, 2020 को ही घोषित हुए थे। इस प्रकार आवेदक ने वर्तमान प्रयोजनों के लिए सही अवधि का चयन किया है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने यह माना है कि वार्षिकीकृत आंकड़ों का अर्थ है कि आवेदकों ने बाद की अवधि के लिए आंकड़ों को शामिल कर लिया है। आवेदकों ने बाद की अवधि के किसी भी आंकड़े को शामिल नहीं किया है। इसके विपरीत आवेदकों ने जाँच अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है और विभिन्न अवधि के पूर्ववर्ती आंकड़ों की तुलना के लिए तुलना से पूर्व जाँच अवधि के आंकड़ों को समान मंच पर लाना उचित समझा गया है। केवल इसी प्रयोजनार्थ आवेदकों ने जाँच अवधि के आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया है और बाद में पूर्ववर्ती वर्ष आंकड़ों के साथ उसकी तुलना की है।

iii. जहां कहीं भी वार्षिकीकृत आधार पर आंकड़े 6 महीने के आंकड़ों से अलग हैं आवेदक ने आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया है। पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में तथ्य यह है कि एक अवधि 12 महीने की है और दूसरी अवधि 6 महीने की होने का यह अर्थ नहीं है कि उस अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण अनुचित है। आंकड़ों के विश्लेषण के समय इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दो अवधियों के आंकड़े समान समय के नहीं होती हैं और निष्कर्ष निकालते समय उन पर उचित ढंग से ध्यान देना चाहिए कि मापदंड में विकृति और सुधार हुआ है।

iv. इस प्रकार इसका केवल यह अर्थ है कि विश्लेषण में दो अवधियों के विभिन्न समय के तथ्य पर विचार करना अपेक्षित है। आवेदक ने सुविधा के लिए एक पद्धति अपनाई है इसमें आवेदक ने आंकड़ों को वार्षिककृत किया है और तत्पश्चात तुलना की है। यदि आंकड़ों को वार्षिकीकृत नहीं किया जाता और यथा रूप में लिया जाता तो भी पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना के समय प्राधिकारी को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि दो अवधियों की लंबाई अलग-अलग है और इसलिए आंकड़ों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती है ।

v. आवेदक के पास जाँच अवधि में कोई आबद्ध बिक्री नहीं है और उससे पहले भी वह बिल्कुल नगण्य थी। अत: आबद्ध बिक्री की मात्रा मूल्य और प्राप्ति संबंधी सूचना वर्तमान मामले में निष्कर्ष योग्य नहीं है।

vi. आवेदन के अगोपनीय अंश में प्रकट किए गए सामान्य मूल्य के ब्यौरे डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार पर्याप्त हैं। इसके अलावा, आवेदक ने विचाराधीन से संबंधित आर एंड टी खाते में किसी खर्च का दावा नहीं किया है और विचाराधीन उत्पाद की कोई खरीद नहीं की है। अत: सूचना नहीं दी गई है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि आवेदक ने वर्तमान मामले से संगत ऐसी समस्त सूचना प्रस्तुत की है।

vii. जून, 2017 में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क केवल अंतरिम शुल्क था। जनवरी, 2018 में निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था। किसी भी तरह से चाहे जून, 2017 याजनवरी, 2018 को शुल्क के लिए संगत तारीख समझा जाए,आवेदन में तर्क समान रहेगा।

viii. आवेदक ने आवेदन में छह महीने की जाँच की अवधि का प्रस्ताव किया था क्योंकि संबद्ध देशों से आयात की कीमतों में लघु अवधि में बहुत तेजी से गिरावट आई है; जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में बहुत अधिक गिरावट आई। छह महीने की जाँच की अवधि प्राधिकारी की पिछली कार्य-पद्धति के अनुरूप है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी अब तक इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि क्यों छह महीने की जाँच की अवधि उपयुक्त नहीं है।

ix. जनवरी, 2019 तक इस उत्पाद का पाटन नहीं हुआ था। इस कारण से, जाँच की अवधि मार्च, 2019 के पहले शुरु नहीं हो सकती थी।

x. शेयर धारकों के नाम तथा सादारा के अनुसंधान और विकास के संबंध में अन्य कंपनी के साथ संबद्धता के संबंध में सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन इसे गोपनीय के रूप में दावा किया गया है।

xi. दोनों उत्पादक सादारा और बोरसोड ने अनुसंधान और विकास के संबंध में किसी अन्य कंपनी के पास वित्तीय अथवा संविदागत संपर्कों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में सूचना छुपाई है।

xii. कोवेस्ट्रो संबंधित पक्षकार से खरीदे गए अथवा कैप्टिव रूप से उत्पादन किए गए कच्चे माल के बारे में प्रश्न के उत्तर में कोवेस्ट्रो ने यह कहा है कि वह लागू नहीं है। हालांकि, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल का उसी संयंत्र में कैप्टिव रूप से उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा, यह इस तथ्य को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि कच्चे माल के लिए मानी गई कीमत सही बाजार कीमत को दर्शाता है।

xiii. चूंकि सादारा ने प्रश्नावली का त्रुटिपूर्ण उत्तर प्रस्तुत किया है, अत: प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों को लागू करना चाहिए।

xiv. आवेदक के व्यापार प्रचालनों की निरंतरता के संबंध में कोई खतरा नहीं है और यदि वैसी स्थिति हुई होती तब निदेश बोर्ड और लेखा परीक्षक को इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट में अलग से बताना चाहिए था।

xv. घरेलू उद्योग ने देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए बहुत अधिक निवेश किया और यह वर्तमान में घाटे के साथ कार्य कर रहा है। पाटनरोधी शुल्क आयातों को हतोत्साहित नहीं करेगा लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि ये आयात उचित कीमतों पर हुए हैं और इनसे भारतीय उद्योग को हानि नहीं हो रही है।

xvi. आवेदक दृढ़तापूर्वक जाँच की ऐसी विलंबित चरण में भारतीय पेलिथेरिन एसोसिएशन का खंडन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हितबद्ध पक्षकारों की सूची कहीं भी उपलब्ध पक्षकार के रूप में आईपीयूए के बारे में नहीं बताता है।

xvii. आवेदक ने प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माने जाने के लिए अपनी विश्वसनीयता नहीं दर्शाई है। इसने सिद्ध नहीं किया है कि इसे वर्तमान जाँच में अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए पीयूसी के इसके सदस्य/उपभोक्ताओं द्वारा विधिवत् अधिकार दिया गया है।

xviii. एसोसिएशन एमएसएमई क्षेत्र के प्रयोक्ताओं और आयातकों के बारे में शोर मचा रहा है लेकिन किसी भी प्रयोक्ता ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है। यदि प्रयोक्ता उद्योग ने भाग लिया होता तब यह प्राधिकारी को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई होती जो शुल्कों के प्रभाव का निर्धारण करने में सहायक हो सकता था।

xix. न तो आवेदक ने अपवर्जन का दावा किया है और न ही प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों में जाँच के विश्लेषण के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष से छह महीने के आंकड़ों को बाहर रखा है। यह आरोप कि छह महीने के आंकड़े को घरेलू उद्योग द्वारा बाहर रखा गया है और इस प्रकार वर्तमान जाँच के उद्देश्य से उसकी कोई संगतता नहीं है।

xx. यह प्रतीत होता है कि हितबद्ध पक्षकार ने यह समझा है कि शुल्क लगाने के लिए तंत्र बच्चों का खेल है। वास्तव में आवेदक घरेलू उद्योग समय लगने वाले विस्तृत प्रक्रिया से गुजर रहा है। घरेलू उद्योग को उपयुक्त शुल्क लगाने की मांग करने के पहले भी क्षति हुई।

च.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. डीजीटीआर ने 6 महीने की जाँच अवधि अपनाने का कोई औचित्य नहीं बताया है जिसे प्रचालन प्रक्रिया नियम पुस्तिका के अनुसार बताया जाना अपेक्षित था। प्राधिकारी अधिकांश मामलों में जाँच की अवधि के रूप में बारह महीने की अवधि लेते हैं। मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की नियम पुस्तिका और डब्ल्यूटीओ की पाटनरोधी समिति की सिफारिश के अनुसार, जाँच की अवधि में सामान्य तौर पर बारह महीने की अवधि शामिल होनी चाहिए और जाँच की अवधि के रूप में उससे कम की अवधि को अपवाद के रूप में ही माना जा सकता है। छह महीने की जाँच की अवधि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का वस्तुपरक विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त और उचित नहीं है।

ii. मैक्सिको में डब्ल्यूटीओ के पैनल ने बीफ और राइस(डीएस295) पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के मामले में यह माना कि जाँच की अवधि के प्रत्येक वर्ष से छह महीने के आंकड़ों के अपवर्जन के द्वारा जाँच करने वाले प्राधिकारी का क्षति विश्लेषण पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 के अनुरूप नहीं है।

iii. छह महीने की अवधि केवल आधी तस्वीर प्रस्तुत करती है और यह उस समयावधि पर विचार नहीं करती है जिसमें घरेलू उद्योग बेहतर कर सकता था।

iv. क्षति के लिए अधिकांश कारकों की जाँच करने के उद्देश्य से, आवेदक ने बिना किसी औचित्य के जाँच की अवधि के लिए वार्षिकीकृत आंकड़ों का उपयोग किया है। आयात मात्राओं के वार्षिकीकरण के कारण, चीनी ताइपेई द्वारा भारत को किए गए निर्यातों की मात्रा को बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है।

v. आवेदक ने याचिका में क्षति के विभिन्न कारकों की जाँच में पी आई ओ तथा पीओआई- ए के बीच बदलाव किया है जिससे वस्तुनिष्ठ जाँच नहीं हो सकती है और करार के अनुच्छे 3.1 (iv) द्वारा यथा अपेक्षित विश्लेषण का पर्याप्त आधार नहीं है।

vi. जाँच 6 महीने की अवधि के साथ 12 महीने की अन्य अवधियों की तुलना में विसंगति है तो वस्तुनिष्ठ जाँच करने के दायित्व का अनुपालन नहीं करती है।

vii. जाँच अवधि के पहचान की असंगत पद्धति से डीजीटीआर करार के अनुच्छेद 5.3 के अनुपालन में याचिका की सटीकता और पर्याप्तता की जाँच करने में विफल रहे हैं।

viii. आवेदक ने 6 महीने के लिए वास्तविक आयात दर्शाया है और कोई औचित्य बताए बिना वार्षिकीकृत जाँच अवधि को 6 महीने की आयात मात्रा हेतु अपनाया है। इंडिया-आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट सेफगार्ड में अपीलीय निकाय ने भारतीय प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना के लिए वार्षिककृत आंकड़ों को अपनाए जाने की पद्धति पर स्पष्टीकरण मांगा है।

ix. सामान्य मूल्य, आबद्ध बिक्री मात्रा, आबद्ध बिक्री मूल्य, आबद्ध बिक्री प्राप्ति, आर एंड डी व्यय, जुटाई गई निधि, पी यू सी की खरीद मात्रा और एन आई पी गणनाओं को दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार नहीं दिया गया है और कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इससे करार के अनुच्छेद 5.2, 6.2, 6.5.1, और 6.8 का उल्लंघन होता है।

x. याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और जापान से आयातों पर एडीडी लगाने के बारे में गलत और भ्रामक सूचना दी है। ये शुल्क याचिका में बताए गए जनवरी, 2018 के बजाय 5 जून, 2017 से लगाए थे।

xi. अंतिम प्रयोक्ता उद्योग शुल्क-भार उपभोक्तओं पर नहीं डाल सकता है और इस कारण से इसे बहुत अधिक हानि हो रही है। शुल्क लगाने के फलस्वरूप काफी संख्या में लघु फोमीन इकाईयां बंद हो जाएंगी। लागू समीक्षा तंत्र इतनी लंबी है और उसमें इतना समय लगता है कि अंतिम प्रयोक्ता उद्योग को हानि होती रहती है।

xii. आयातक/प्रयोक्ता एमएसएमई क्षेत्र से हैं जो सैकड़ों/हजारों कार्यबल को रोजगार देता है और जहां तक संगठित क्षेत्र का प्रश्न है, वह बहुत अधिक अनुपात में रोजगार सृजित करता है।

xiii. कोवेस्ट्रो इंडिया ने अंकलेश्वर में पोलिआइसोक्राइनेटक्रोसलिंकर्स के उत्पादन संयंत्र में लगभग 150 करोड़ भारतीय रुपए का निवेश किया है, जिसके लिए कच्चा माल टीडीआई है। यूरोपीय यूनियन से टीडीआई के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ, उत्पादन संयंत्र गैर-अर्थक्षम हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम उद्योग को अपूरणीय क्षति होगी।

xiv. कंपनी की संवाहनीयता को दूरसंचार विभाग(डीओटी) द्वारा जारी किए गए 15,019.97 करोड़ रुपए की मांग नोटिस द्वारा चुनौती दी गई है।

xv. संबद्ध वस्तुओं की कीमत परिवर्तनशील प्रकृति की है और कीमत में वृद्धि आमतौर पर भारतीय वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि होती है। वर्तमान कीमत जाँच की अवधि के दौरान उस कीमत से दुगुनी है।

xvi. घरेलू उद्योग को निदेश दिया जाना चाहिए कि वह लेन-देनवार आंकड़े उपलब्ध कराए।

xvii. यह जाँच 31 जनवरी, 2020 को शुरु की गई थी और दिसंब, 2019 तक डीजीसीआईऐंडएस के आंकड़े उपलब्ध रहे होते। अक्तूबर से दिसंबर तक के आंकड़े जोड़े जा सकते थे। यदि सितंबर, 2019 तक की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध होते तब प्राधिकारी जाँच की अवधि के रूप में पिछले बारह महीने पर विचार कर सकते थे।

xviii. घरेलू उद्योग ने जाँच की अवधि के बाद बढ़ी हुई क्षति का दावा किया है। अत: जाँच की अवधि को छह महीने तक बढ़ाना उपयुक्त है।

xix. सादारा के आरऐंडडी का संविदा करार एक व्यापार प्रोपराईटरी व्यवस्था है और उसे एक्जिबिट ए-7 में प्रस्तुत किया गया है।

xx. सादारा के शेयर धारकों के संबंध में सूचना एक व्यापार प्रोपराईटरी सूचना है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है।

xxi. सादारा ने आरऐंडडी खर्च नहीं किया है क्योंकि इसका "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण", "प्रौद्योगिकी लाइसेंस" और "तकनीकी सेवा" के लिए व्यवस्था है जिसका ब्यौरा प्राधिकारी को दिया गया है। सादारा ने जेएमसी को कोई अंशदान नहीं किया है।

xxii. यूनिवर्सिटी ऑफ मिसकोल के साथ अनुसंधान और विकास सहयोग व्यवस्था का विचाराधीन उत्पाद से कोई लेना-देना नहीं है और इस कारण से बोरसोड ने इसे साझा किया है।

xxiii. गुआटेमाला में – मैक्सिको से ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट पर निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में अपीलीय निकाय ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर जाँच की अवधि के विस्तार की अनुमति दी।

xxiv. प्लैट्स रिपोर्ट में यथा प्रकायशित टोलुऐन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के गोपनीय के रूप में दावा किया गया है लेकिन वह सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। इसके अलावा, उत्पादन और क्षमता सार्वजनिक क्षेत्र में उपलबध है लेकिन उसके बारे में दावा किया गया है।

xxv. यूरोपीय सुमदायों में – ब्राजील से मेलिएबल कास्ट ऑयरन ट्यूब अथवा पाइप फीटिंग्स पर पाटनरोधी शुल्क में यह माना गया था कि जाँच की अवधि इतनी लंबी अवश्य होनी चाहिए जिससे कि जाँच प्राधिकारी बाजार अस्थिरताओं के अध्यधीन संभावित रूप से कम पाटन निर्धारण करने के लिए अनुमति दे सकें।

xxvi. इस नियमावली का संशोधन जाँच की शुरुआत के बाद जारी किया गया था और वे वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे।

xxvii. वान्हुआ इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि. ने प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित नहीं किया है।

xxviii. संबद्ध वस्तु का घरेलू उद्योग के उत्पादन में जाँच की अवधि में 21 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और उसके लिए किसी अतिरिक्त क्षमता स्थापित नहीं कील गई है।

xix. कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं होने के बावजूद वेतन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

xxx. जाँच की अवधि के दौरान सऊदी अरब से आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि हुई है।

xxxi. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे अन्य अंतरनिहित कारकों के कारण आवेदक को क्षति से अपवर्जन करें।

xxxii. प्राधिकारी को सिंगापुर सहित गैर-संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को अलग-अलग करना चाहिए और उसकी पहचान करनी चाहिए।

xxxiii. पिछले वित्तीय वर्षों में बारह महीने को शामिल करते हुए इन अवधियों से छह महीने के जाँच करने की अवधि की तुलना करने में कोई तालमेल नहीं है।

xxxiv. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पिछले छह महीने (2019-20) में आयातों की अनुमानित मात्रा दर्शाता है जो आवेदन में सूचना की सटीकता पर संदेह उत्पन्न करता है।

xxxv. आवेदक 2016-17 की तुलना 2017-18 से कर आयातों की वृद्धि का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि इन अवधियों की तुलना करना वस्तुनिष्ठ तरीके से सऊदी निर्यातक की सामान्य व्यापारिक मात्राओं को नहीं दर्शाता है।

xxxvi. कोविड संकट ने एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव डाला है। श्रम, नकदी का प्रवाह और मंदी इस उद्योग को हानि पहुंचा रहे हैं। इस कारण से, कोई अतिरिक्त दंड लगाने से अधिकांश फौमिन इकाईयों की अर्थक्षमता को भारी चोट पहुंचाएगा।

xxxvii. क्षति चीनी ताइपेई से आयातों के द्वारा नहीं होती है क्योंकि चीनी ताईपेई भारत में टीडीआई के कुल आयातों का 6.5 प्रतिशत है और इस कारण से कुल मांग में बहुत कम है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

24. 6 महीने की जाँच अवधि के चयन पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि 6 महीने की जाँच अवधि अपनाया जाना नियमों से असंगत नहीं है। घरेलू उद्योग ने अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 (6 महीने) को जाँच अवधि (पी ओ आई) माने जाने की आवश्यकता को सत्य सिद्ध किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होकर उसे स्वीकार किया। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले में 6 महीने की पी ओ आई उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से आयात कीमतों में अप्रैल-सितंबर, 2019 में तेजी से गिरावट आयी थी। वर्तमान मामले में आवेदन 27 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी और इसलिए जाँच शुरूआत के समय सितंबर, 2019 के बाद की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

25. पाटनरोधी जाँच का प्रयोजन इस बात की जाँच करना है कि क्या उत्पाद का पाटन हुआ है और क्या ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में चयनित पी ओ आई जाँच शुरूआत के समय विधिक स्थिति तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से संगत है। यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 9/2020-सीमा शुल्क द्वारा संशोधन किया गया है जिसमें नियम 2(घक) और नियम 22 का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करके अंत: स्थापित किया गया है।

'' जाँच की अवधि होगी :-

(i) जाँच की शुरूआत की तारीख के अनुसार 6 महीने से अधिक पहले की नहीं होगी।

(ii) 12 महीने की अवधि होगी और लिखित में रिकार्ड किए गए कारणों से निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 महीने या अधिकतम 18 महीने की अवधि पर विचार कर सकते हैं''।

26. यह नोट किया गया है कि उक्त संशोधन वर्तमान जाँच की शुरूआत के बाद किया गया है फिर भी आवेदक द्वारा ऊपर यथा उल्लिखित अप्रैल से सितंबर, 2019 की जाँच की अवधि के रूप में चयन के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त औचित्य पर विधिवत रूप से विचार किया है।

27. इस दलील के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ आंकड़ों को वार्षिककृत किया है और जाँच हेतु पी ओ आई तथा पी ओ आई – ए के बीच बदलाव किया है, यह देखा गया है कि आंकड़ों को वार्षिककृत एक वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के साथ समान स्तर पर उनकी तुलना के लिए किया गया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि आवेदक ने केवल उन्हीं मामलों में आंकड़ों को वार्षिककृत किया है जिनमें वार्षिककृत आधार 6 महीने से अलग हो सकता था। आवेदक द्वारा अपनाई गई पद्धति प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार है।

28. यह नोट किया जाता है कि प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 5 जून, 2017 को चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य से संबंध वस्तुओं के आयातों पर लगाया गया था और अंतिम शुल्क 23 जनवरी, 2018 को लगाया गया था।

29. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणाम में पहले ही इस पर ध्यान दिया है कि छह महीने की जाँच की अवधि वर्तमान जाँच के लिए उपयुक्त है। जहां तक अप्रैल, 2019 से पूर्व की अवधि के लिए आंकड़ों पर विचार करने का प्रश्न है, आवेदक ने इस अवधि के लिए आंकड़े उपलबध कराए थे। यह देखा जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई पाटन नहीं हुआ था और इस कारण से जाँच की अवधि अप्रैल, 2019 से पहले शुरू नहीं हो सकती थी। इसके

अलावा, जाँच की शुरुआत के समय, दिसंबर, 2019 की अवधि तक डीजीसीआईऐंडएस के आंकड़े उपलबध नहीं थे क्योंकि डीजीसीआईऐंडएस दो महीने बीत जाने के बाद लेनदेन-वार आयात आंकड़े जारी करता है। दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंड भी कम से कम दो महीने के बाद उपलब्ध हुआ होता। इस कारण से, प्राधिकारी जाँच की अवधि में एक अन्य तिमाही को नहीं जोड़ सकते थे। छह महीने की जाँच की अवधि के लिए पर्याप्त औचित्य है। हालांकि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई नया औचित्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि छह महीने के जाँच की अवधि वर्तमान जाँच में पर्याप्त नहीं है।

30. यह अनुरोध किया गया है कि वस्तुओं की कीमतें परिवर्तनशील प्रकृत्ति की हैं और कीमतें वर्ष की दूसरी छमाही में बढ़ती हैं। आवेदक द्वारा दिए गए आंकड़ों से यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतें जाँच की अवधि के बाद की अवधि में भी गिरती रहीं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि कीमत में संचलन परिवर्तनशील हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने प्रारंभिक जाँच परिणामों में पहले ही इस तथ्य की जाँच की है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर हैं।

31. इस अनुरोध के विरुद्ध कि शुल्कों को लगाना जनहित के विरुद्ध होगा और इससे प्रयोक्ता जो एमएसएमई क्षेत्र से हैं, प्रभावित होंगे, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना नहीं है। घरेलू उद्योग वर्तमान जाँच में पाटित आयातों के कारण हानि उठा रहा है। यह शुल्क केवल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि पाटित वस्तु उचित और क्षति रहित कीमत पर हैं। चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, फिर भी सभी तीन देशों से आयात हुए हैं। प्रयोक्ता किसी अन्य स्रोत से आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रयोक्ता नियम 23 के अंतर्गत वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा कर सकते हैं यदि उसे सतत् लगाए रखने के लिए कोई औचित्य नहीं हो।

32. घरेलू उद्योग ने जाँच की शुरुआत के समय प्राधिकारी को नियम के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए थे। हितबद्ध पक्षकार दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना सं. 07/2018 के अनुसार इसे प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

33. इस जाँच में भारतीय पोलिथरेन एसोसिएशन के भाग लेने के संबंध में, प्राधिकारी इसके अनुरोधों से नोट करते हैं कि भारतीय पोलिथरेन एसोसिएशन, भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं के एक वर्ग के हितों को दर्शाता है और उस हद तक एसोसिएशन और इसके सदस्यों के तर्कों पर विचार किया गया है और उस पर ध्यान दिया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं :

i. जर्मन और हंगरी से अन्य ईयू देशों को निर्यात ईयू में उत्पादकों के लिए घरेलू बिक्री कीमत दर्शाते हैं और इसलिए सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ उन पर विचार किया जा सकता है।

ii. डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि०, सादरा केमिकल कंपनी से संबद्ध एक कंपनी है जो सउदी अरब में टी डी आई की एक मात्र उत्पादक है। अत: वह कीमत जिस पर कंपनी ने निर्यात किया है प्रतिपूर्ति व्यवस्थाओं के जुड़े होने के कारण अविश्वसनीय है। इसलिए निर्यात कीमत को उस कीमत के अनुसार परिकलित किया जाए जिस पर भारत में इनका आयात हुआ है और भारत में उत्पाद की बिक्री के लिए पुन: बिक्री कीमत का प्रस्ताव किया गया है। सभी चार देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

iii. भाग लेने वाले सभी तीन उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। संरचित सामान्य मूल्य के अनुसार अन्य दो देशों के लिए पाटन मार्जिन अधिक और सकारात्मक भी है।

iv. कोवेस्ट्रो ने घरेलू बाजार की बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है और यह देखा जा सकता है कि 2018 की तुलना में, जाँच की अवधि में विदेशी यूरोपीय यूनियन बिक्री के लिए प्रति इकाई बिक्री प्राप्ति घटकर 60 प्रतिशत हो गई है लेकिन आंतरिक यूरोपीय यूनियन बिक्री गिरकर मात्र 20

प्रतिशत हो गई है। इस कारण से, प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे संबद्ध वस्तुओं की कीमत में इतना अत्यधिक अंतर के कारणों की जाँच करें।

v. जाँच की अवधि के दौरान इसके घरेलू बाजार में सादारा की बिक्री घाटे पर हुई है।

vi. सादारा ने अनुसंधान और विकास के कारण किसी खर्च का दावा नहीं किया है। हालांकि, सादारा एक नई कंपनी नहीं है और इसे अनुसंधान एवं विकास पर अत्यधिक खर्च करना चाहिए था। इसके अलावा, इसका अनुसंधान केन्द्रों के साथ कोई संबंध था। इस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए उत्पादन की लागत में विचार किया जाना चाहिए।

vii. सादारा ने आउटेज के कारण हुए उच्च निर्धारित लागत के कारण, लागत में समायोजन का दावा किया है। वैसे ही आउटेज की योजना सादारा द्वारा वर्ष 2016 में भी बनाई गई थी, जो यह दर्शाता है कि ऐसा सादारा द्वारा नियमित रूप से किया गया है। बिजली का आउटेज सामान्य व्यापार प्रचालनों का हिस्सा है और इसे किसी आशोधन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि असाधारण खर्च में उत्पादन के लागत की गणना में समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

viii. मूल कंपनी से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर संबंधित आयातक द्वारा उठाई गई हानि के लिए सादारा की पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत में किया गया समायोजन सीमा प्रशुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

ix. यह तथ्य कि संबंधित आयातक की पहुंच कीमत बिक्री कीमत से अधिक है, अपने आप में यह दर्शाता है कि उत्पाद की प्रकृति तथा उसमें निहित संबंध पर विचार करते हुए समायोजन की आवश्यकता वाले निर्यातक और आयातक के बीच क्षति-पूर्ति संबंधी व्यवस्था है। न तो निर्यातक और न ही आयातक ने संबंधित आयातक द्वारा उठाई गई हानि के लिए कोई कारण दिया है।

x. उत्पादन की कम लागत भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के पाटन को सही नहीं ठहराता है। इसके अलावा, पाटन दो बाजारों में कीमत में अंतर है और न कि दो बाजारों में लागत में अंतर है।

xi. यह मान लिया गया है कि कीमत में गिरावट बाजार में वैश्विक अधिक आपूर्ति के कारण है जो पाटन को स्वीकार करता है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

35. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. आवेदक ने सामान्य मूल्य परिकलन द्वारा निर्धारित किया है जिससे इसका कृत्रिम उच्च मूल्य हो गया है। यह तरीका करार के अनुच्छेद 5.2 से असंगत है।

ii. आवेदक को तीसरे देश को सउदी के निर्यात का प्रयोग करके सामान्य मूल्य का दावा करना चाहिए था जैसा उसने यूरोपीय संघ के मामले में किया है।

iii. कोवेस्ट्रो का अपने संबंधित आयातक को निर्यात घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं करता है और इस कारण से असंबंधित ग्राहकों को निर्यात क्षति का मार्जिन का निर्धारण करने के लिए माना जाना चाहिए।

iv. सादारा के मामले में निर्यातक और आयातक के बीच क्षतिपूर्ति संबंधी कोई करार नहीं है। निर्यात कीमत के परिकलन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और पाटन मार्जिन का परिकलन निर्यात कीमत में किसी समायोजन के विरुद्ध किया जाना चाहिए।

v. प्रश्नावली के उत्तरों पर प्राधिकारी द्वारा कोवेस्ट्रो और बोरसोड के मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के उद्देश्य से विश्वास किया जाएगा।

vi. पाटनरोधी के संबंध में डब्ल्यूटीओ के करार और इस नियमावली में इस बात को माना जाता है कि व्यापारिक कंपनी घाटे पर असंबंधित ग्राहक को वस्तुओं की बिक्री करने(विभिन्न कारकों जैसे कीमत में अत्यधिक अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा, मांग और आपूर्ति की स्थिति आदि के कारण) के लिए बाध्य हो सकता है।

vii. डीसीआईपीएल द्वारा आयात किए गए टीडीआई की कीमत का मूल्यांकन और उसकी पुष्टि सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली के अनुसार सीमा शुल्क विशेष मूल्यांकन शाखा ("एसवीबी") किया गया है। प्राधिकारी का इस आंकड़े को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं है।

viii. प्रतिवादी की हानि का समायोजन कर पहुंच मूल्य का परिकलन कार्यालय ज्ञापन सं. 4/15/2018-डीजीटीआर (भाग III) और भारत के सीमा शुल्क कानूनों के प्रतिकूल है।

ix. बिजली का आउटेज असाधारण खर्च के अंतर्गत आता है, उसके कारण समायोजन प्राधिकारी द्वारा सादारा को दिया जाना चाहिए। सादारा द्वारा दावा किए गए उत्पादन की समायोजित लागत प्रश्नावली के टेम्पलेट के अनुसार है और किसी सूचना को छिपाया नहीं गया है।

x. मै. केडजियरजिन-कोजले बोरसोड सहायक कंपनियों में से एक था लेकिन इसे 2017 के अंत में समाप्त कर दिया गया था और यह इससे असंबद्ध रहा है। जाँच की अवधि के दौरान संबंधित पक्षकारों से पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रयोग किए गए किसी इनपुट की खरीद बोरसोड द्वारा बाजार कीमतों पर की गई थी और दस्तावेजी साक्ष्य इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।

xi. आवेदक सादारा के निर्यातक और आयातक के बीच किसी मुआवजा संबंधी व्यवस्था को वैध ठहराने तथा यह दर्शाने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध कराने में विफल रहा है कि निर्यात कीमत अविश्वसनीय है। प्राधिकारी ने मौजूदगी को वैध ठहराने के लिए विश्लेषण नहीं किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

36. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा* :

(*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(*ख*) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत* :

छ.4 संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

क. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी, यूरोपीय संघ

ख. मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी, जर्मनी, यूरोपीय संघ

ग. मै० सादरा केमिकल कंपनी, सउदी अरब

छ.4.1 यूरोपीय संघ

i. मै० कावेस्ट्रोड्यूट्स्चलैंडएजी

38. मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी ("कावेस्ट्रो जर्मनी") एक स्टॉक कारपोरेशन कंपनी है जो जर्मन कंपनी कानून पंजीकृत और स्थापित है। निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है कि कावेस्ट्रो जर्मनी ने घरेलू बाजार में असंबंधित उपभोक्ताओं को सीधे संबद्ध वस्तु बेची है और अपने संबंधित पक्षकारों अर्थात कावेस्ट्रो इंटरनेशनल एस ए (स्विटजरलैंड), कावेस्ट्रो एस आर एल (इटली) और कावेस्ट्रो, एस एल (स्पेन) के जरिए भी इसे

बेचा है। यह भी नोट किया जाता है कि कावेस्ट्रो जर्मनी ने अपनी संबंधित व्यापारिक कंपनी मै० कावेस्ट्रो (हांगकांग) लि० (''कावेस्ट्रो एच के'') के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कावेस्ट्रो एच के ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं और एक संबंधित आयातक मै० कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु बेची है जिसने बाद में भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री की है। कावेस्ट्रो जर्मनी, कावेस्ट्रो इंटरनेशनल एस ए (स्विटजरलैंड), कावेस्ट्रो एस आर एल (इटली), कावेस्ट्रो, एस एल (स्पेन), कावेस्ट्रो एच के और कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० ने विहित प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रदान की है।

सामान्य मूल्य

39. मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी (''कावेस्ट्रो जर्मनी'') ने पी ओ आई के दौरान घरेलू बिक्रियों और संबद्ध वस्तु की बिक्री लागत के ब्यौरे निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए अंकड़ों का डेस्क सत्यापन किया है। पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहक को और अपने संबंधित पक्षकार अर्थात कावेस्ट्रो इंटरनेशनल एस ए (स्विटजरलैंड), कावेस्ट्रो एस आर एल (इटली) और कावेस्ट्रो, एस एल (स्पेन) के जरिए भी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। कावेस्ट्रो जर्मनी ने असंबंधित ग्राहकों को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे संबंधित पक्षकारों को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे और इन संबंधित पक्षकारों से स्वतंत्र ग्राहकों को पुन: बिक्री के ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं। उत्तर से यह नोट किया गया है कि पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने *** संबद्ध वस्तु असंबंधित ग्राहकों को सीधे और अपने संबंधित पक्षकारों को भी घरेलू बाजार में बेची हैं जिसका बीजक मूल्य *** यूरो है। कावेस्ट्रो जर्मनी द्वारा दावा की गई बिक्री लागत को विस्तृत सत्यापन के अधीन जाँच परिणामों से उद्देश्य से सत्यापन और स्वीकार किया गया है। गणना की गई बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकारी ने व्यापार की सामान्य प्रक्रिया (ओसीटी) परीक्षण किया है जो दर्शाता है कि पी ओ आई के दौरान की गई 80 प्रतिशत घरेलू बिक्रियां लाभप्रद थीं । तदनुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु समस्त घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है।

40. कावेस्ट्रो जर्मनी ने माल भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी है और तरद्नुसार कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

41. पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने एक संबंधित व्यापारी अर्थात मै० कावेस्ट्रो (हांगकांग) लि० (''कावेस्ट्रो एच के'') के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान कावेस्ट्रो जर्मनी ने कावेस्ट्रो एच के जरिए *** यूरो बीजक मूल्य पर भारत को *** एम टी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। कावेस्ट्रो एच के ने असंबंधित भारतीय ग्राहकों और संबंधित आयातक मै० कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु बेची है जिसने आगे भारत में असंबंधित ग्राहकों को संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री की है। प्राधिकारी ने स्वतंत्र ग्राहकों को कावेस्ट्रो एच के की बिक्री कीमत की जाचं की है और नोट करते हैं कि कावेस्ट्रो एच के की बिक्री कीमत कावेस्ट्रो एच के द्वारा किए गए समस्त व्यय को कवर करती हैं। मै० कावेस्ट्रो इंडिया प्रा० लि० को किए गए निर्यातों के लिए प्राधिकारी ने उस कीमत पर जिस पर आयातित संबद्ध वस्तु को किसी स्वतंत्र क्रेता को पहली बार पुन: बेचा गया था, पर आधारित निर्यात कीमत की जाँच की है। संबंधित भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उसे पी ओ आई के दौरान आयातित संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री पर पर्याप्त राशि में लाभ अर्जित हुआ है।

42. कावेस्ट्रो जर्मनी ने माल भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया और सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. मै. बोरसोडकेमजेडआरटी

43. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, हंगरी शेयरों द्वारा सीमित एक प्रा० लि० कंपनी है। यह हंगरी के कानून के तहत स्थापित एक सीमित दायित्व कंपनी है। कंपनी ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे और अपनी सहायक कंपनी मै० वानहुआ बोरसोडकेम इटैलिया एस आर एल, इटली के जरिए भी संबद्ध वस्तु की बिक्री की है। यह भी नोट किया जाता है कि मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसने आगे संबद्ध वस्तु को भारत में असंबंधित ग्राहकों को पुन: बेचा है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी, मै० वानहुआ केम इटैलिया एसआरएल, मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० ने विहित प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रदान की है।

सामान्य मूल्य

44. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने पी ओ आई के दौरान संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों और बिक्री लागत प्रस्तुत करते हुए निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को सीधे और अपनी सहायक कंपनियों मै० वानहुआ बोरसोडकेम इटैलिया एस आर एल, इटली के जरिए भी संबद्ध वस्तु बेची है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने असंबंधित ग्राहकों को घरेलू बाजार में की गई बिक्रियों के ब्यौरे, अपने संबंधित पक्षकार को घरेल बाजार में की गई बिक्रयों के ब्यौरे और स्वतंत्र ग्राहकों को संबंधित पक्षकार की पुन: बिक्री कीमत के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी द्वारा दावा की गई बिक्री लागत का सत्यापन किया गया है और प्राधिकारी ने व्यापार (ओसीटी) जाँच की सामान्य प्रक्रिया का का पालन किया है जो यह दर्शाता है कि जाँच की अवधि के दौरान की गई गई घरेलू बिक्री का 80 प्रतिशत से अधिक लाभप्रद था। तद्नुसार, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सभी घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने असंबधित उपभोक्ताओं को सीधे तथा अपनी सहायक कंपनी मै० वानहुआ बोरसोडकेम इटैलिया एस आर एल के जरिए भी घरेलू बाजार में *** यूरो प्रति एम टी की औसत बीजक कीमत पर *** एम टी संबद्ध वस्तु को बेचा है।

45. मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत और अन्य संबंधित व्ययों पर समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने दावे के अनुसार समायोजनों की अनुमति दी है और तद्नुसार कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है इस प्रकार निर्धारित कारखानाद्वार सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

46. पीओआई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने भारतीय सहायक कंपनी मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है जिसने आगे भारत में असंबधित उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री की है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी और मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० ने अपेक्षित प्रपत्र में संगत सूचना प्रदान की है। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि पी ओ आई के दौरान मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने अपने भारतीय सहायक कंपनी मै० वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा० लि० को *** यूरो प्रति एम टी की औसत बीजक कीमत पर *** एम टी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

47. संबंधित भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से नोट किया जाता है कि उसे जाँच अवधि के दौरान आयातित संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री पर पर्याप्त लाभ हुआ है। मै० बोरसोडकेमजेडआरटी ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन संबंधी व्यय, बीमा, ऋण लागत और पैकिंग खर्च के लिए समोयोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन अनंतिम रूप से उनकी अनुमति दी गई है। यथा निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई हैं।

iii. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

ईयू के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

48. यूरोपीय संघ के सभी अन्य असहयेागी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ईयू के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

49. सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजनों की अनुमति देने के बाद उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.2 सउदी अरब

50. संबद्ध जाँच की शुरूआत के उत्तर में सउदी अरब से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर देकर जवाब दिया है।

क) मै० सादरा केमिकल कंपनी, किंगडम ऑफ सउदी अरब (उत्पादक)

ख) मै० डो सउदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग बी वी (निर्यातक)

ग) मै० डो केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्रा० लि० (निर्यातक)

घ) मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० – दुबई ब्रांच (निर्यातक)

51. सादरा और डो ट्रेडिंग कंपनियों के अलावा भारत में संबद्ध वस्तु के संबंधित आयातक मै० डो केमिकल इंटरनेशनल प्रा० लि० **('डीसीआईपीएल')**ने भी आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

52. तदनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया है।

i. सादरा केमिकल कंपनी ("सादरा"), डोसउदीअरबप्रोडक्टमार्केटिंगबीवी ('डोमोर्केटिंग'), डोकेमिकलपैसिफिक (सिंगापुर) प्रा०लि० ('डोसिंगापुर'), डोकेमिकल इंटरनेशनल प्रा०लि० – दुबई ब्रांच ('डीसीआईपीएल' - दुबईब्रांच)

53. यह नोट किया जाता है कि वस्तु की घरेलू बिक्रियो तथा संबंधित कंपिनियों अर्थात डो मोर्केटिंग, डो सिंगापुर और डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच के जरिए भारत को निर्यात में शामिल किया है। सादरा एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है जो किंगडम ऑफ सउदी अरब के कानून के तहत विद्यमान है जिसकी वाणिज्यिक पंजीकृत संख्या (***) है। इस कंपनी का मुख्यालय जुबैल में स्टन प्रोविंस, किंगडम ऑफ सउदी अरब में स्थित है।

सामान्य मूल्य

54. सादरा द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पहले डो मोर्केटिंग को बेची जाती है और डो मार्केटिंग, डो सिंगापुर और डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच को संबद्ध वस्तु के बीजक बनाता है। डो सिंगापुर संबद्ध वस्तु का व्यापारी है और उनहोंने डीसीआईपीएल को (भारत में संबंधित कंपनी) को तथा असंबंधित कंपनियों तथा आयातकों को सीधे संबद्ध वस्तु को बेचा है। डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच ने संबद्ध वस्तु को सीधे असंबंधित भारतीय आयातकों को बेचना है।

55. सादरा द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर नोट किया गया है कि उनकी घरेलू बिक्रियां घरेलू बाजार में पर्याप्त मात्रा में हैं। मै० सादरा द्वारा दावा की गई बिक्री लागत को डेस्क सत्यापन के बाद जाँच परिणाम के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया गया है। दावा की गई बिक्री लागत के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ वाली घरेलू बिक्री सौदों को निर्धारित करने के लिए व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण किया है। जाँच करने पर प्राधिकारी ने नोट किया कि पी ओ आई के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की सभी बिक्रियां घाटे में थीं । अत: प्राधिकारी ने उत्पादन लागत, बिक्री व्यय और लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है तथा वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत

56. भारत को निर्यातों से यह नोट किया गया है कि मै० सादरा संबद्ध वस्तु की संपूर्ण मात्रा को डो मार्केटिंग को बेचती है। भारत को निर्यातों के लिए डो मार्केटिंग असंबंधित और संबंधित भारतीय आयातकों को पुन: बिक्री के लिए डो सिंगापुर पर बीजक बनाती हैं। इसी प्रकार डो मार्केटिंग ने डीसीआईपीएल, दुबई ब्राचं के जरिए असंबंधित

आयातकों को संबद्ध वस्तु बेची है। समग्र आधार पर असंबंधित आयातकों को *** एम टी संबद्ध वस्तु बेची गई है और डीसीआईपीएल (संबंधित आयातक) को *** एम टी संबद्ध वस्तु निर्यात की गई है। इन सभी संबंधित पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है।

57. पी ओ आई के दौरान डो सिंगापुर ने डीसीआईपीएल (भारतीय आयातक) को *** एम टी संबद्ध वस्तु और असंबंधित आयातक को *** एम टी संबद्ध वस्तु बेची है। डीसीआईपीएल, दुबई ब्रांच ने असंबंधित भारतीय आयातक को *** एम टी संबद्ध वस्तु बेची है।

58. ऊपर उल्लिखित सहायक कंपनियों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया गया है कि उन्होंने अपनी मूल कंपनी अर्थात सादरा से ऊपर यथा उल्लिखित विभिन्न व्यापार श्रृंख्लाओं के जरिए आयातित संबद्ध वस्तु के बिक्री के दौरान घाटा उठाया है। चूंकि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत खरीद कीमत से कम है जिसमें आयात कीमतें और सहायक कंपनी के एस जी ए शामिल हैं। इसलिए उनकी पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत में उपयुक्त समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए प्राधिकारी ने माल भाड़ा, ऋण लागत और उत्पादक (सादरा) की बीजक कीमत से अन्य कारखाना पर्याप्त व्ययों के लिए समायोजनों पर विचार किया है। तदनुसार, कारखानाद्वार निर्यात कीमत परिकलित की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ii. असहयोगी उत्पादक/निर्यातक

सउदी अरब के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

59. सउदी अरब से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सउदी अरब के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

60. सभी अन्य उत्पादक और निर्यातक जिन्होंने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है, के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजनों की अनुमति देने के बाद उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.3 चीनी ताइपेई

चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

61. चीनी ताइपेई से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य ए डी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। चीनी ताइपेई में घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव के मद्देनजर चीनी ताइपेई के उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम अनुमानों को एस जी ए तथा लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके उनके अनुसार चीनी ताइपेई के उत्पादकों हेतु उत्पादन लागत परिकलित करके निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीनी ताइपेई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

62. सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजन के पश्चात उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4.4 यूएई

यू ए ई के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

63. यू ए ई से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है । इसलिए सामान्य मूल्य ए डी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। यू ए ई में घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव के मद्देनजर यू ए ई के उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम अनुमानों को एस जी ए तथा लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजन करके उनके अनुसार यू ए ई के उत्पादकों हेतु उत्पादन लागत परिकलित करके निर्धारित किया गया है। इसके आधार पर पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

यू ए ई के सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

64. सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत खर्चों के आवश्यक समायोजन के पश्चात उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.5. पाटन मार्जिन

65. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु हेतु अंतिम पाटन मार्जिन का प्रस्ताव नीचे दिए गए अनुसर किया गया है :

पाटन मार्जिन

उत्पादक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
	यूएसडा./मी.टन)	यूएसडा./मी.टन)	यूएसडा./मी.टन)	%	रेंज
यूरोपीय संघ					
बोरसोडकेमजेडआरटी	***	***	***	***	0-10
कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
सउदी अरब					
सादरा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
चीनी ताइपेई					
सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
संयुक्त अरब अमीरात					
सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आंकलन

ज.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

66. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है :

i. चूंकि अनुबध-II (iii) की शर्तें पूरी होती हैं। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों का संचयी आकलन करने पर विचार कर सकते हैं।

ii. संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से तथा सकल आयात, उत्पादन और क्षति अवधि में खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

iii. संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में जाँच अवधि में तेजी से गिरावट आई है।

iv. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। सउदी अरब के मामले में कीमत कटौती को कीमत समायोजन पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित भारतीय आयातक ने संबंधित सउदी निर्यातक से उच्च कीमत पर आयात किया है और असंबंधित स्वतंत्र क्रेता को बिक्री के समय उसे वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है।

v. संबद्ध वस्तु की कीमत में गिरावट से घरेलू उद्योग की कीमत में गिरावट हुई है। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।

vi घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुइ है तथापि घरेलू उद्योग के पास काफी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।

vii. यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथापि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री कम होने के कारण निर्यात करना पड़ा है।

viii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। उद्योग ने 2017-18 में काफी लाभ कमाया था उसके बाद लाभ इतने कम हो गए कि घरेलू उद्योग को अब जाँच अवधि में घाटा हुआ है।

ix. घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जाँच अवधि में ऋणात्मक हो गए हैं।

x. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अब भी उस स्तर से कम है, जो हासिल हो सकता था। संबद्ध देशों से पाटन के कारण उसका बाजार हिस्सा नहीं बढ़ा है।

xi. घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में जाँच अवधि में भारी वृद्धि हुई है ।

xii. संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान 300 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है।

xiii. संबद्ध देशों में भारी क्षमताएं मौजूद हैं।

xiv. संबद्ध देशों से आयातों से घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है और इससे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है।

xv. संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट टोल्यूइन की कीमतों की गिरावट से अधिक है।

xvi. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में पाटनरोधी शुल्क लगने पर 2016-17 और 2018-19 के बीच वृद्धि हुई है। तथापि, जाँच अवधि में देश में पाटन के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं में एक बार फिर गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में जबकि घरेलू उद्योग की माल सूची बढ़ रही और बिक्री मात्रा घट रही है। यह संभावित तथ्य कि आवेदक के निर्यात मात्रा में गिरावट आई है, कोई परिणाम नहीं देता है। किसी भी तरह से आवेदक की निर्यात मात्रा इस अवधि में बढ़ी है। वास्तव में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में निर्यात मात्रा में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि घरेलू बिक्री 7 प्रतिशत तक घट गई है। चूंकि घरेलू उद्योग के निर्यातों में वृद्धि हुई है। इसलिए यह दलील देना बिल्कुल निराधार है कि माल सूची में वृद्धि के कारण निर्यातों में गिरावट हुई है।

xvii. यह तथ्य कि प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु संबंधी पूर्ववर्ती किसी भी जाँच परिणाम में समय से पिछड़ने पर समायोजन की अनुमति नहीं दी है। इसका यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क में कोई आधार नहीं है। जहां तक आयातक की पिछड़ी स्थिति का संबंध है। आयातक को यह दलील देनी चाहिए और न कि निर्यातक को कोई तर्क करना चाहिए। इसी के साथ यह इस संभावित तथ्य की ओर संकेत करता है कि आयातित उत्पाद को घाटे में बेचा गया है। यदि ऐसा है तो आवेदक प्राधिकारी से वर्तमान मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ परिकलित निर्यात कीमत अपनाने का आग्रह करता है। वह कीमत जिस पर सामग्री बेची गई है। इस तथ्य के कारण अविश्वसनीय हो जाती है कि संबंधित आयातक ने उत्पाद को घाटे में पुन: बेचा है। ये कीमतें अब व्यापार की सामान्यप्र क्रिया में नहीं हैं।

xviii. संबद्ध देशों से आयातों में जाँच की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में अपनी घरेलू बिक्री नहीं बढ़ा सके। मालसूची के बहुत अधिक जमा हो जाने और कार्यशील पूंजी के अवरुद्ध होने के खतरे का सामना करने के बाद, यह अलाभप्रद कीमतों पर निर्यात करने के लिए बाध्य हो गया था। यदि निर्यातों को अलग किया जाना है तब यह और अधिक उत्पादन कर सकता था क्योंकि यह निष्क्रय क्षमता के साथ कार्य कर रहा था ।

xix. आवेदक निर्यात करने के लिए किसी विदेशी उपभोक्ता के साथ किसी दीर्घ अवधि संविदागत दायित्व के अधीन नहीं था। किया गया निर्यात केवल इस कारण से है कि इसे लाभप्रद कीमतों पर घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। देश में अत्यधिक मांग के बावजूद निर्यात में घाटा घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति का एक संकेत है।

xx. पहुंच कीमत में गिरावट का न्यून कच्चे माल अर्थात टोल्युऐन की कीमत में गिरावट से कोई संबंध नहीं था क्योंकि पहुंच कीमत में गिरावट टोल्युऐन की कीमत में मामूली अस्थिरता की तुलना में काफी हद तक अधिक था। आयात की कीमत में गिरावट की नीचे की ओर की प्रवृत्ति जाँच की अवधि की बाद की अवधि में भी जारी रही है क्योंकि आयातों की औसत पहुंच कीमत में आगे और गिरावट आई है।

xxi. न्यूनीकरण उसी स्थिति को बताता है जब घरेलू उत्पादक लागत को पुन: प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि यह आयात की गई वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से कीमतों को कम रखने के लिए विवश है। आयातों की कम कीमत पाटन अथवा सब्सिडी अथवा किसी अन्य कारक जैसे कीमतों में वैश्विक गिरावट के कारण हो सकती है। वर्तमान मामले में, आयात कीमत में गिरावट घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण हुई है।

xxii. ऐसी कोई वैश्विक कीमत नहीं है और प्रत्येक बाजार में कीमत अलग-अलग है। दो पक्षकारों के बीच कीमतें हमेशा एक ही अथवा दो अलग-अलग देशों में होती है। इसके अलावा, कीमतें देश, क्षेत्र आदि में अलग-अलग होती हैं और ऐसी स्थिति रहने पर, इस उत्पाद की "वैश्विक कीमत" नहीं कही जा सकती है।

xxiii. यदि कोई समायोजन आयातों में समय अंतराल के कारण सामान्य मूल्य के निर्धारण में किया जाना हो तब यदि समायोजन कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए भी किया जाना चाहिए।

xxiv. प्रौद्योगिकी में अंतर कानून के अंतर्गत संगत नहीं है। प्रौद्योगिकी में केवल विकास संगत है। प्रतिवादियों ने इस तथ्य को नहीं दर्शाया है कि किसी प्रकार से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ है।

xxv. संबंधित आयातक भारतीय बाजार में घाटे पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, जिस वस्तु के साथ घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वह कीमत है जिस पर संबंधित आयातक भारतीय बाजार में असंबंधित पक्षकार को और न कि संबंधित आयातक/व्यापारी द्वारा संबद्ध वस्तुओं की आयात की गई कीमत पर बिक्री नहीं कर रहा है। अत: यह उपयुक्त है कि कीमत में कटौती का परिकलन संबंधित आयातक की निवल बिक्री कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से तुलना करते हुए की जाती है।

xxvi. आवेदक उद्योग का प्रदर्शन वर्तमान जाँच के लिए संगत नहीं है। एक बहु-उत्पाद कंपनी होने के कारण, आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित अपने प्रदर्शन के बारे में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

xxvii. इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को उनके कारण क्षति हो सकती थी।

xxviii. निर्यातों के कारण क्षति, यदि कोई हो, भारतीय और वैश्विक बाजार में हुए पाटन का परिणाम है।

xxix. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि यह क्षति संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में गिरावट और कच्चे माल की उच्च कीमत के कारण हुई है, यह तथ्य कि आवेदक पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमतों को समायोजित करने में सक्षम नहीं थे, अपने आप में यह दर्शाता है कि यह क्षति घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई है।

xxx. संयंत्र का बंद होना एक नियमित अनुरक्षण शटडाउन था, जिसे सभी उत्पादकों द्वारा किया जाता है। जबकि संयंत्र के शटडाउन के फलस्वरूप उत्पादन में गिरावट आएगी और न कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आएगी।

xxxi. दहेज में टीडीआई संयंत्र के प्रचालन के संबंध में, संयंत्र को अब कारगर बनाया गया है और यह निरंतर रूप से कई वर्षों से चालू है।

xxxii. आवेदक ने क्षति के एक कारक के रूप में उत्पादन में गिरावट का दावा नहीं किया है और इस कारण से, गैस के रिसाव की घटना को घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है। अन्य प्रकार से भी, आवेदक ने जाँच की अवधि में क्षति का दावा किया है। रिपोर्ट की गई घटना, जाँच की अवधि से पहले की अवधि से संबंधित है।

xxxiii. आवेदक द्वारा की गई कैप्टिव खपत मामूली है क्योंकि किसी डाउन-स्ट्रीम उत्पादक का निर्माण आवेदक द्वारा नहीं किया जाता है।

xxxiv. चीन और कोरिया गणराज्य से आयातों की मात्रा संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा से बहुत अधिक हद तक कम है। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद दो देशों से आयातों की पहुंच कीमत बहुत अधिक है। जापान से आयातों के संबंध में वे अधिक नहीं हैं।

xxxv. प्रतिवादियों का काराणात्मक संबंध के बारे में दावे वर्ष 2018-19 की अवधि से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित हैं और वह जाँच की अवधि से संबंधित नहीं है।

xxxvi. घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने के उद्देश्य से कीमतों को कम करने के लिए बाध्य नहीं था। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखता तब कीमत में काफी हद तक सकारात्मक कटौती हुई होती, तथापि बिक्री की मात्रा में बहुत हद तक नुकसान हुआ होता।

xxxvii. यह तर्क कि कीमत में कटौती संबंधित आयातक द्वारा वहन की गई किसी लाभ/हानि पर विचार किए बिना आयात कीमत पर आधारित है, का कोई कानूनी आधार नहीं है।

xxxviii. कम कीमत पर बिक्री की गणना प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति के अनुसार है। इसके अलावा, कम कीमत पर बिक्री की गणना भी व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन कार्य-पद्धति के मैनुअल के द्वारा 11.7.17 के अंतर्गत भी निर्धारित है।

xxxix. घरेलू उद्योग ने पहले ही दिनांक 15 मार्च, 2015 की व्यापार सूचना सं. 7 के अनुसार दिनांक 4 फरवरी, 2020 के पत्र के माध्यम से डीजीसीआईऐंडएस लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

xl. इन जांचों में घरेलू उद्योग की क्षमता मांग से कम है, अन्य हितबद्ध पक्षकार मांग और आपूर्ति के अंतराल के आधारों पर निवारण की मांग करते हैं और आयात मामूली क्षमताओं के कारण जारी रहेगा। वर्तमान जाँच में जब घरेलू उद्योग मांग से अधिक क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं तब अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि यह निर्यात उन्मुख है।

xli. घरेलू उद्योग का उत्पादन देश में मांग के समतुल्य है और इसके पास देश में समग्र मांग को पूरा करने की क्षमता है। भारत में समग्र पाटित आयात अनावश्यक और अवांछित है।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

67. क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. प्रपत्र IV-I वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में ऐसे देशों जिन पर शुल्क लागू है, से आयातों में बिल्कुल मामूली कमी दर्शाता है। अत: घरेलू उद्योग का यह दावा कि वह वर्ष 2017-18 के दौरान संबद्ध देश से आयातों के कारण अपनी बिक्री में वृद्धि नहीं कर सकता, सही नहीं लगता है।

ii. लागू पाटनरोधी शुल्क जिससे कीमतों में वृद्धि हो गई, के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्रियां उन आयातों के बाजार हिस्से का स्थान लेने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ सकी थीं।

iii. सउदी अरब में एक मात्र उत्पादक ने 2017 में उत्पादन शुरू किया और इसलिए सउदी अरब से मात्रा में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होगी और इसलिए 2016-17 या 2017-18 के साथ आयातों की तुलना उचित नहीं है।

iv. भारत में आयात कीमतों में सभी स्रोतों से गिरावट आई है और केवल संबद्ध देशों से नहीं । याचिकाकर्ता को सभी अन्य देशों की तरह वैश्विक रूप से घटती हुई कीमतों के साथ अपनी कीमतें समायोजित करनी चाहिए। इसके अलावा, अन्य देशों से आयातों की कीमतें सउदी अरब से आयात की कीमतों से कम हैं।

v. दावा किए गए कीमत ह्रास के विपरीत संबद्ध वस्तु की कीमतों में विश्व भर में जबरदस्त गिरावट आई है, जो क्षति का मूल कारण है।

vi आवेदक वर्ष 2017-18 जब संबद्ध वस्तु की कीमतें वैश्विक स्तर पर उच्चतम थीं, में भारी लाभ कमा रहा था और जब वैश्विक रूप से कीमतों में गिरावट आई तो आवेदक को घाटा हुआ । इससे आवेदक के घाटे और लक्षित देशों की कीमतों के बीच कारणात्मक संबंध का अभाव भी प्रदर्शित होता है।

vii. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु संबंधी किसी भी पूर्ववर्ती जाँच परिणाम में समय से पीछे रहने पर समायोजन की अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा, टाइमलैग आयातक को पिछड़ी स्थिति में पहुंचा देता है, जब लागत में कमी के कारण आवेदकों ने कीमतों की कमी की।

viii. आवेदक के दावों के विपरीत उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है जबकि निर्यातों में 12 प्रतिशत तक गिरावट आई है। माल सूची में 544 प्रतिशत तक की वृद्धि भी निर्यातों में गिरवट के कारण है और न कि आयातों में वृद्धि के कारण।

ix. आवेदक के घाटे, संबद्ध वस्तु को टोल्यूइन की वैश्विक कीमतों के कारण हुए हैं, क्योंकि आवेदक ने परिवर्तन पर सही प्रतिक्रिया नहीं दी थी

x. उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। यह दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है कि पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताएं थीं।

xi. आवेदक के पास सर्वाधिक बाजार हिस्सा था जो पूरी अवधि के दौरान बढ़ा है। यह हिस्सा संबद्ध देश के आयातों की तुलना में दुगने से अधिक है।

xii. अन्य ज्ञात कारक जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है जैसे संबद्ध वस्तु के वैश्विक बाजार का व्यवहार संबद्ध वस्तु के वैश्विक कीमतों में गिरावट, संबद्ध देशों से इतर स्रोतों से आयात, आवेदक का व्यवहार और संबद्ध वस्तु संबंधी वैश्विक घटनाक्रम की पर प्रतिक्रिया और रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता संबंधी भारतीय कानून का प्रभाव।

xiii. जाँच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग ने 2542.29 करोड़ रु. की बिक्री पर 154.36 करोड़ रु. का कर-पूर्व लाभ(6.06 प्रतिशत) अर्जित किया। वर्ष के उत्तर्राद्ध में कंपनी ने 2620.14 करोड़ रु. की बिक्री पर 270.42 करोड़ रु. का कर-पूर्व लाभ (10.3 प्रतिशत) अर्जित किया।

xiv. आवेदक ने कंपनी के नीतिगत निर्णय के कारण कम कीमतों पर भारत से निर्यात किया। चूंकि इसकी उत्पादन क्षमता भारत में कुल मांग से अधिक है, अत: यह स्पष्ट है कि आवेदक का मुख्य ध्यान भारतीय बाजार की तुलना में निर्यात बाजार की मांग को पूरा करना है।

xv. आयातक की पुन:बिक्री कीमत के आधार पर कीमत में कटौती का निर्धारण न केवल कानून के विपरीत है बल्कि यह अव्यवहारिक और अतार्किक भी है।

xvi. आईसीआईएस जर्नल के अनुसार, भारत में टीडीआई की कीमतें वैश्विक प्रवृत्ति का अनुसरण करती हैं। जाँच की अवधि के दौरान, टीडीआई की वैश्विक कीमतों में लगातार गिरावट हुई थी।

xvii. यूरोपीय यूनियन से ऑर्डर देने और कार्गो के पहुंचने के बीच 50-60 दिनों का समय अंतर होता है। कीमतों पर विचार करने के कारण जाँच की अवधि के दौरान सतत् रूप से गिरावट हो रही थी, यूरोपीय यूनियन से संबद्ध आयातों की बिक्री कीमत भारत में ऐसी वस्तुओं की सुपुर्दगी के समय बाजार कीमतों से कमतर थी।

xviii. उत्पादन, क्षमता का उपयोग और घरेलू बिक्री जैसे सभी आर्थिक मानदंडों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और लाभ में भी वृद्धि हुई है। कंपनी की पीबीआईटी ने वर्ष 2017-18 के दौरान तीव्र वृद्धि देखी कंपनी ने 2017-18 में सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त किया। वर्ष 2018-19 में लागतों के स्थिर रहने और बिक्री प्राप्ति के कारण लाभ और अधिक स्थिर रहा।

xix. प्राधिकारी को केवल इस बात की अनुमति है कि वे संबंधित आयातक द्वारा किए गए लाभ/हानि पर विचार किए बिना आयात की कीमत के आधार पर कीमत में कटौती का मूल्यांकन करें।

xx. प्राधिकारी ने क्षति के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड के रूप में कम कीमत पर बिक्री शामिल कर, प्रारंभिक जाँच परिणामों में गलती की है। इस नियमावली के अनुबंध-II में क्षति के निर्धारण के लिए कम कीमत पर बिक्री के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

xxi. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर निर्यात बिक्री में हानि के प्रभाव का आंकलन करें।

xxii. आयातों में वृद्धि मात्र पर्याप्त नहीं है; आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होनी ही चाहिए।

xxiii. क्षति अन्य कारकों जैसे कच्चे माल की उच्च कीमतें और बिक्री कीमत में गिरावट, 27 दिनों तक संयंत्र के वार्षिक रूप से बंद रहने और दहेज में 50,000 एमटीपीए के टीडीआई संयंत्र के प्रचालन के संबंध में चिंताओं के कारण है।

xxiv. क्रिसिल द्वारा 2018 में प्रकाशित रेटिंग रेस्नल के अनुसार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की स्थिरता और समग्र कार्यकलाप 2017-18 के गैस-रिसाव की घटनाओं के कारण प्रभावित हुआ था।

xxv. मालसूची में वृद्धि के लिए टीडीआई की कैप्टिव खपत के बंद करने को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

xxvi. यदि लाभ और हानि में गिरावट के लिए आयात जिम्मेदार थे तब आयात की कीमत/कीमत में कटौती तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता की स्थिति की प्रवृत्ति के बीच सह-संबद्ध की कुछ सीमा होगी। घरेलू उद्योग की कीमत में आयात की कीमतों के कारण कटौती नहीं हो रही है।

xxvii. कोरिया गणराज्य और चीन जन.गण से आयात बहुत अधिक मात्रा में हुए हैं और क्षति के लिए ये जिम्मेदार हैं।

xxviii. जाँच की अवधि में आयात की कीमतों में कमी मौसमी परिवर्तन का परिणाम है क्योंकि कीमत में पूरे विश्व में तीव्र गिरावट देखी। भारत में आयात की कीमतें सभी स्रोतों से और ने कि केवल संबद्ध देशों से कम हुई हैं।

xxix. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि इसे कच्चे माल की कीमत में अत्यधिक वृद्धि तथास 27 दिनों तक वार्षिक रूप से संयंत्र के बंद होने के कारण और न कि केवल आवेदन में इसके द्वारा किए गए दावे के कारण उत्पन्न हो रही है।

xxx. संबद्ध वस्तु उत्कृष्ट वैश्विक वस्तु है और कीमतें कच्चे माल की आपूर्ति, मांग और कीमतों के बाजार ताकतों पर निर्भर करता है।

xxxi. देश की वर्तमान मांग लगभग 100000 मीट्रिक टन से अधिक है, जिसकी तुलना में घरेलू उद्योग मुश्किल से लगभग 35000 टन का उत्पादन कर रहा है, आयात अपरिहार्य है।

xxxii. चीन-सेलुलोस पल्प पैनल ने यह माना कि घरेलू कीमत में समानांतर कीमत निर्धारण की पहचान और पाटित आयातों की गिरती हुई कीमतें अकेले यह नहीं दर्शा सकती हैं कि घरेलू उद्योग की कीमत में गिरावट आयातों का प्रभाव है। घरेलू उद्योग द्वारा केवल यह दावा कि इसकी क्षति आयात कीमतों के कारण हुई, पर्याप्त नहीं है।

xxxiii. यदि पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण होता तब निर्यात कीमतों में गिरावट का स्पष्टीकरण देने के लिए कोई तर्क आधार नहीं है।

xxxiv. चूंकि टीडीआई वैश्विक बाजार में एक वस्तु उत्पाद है, अत: कीमतों के बारे में निर्णय लागत और मांग-आपूर्ति के अंतर द्वारा किया जाता है। जब मांग आपूर्ति से अधिक हो तब कीमत बढ़ जाएगी और अत्यधिक क्षमता के कारण बाजार में अधिक आपूर्ति की स्थिति में इसके परिणामस्वरूप बाजार कीमत में बहुत अधिक गिरावट होगी।

xxxv. घरेलू उद्योग गैस फेज फोसजेनेशन(जीपीपी) के विपरीत सामान्य लिक्विड फेज फोसजेनेशन(एलपीपी) का उपयोग करता है। लिक्विड पर आधारित प्रक्रियाओं की तुलना में जीपीपी को 60 प्रतिशत कम बिजली

और 80 प्रतिशत कम सोल्वेंट तक की आवश्यकता होती है। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग आइसोसाइनेट्स के निर्माण में किया जाता है जो टीडीआई का एक प्रमुख संगठक है। दो केमिकल्स टोलुऐन टायमाईन(टीडीए) और फोसजिन उतनी ही जल्दी प्रतिक्रिया करता है जितनी जल्दी गैसिएस स्टेट फेज करता है और न कि तरल के रूप में प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रतिक्रिया करता है और उसके माध्यम से लागत में बचत होती है और यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा बचत वाली प्रक्रिया बन जाती है।

xxxvi. घरेलू उद्योग की निर्माण लागत, इसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और बैकवर्ड एकीकरण तथा प्रौद्योगिकी कारकों के अभाव के कारण 25-35 प्रतिशत अधिक होना अनुमानित है।

xxxvii. क्षति मार्जिन इतनी अधिक नहीं हो सकती है, जब घरेलू उद्योग की लागत में जाँच की अवधि के दौरान गिरावट देखी।

xxxviii. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जाँच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। बेहतर करने की क्षमता क्षति का एक संगत मानदंड नहीं है।

xxxix. यह कहना सही नहीं है कि संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने की इसकी क्षमता पर प्रभाव डाला है। संबद्ध देशों से आयातों में भारत को अन्य देशों से आयातों को प्रतिस्थापित किया है।

xl. घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में निरंतर रूप से लगा हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा एनआईपी अथवा घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर इसके निर्यातों को सही ठहराने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

xli. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में जाँच की अवधि में बहुत अधिक गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पहुंच कीमत की तुलना में अधिक थी। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य की जाँच करें कि किस प्रकार से घरेलू उद्योग को हानि हो रही है।

xlii. कच्चे माल की अधिक कीमतों और बिक्री कीमत में गिरावट, संयंत्र के बंद होने, 2015 में आरंभिक मुद्दों, गैस रिवास आदि के कारण क्षति हुई है।

xliii. घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को पहुंच कीमत तक बढ़ा सकता था लेकिन इसने निर्यात करने का विकल्प चुना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आक्रामक कीमत निर्धारण नीति अपनाई।

xliv. घरेलू उद्योग बहुत अधिक हद तक कम आयात कीमत पर वस्तु की पेशकश कर रहा है और यह अपनी कीमत को संबद्ध देशों के लिए पहुंच मूल्य की सीमा तक वृद्धि करने में असफल रहा है।

xlv. वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए लगभग 95 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त किया।

xlvi. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू उद्योग ने विभिन्न पक्षकारों के साथ वार्षिक दर संविदा(एआरसी) किया है जिससे कि सतत आधार पर इनपुट्स उपलब्ध रहे जो घरेलू उद्योग की उच्च कीमता का कारण है।

xlvii. टीडीआई वैश्विक बाजार में एक कमोडिटी उत्पाद है जिसकी कीमतों के बारे में निर्णय लागत और मांग/आपूर्ति कारकों के द्वारा किया जाता है। टीडीआई की कीमतों में गिरावट एक वैश्विक घटना है और न कि केवल यूरोपीय यूनियन के बाजार बल्कि एशिया के बाजार और अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप से भारतीय बाजार भी इससे प्रभावित होते हैं।

xlviii. घरेलू उद्योग कमतर कीमत पर संबद्ध कंपनियों को वस्तुओं की बिक्री करता है जो अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर वस्तुओं की फिर से बिक्री करता है।

xlix. संयंत्र-II का क्षमता से कम उपयोग तब भी किया गया था जब संबद्ध देशों से वस्तुओं का कोई कथित पाटन नहीं हुआ था और चीन, जापान और कोरिया से संबद्ध वस्तुओं पर उपयुक्त पाटनरोधी शुल्क लागू था। इस संयंत्र का क्षमता उपयोग हमेशा आदर्शतम स्तर से कम रहा है।

l. डीसीआईपीएल की आयात कीमत और पुन: बिक्री कीमत दोनों घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से ऊपर है और कीमत में नकारात्मक कटौती है। प्राधिकारी की प्रारंभिक जाँच परिणाम में परीक्षण सही नहीं है।

li. कीमत और लाभप्रदत्ता से संबंधित मानदंडों पर आंकड़े किसी तार्किक प्रवृत्ति को नहीं दयर्शाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

lii. आवेदक के बाजार के बाजार हिस्से का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि घरेलू उद्योग वर्तमान में आदर्शतम उत्पादन क्षमता पर कार्य कर रहा है और उत्पादन की वृद्धि के लिए कोई संभावना नहीं है।

liii. घरेलू उद्योग को कीमत क्षति के लिए सऊदी अरब से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

liv. संबद्ध वस्तु के लिए परिकलित एनआईपी इनपुट सामग्री की वास्तविक कीमत के आधार पर नहीं है।

lv. यूएई और सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य करीब 124.5 भारतीय रुपए प्रति किलोग्राम है जो आवेदक को एक क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है।

lvi. घरेलू उद्योग का उत्पादन घरेलू मांग का मात्र 10-20 प्रतिशत वह भी 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर मांग को पूरा करने में ही सक्षम है। देश में बढ़ती हुई और अत्यधिक मांग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

lvii. घरेलू बिक्री कीमत और संबद्ध आयातों में गिरावट के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। टीडीआई की कीमतें वैश्विक रूप से और न कि केवल भारत में कम हुई है।

lviii. हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे टीडीआई की वैश्विक कीमत गिरावट तथा पीयूसी के लिए अन्य स्रोतों की मात्रा के प्रभाव की जाँच कथित क्षति की मौजूदगी की जाँच करते समय करें।

lix. माल सूची की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जो उत्पादन और बिक्री के सकारात्मक प्रदर्शन को नहीं दर्शाता है।

lx. आवेदक द्वारा दी गई सूचना जाँच की अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण आवेदन पर किसी नकारात्मक प्रभाव को नहीं दर्शाता है।

lxi. आवेदक का बाजार हिस्सा जाँच की अवधि के दौरान किसी गिरावट को नहीं दर्शाता है।

lxii. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ रही है।

lxiii. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कीमत प्रभावों की फिर से जाँच करें।

lxiv. यूरोपीय यूनियन में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

lxv. संबद्ध आयातों के कारण कीमत का कोई ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

lxvi. घरेलू उद्योग को मालसूची के संबंध में वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है। बढ़ती हुई मालसूची के कारण हुई किसी क्षति के लिए संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है बल्कि वह कैप्टिव खपत के जारी नहीं रखने के कारण हुआ है।

lxvii. जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट आई है।

lxviii. घरेलू उद्योग ने कम आयात के दबाव के अंतर्गत अपनी कीमतों को कम नहीं किया है क्योंकि संबद्ध आयातों के कारण कीमत में समग्र कटौती नकारात्मक है।

lxix. प्राधिकारी सह यह अनुरोध किया जाता है कि वे जाँच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान संबद्ध देशों और अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति का मूल्यांकन करें।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

68. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानून पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। यहां पर प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण वस्तुत: हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

संचयी आकलन

69. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3 और नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि यदि कहीं एक से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :

i. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा

ii. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है ।

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :-

i. संबद्ध वस्तुओं का संबद्ध देश से भारत में पाटन किया जा रहा है। संबद्ध देशों में से प्रत्येक से पाटन का मार्जिन नियमावली में विहित न्यूनतम सीमाओं से आधिक है।

ii. संबद्ध देशों में से प्रत्येक से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा से 3 प्रतिशत से अधिक है।

iii. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित है, क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि वे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित समान वस्तु भी हैं।

71. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी, यूरोपीय संघ, सउदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमरीत से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का संचयी आंकलन करना उचित समझते हैं।

72. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जाँच में *".... ...पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित भी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "...* ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कि कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आईहै या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है,जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

ज.3.1. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

73. चूंकि जाँच की अवधि बारह महीने की नहीं है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़े सीधे तौर पर पिछले वर्षों से तुलनीय हैं, वास्तविक/सूचीबद्ध आंकड़ों की इन अंतिम जाँच परिणामों में "वार्षिकीकृत" हैं और उनका उल्लेख किया गया है। चूंकि वर्तमान मामले में जाँच की अवधि छह महीने है, अत: इन आंकड़ों को पिछले वर्षों से तुलना किए जाने लायक उन्हें बनाने के लिए दो से गुणा किया गया है। इस कारण से, जाँच की अवधि के लिए वास्तविक और वार्षिकीकृत उपलब्ध आंकड़े इन अंतिम जाँच परिणामों में उन्हीं आंकड़ों को दर्शाते हैं।

क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

74. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को आवेदक के भारत में एक मात्र उत्पाद होने से उसकी घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***
संबद्ध देश- आयात	मी.टन	49	1,190	7,235	8,248	16,496
देश जिन पर एडीडी लागू है-आयात	मी.टन	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
अन्य देश- आयात	मी.टन	288	1,473	1,346	333	665
कुल मांग/ खपत	मी.टन	***	***	***	***	***

75. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के पहले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जाँच अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है। समग्र रूप से क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

76. आवेदक की घरेलू बिक्रियों में तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में जाँच अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति अवधि के पहले तीन वर्ष में निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध देशों से आयात में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात मात्राएं

77. पाटित आयातों के मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	49	1,190	7,235	8,248	16,496
सउदी अरब	मी.टन	-	240	2,660	2,348	4,696
यू ए ई	मी.टन	9	860	3,168	2,460	4,920
यूरोपीय संघ	मी.टन	-	90	685	1,680	3,360
चीनी ताइपेई	मी.टन	40	-	722	1,760	3,520
उन देशों से आयात जिन पर एडीडी लागू है	मी.टन	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
अन्य देशों से आयात	मी.टन	288	1,473	1,346	333	665
कुल आयात	मी.टन	**32,905**	**33,147**	**32,619**	**15,442**	**30,883**
निम्न के संबंध में संबद्ध देशों के आयात						
कुल आयात	%	0.15%	3.59%	22.18%	53.41%	53.41%
उत्पादन	%	0.10%	2.00%	11.82%	22.32%	22.32%
मांग	%	0.08%	1.77%	9.84%	23.90%	23.90%

78. यह देखा गया है कि :

क.. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में क्षति अवधि के दौरान और पूर्ववर्ती वर्ष की वृद्धि की तुलना में जाँच अवधि के दौरान निरंतर और पर्याप्त रूप से अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात में भारत में कुल आयातों, भारत में मांग और भारत में उत्पादन की दृष्टि से क्षति अवधि में निरंतर और पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ज.3.2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

79. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह जाँच करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत पर प्रभाव की जाँच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण यदि कोई हो, के माध्यम से की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) और क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

80. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	105	67	67
संबद्ध देश						
पहुंच मूल्य	रू./मी.टन	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	131	76	76
कीमत कटौती	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	(118)	(8)	(8)
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20%	0-10%	(5-15)%	(0-10)%	(0-10)%
सउदी अरब						
पहुंच मूल्य	रू./मी.टन	-	2,94,889	2,28,515	1,54,893	1,54,893
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	77	53	53
कीमत कटौती	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	131	132	132
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	-	(0-10)%	(5-15)%	(10-20)%	(10-20)%
यूएई						
पहुंच मूल्य	रू./मी.टन	2,15,495	2,54,276	2,33,833	1,28,473	1,28,473

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	109	60	60
कीमत कटौती	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(122)	145	(20)	(20)
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	(0-10)%	0-10%	(5-15)%	0-10%	0-10%
यूरोपीय संघ						
पहुंच मूल्य	रू./मी.टन	0	2,20,780	2,50,611	1,11,096	1,11,096
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	114	50	50
कीमत कटौती	रू./मी.टन	-	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	(78)	37	37
कीमत कटौती	%	-	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	-	20-30%	(10-20)%	15-25%	15-25%
चीनी ताइपेई						
पहुंच मूल्य	रू./मी.टन	1,66,934	-	2,00,408	1,35,108	1,35,108
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	120	81	81
कीमत कटौती	रू./मी.टन	***	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	19	(10)	(10)
कीमत कटौती	%	***	-	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%	-	0-10%	(0-10)%	(0-10)%

81. संबद्ध देशों से आयात में कीमतों में तेजी से गिरावट के साथ जाँच अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पहुंच कीमत में गिरावट के साथ अपनी कीमतों को कम करना पड़ा है। यद्यपि पी ओ आई के दौरान औसत आधार पर कीमत कटौती थोड़ी नकारात्मक रही है। यह देखा गया है कि कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह दलील भी दी है कि सउदी अरब के मामले में भारत में एक संबद्ध पक्षकार की खरीद से आयात कीमतें अनावश्यक रूप से अधिक रही हैं और इसलिए सउदी उत्पादक/निर्यातक के लिए कीमत को परिकलित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे की जाँच की गई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस तथ्य के कारण सउदी अरब से कीमत कटौती ऋणात्मक है कि सउदी अरब से निर्यातक भारत को संबद्ध वस्तु उच्च कीमत पर निर्यातक करते हैं और उनका संबंधित पक्षकार भारत में स्वतंत्र क्रेता को घाटे पर संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री करता है। अत: डीजीसीआई एंड एस आयात आंकड़ों में रिकार्ड की गई आयात कीमत भारतीय बाजार में सउदी अरब के निर्यातकों की वास्तविक प्रचलित कीमत नहीं दर्शाती है।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

82. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में काफी बढ़ गई होती । क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की निम्नानुसार तुलना की गई है।

विवरण	**इकाई**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जाँच की अवधि**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
बिक्रियों की लागत	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	101	89	89
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	105	67	67
समग्र रूप से संबद्ध देशों का पहुंच मूल्य	रू./मी.टन	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	131	76	76

83. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत यद्यपि जाँच अवधि से पहले की अवधि में बिक्री लागत से अधिक रही है। तथापि, जाँच अवधि में यह बिक्री लागत से कम हो गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में 2016-17 की तुलना में पी आई ओ के दौरान गिरावट आई है। तथापि, घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट, बिक्री लागत में कमी से अधिक है, क्योंकि घरेलू उद्योग को आयातों की पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कमी से अधिक कटौती के कारण अपनी कीमतें घटाने पर मजबूर होना पड़ा था। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी कर रहे थे।

ग. कम कीमत पर बिक्री

84. जाँच अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और नियमावली के अनुबंध-III में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर यथा निर्धारित घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना कम कीमत पर बिक्री की मात्रा जानने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि जाँच अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम था। जैसा कि सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री प्रभाव दर्शाने वाली निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण	यूओएम	सउदी अरब	यूएई	ईयू	चीनी ताइपेई
क्षति रहित कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	1,54,893	1,28,473	1,11,096	1,35,108
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	(10)-0	20-30%	30-40%	10-20%

ज.3.3. घरेलू उद्योग के लिए आर्थिक मापदंड

85. नियमावली के अनुबंध- II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में सभी संगत आर्थिक कारकों एवं सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और भेदभाव रहित मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, जिसमें बिक्रियों, लाभों, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल, व्यय क्षमता, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक,नकदी प्रवाह, इन्वेंट्रियों, रोजगार मजदूरी, विकास, पूंजीगत निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोध में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जाँच की है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

86. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान निम्नांकित तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*127*	*131*	*158*	*158*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*127*	*131*	*158*	*158*
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*128*	*153*	*142*	*142*
निर्यात बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*112*	*88*	*149*	*149*

87. यह देखा गया है कि :-

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, सतत और भारत में मांग से अधिक रही है।

ख. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, भारत में मांग होने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता थी।

ग. उद्योग के घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई, परंतु जाँच अवधि में मामूली गिरावट आई है।

ख. बाजार हिस्सा

88. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है :-

विवरण	**इकाई**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**जाँच की अवधि**	
					वास्तविक	**वार्षिकीकृत**
घरेलू उद्योग	%	44.85%	50.81%	55.65%	55.25%	55.25%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*113*	*124*	*123*	*123*
संबद्ध देश- आयात	%	0.08%	1.76%	9.83%	23.89%	23.89%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*2150*	*11978*	*29105*	*29105*
देश जिन पर एडीडी लागू है- आयात	%	54.57%	45.23%	32.67%	19.88%	19.88%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*83*	*60*	*36*	*36*
अन्य देश- आयात	%	0.48%	2.18%	1.82%	0.96%	0.96%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*454*	*380*	*200*	*200*

89. यह देखा गया है कि 2017 में चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य से आयातों के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग बाजार हिस्से में 2018-19 तक वृद्धि हुई । संबद्ध देशों से बढ़े हुए आयातों के कारण पी ओ आई में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में मामूली गिरावट आई है। दूसरी ओर मांग में संबद्ध देशों के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जो 2016-17 में 0 प्रतिशत से पी ओ आई के दौरान 24 प्रतिशत हो गया।

ग. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

90. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिककृत
बिक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	101	89	89
बिक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	105	67	67
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	371	121	(24)	(24)
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	लाख रू. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	474	185	(34)	(34)
नकद लाभ	लाख रू. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	420	184	(7)	(7)
ब्याज पूर्व लाभ	लाख रू. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	323	119	(22)	(22)
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	278	87	(20)	(20)

91 . यह देखा गया है कि :

क. अन्य देशों के आयात के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर वर्ष 2017-18 में घरेलू उद्योग के प्रति इकाई लाभ में वृद्धि हुई है।

ख. बाद के वर्ष 2018-19 में घरेलू उद्योग के लाभ में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों में तेजी से वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में तेजी से गिरावट आई । घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के बावजूद कीमतों में तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई ।

ग. जाँच अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम हो गई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को ऐसी कीमत पर बिक्री करनी पड़ी, जिससे उसकी लागत ही नहीं निकल पाई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ा। नतीजतन घरेलू उद्योग को नकद घाटे हुए और निवेश पर ऋणात्मक आय हुई ।

घ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

92. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	102	101	101
मजूदरी	लाख रू. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	159	155	155
प्रति इकाई मजदूरी	रू./मी.टन	***	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	90	121	98	98
उत्पादकता	मी.टन/ दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	131	158	158

93. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या और वेतन तथा मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई जबकि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में पी ओ आई में मामूली गिरावट आई। पी ओ आई के दौरान प्रति दिन उत्पादकता में भी सुधार हुआ है।

ड. माल सूचियां

94. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की माल सूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
प्रारंभिक स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***	***
औसत माल सूची	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	309	544	544

95. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु वह बाजार में बिक्री कम करने में सक्षम नहीं रहा है।

च. वृद्धि

96. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से वृद्धि नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि	
				वास्तविक	वार्षिकीकृत
उत्पादन	वर्ष/वर्ष	27%	3%	21%	21%
क्षमता उपयोग	वर्ष/वर्ष	27%	3%	21%	21%
घरेलू बिक्री मात्रा	वर्ष/वर्ष	28%	20%	-7%	-7%
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	271%	-67%	-120%	-120%
औसत माल सूची	वर्ष/वर्ष	10%	181%	76%	76%
बाजार हिस्सा	वर्ष/वर्ष	13%	10%	-1%	-1%
पूर्व कर लाभ/(हानि)	वर्ष/वर्ष	374%	-61%	-118%	-118%
नकद लाभ	वर्ष/वर्ष	320%	-56%	-104%	-104%
पीबीआईटी	वर्ष/वर्ष	223%	-63%	-118%	-118%
आरओआई	वर्ष/वर्ष	178%	-69%	-123%	-123%

97. यह देखा जाता है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही थी। य़द्यपि जबकि घरेलू बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, माल सूची, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय पी ओ आई में प्रतिकूल और/या ऋणात्मक रहे थे।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

98. घरेलू उद्योग जाँच अवधि में वित्तीय घाटा उठा रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग के प्रचालन पर प्रभाव पड़ा है जिससे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है। तथापि यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता केवल संबंधित उत्पाद के कार्य निष्पादन के आधार पर शासित नहीं होती ।

ज. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

99. आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। यह उल्लेख किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है । इसके अलावा, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मंदी आई है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है। तीसरे देशों जिन पर एडीडी लागू नहीं है, से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा नगण्य है और घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रही है। विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग देश में पर्याप्त है और घरेलू उद्योग के पास देश में मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और यह घरेलू उद्योग के क्षति का कारण नहीं हो सकता है। इसके मद्देनजर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं ।

100. इस दावे के संबंध में कि अन्य देशों से आयातों में केवल बहुत मामूली गिरावट आई है और शुल्क लागू होने के बाद घरेलू बिक्री में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आयातों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि पाटन की अनुचित प्रथा को सुधारना है और कीमतों को उचित स्तर तक लाना है। तथापि, यह देखा गया है कि देशों जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है, से आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन और खपत की दृष्टि से ए डी डी लागू होने के बाद तेजी से गिरवट आई है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में चीन, कोरिया गणराज्य और जापान पर 2017 में शुल्क लागू होने के बाद से वृद्धि हुई है और उनमें संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि के साथ केवल जाँच अवधि में गिरावट आई है।

101. यह दावा किया गया है कि सउदी अरब से आयात में वृद्धि इसलिए हुई है, क्योंकि उत्पादक ने 2017 में उत्पादन शुरू किया है। यह नोट किया गया है कि सउदी अरब से आयात पी ओ आई में नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अंतर्गत यथा विहित न्यूनतम सीमा से अधिक रहे हैं । अत: आयातों के प्रभाव का प्राधिकारी द्वारा संचयी आकलन किया जाएगा।

102. यह भी देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत लागू ए डी डी, जहां प्रयोज्य हो, को जोड़ने के बाद अन्य देशों से आयातों से पहुंच कीमत से काफी कम है। अत: हितबद्ध पक्षकारों की यह दलील कि भारत में आयात कीमत सभी स्रातों से घट गई है और केवल संबद्ध देशों से नहीं, वास्तव में गलत है। इसके अलावा, जहां तक केवल सउदी अरब की कीमतों का संबंध है सउदी अरब की पहुंच कीमत ए डी डी वाले अन्य देशों की कीमत से कम है। यदि सउदी अरब की संबद्ध कंपनियों और भारत के जरिए उच्च कीमतों को पर्याप्त रूप से समायोजित किया जाए ।

103. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग पहले लाभ कमा रहा था और अब घाटा उठा रहा है, यह कारणात्मक संबंध का अभाव दर्शाता है। यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि में आयात कीमतों में वस्तुत: गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो गई हैं। घरेलू उद्योग पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ कमा रहा था और कीमत ह्रास के कारण घाटे में चला गया है।

104. टाइमलैग के कारण समायोजन के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी ने संगत प्रक्रिया के मामले के रूप में आयात कीमतों में ऐसे टाइमलैग के लिए किसी समायोजन की अनुमति नहीं दी है।

105. इस दावे के विरूद्ध कि उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है और निर्यातों में गिरावट आई है जिससे माल सूची में वृद्धि हुई है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है और जाँच अवधि में अलाभकारी कीमतों में निर्यात बिक्री में वृद्धि हुई है।

106. इस दावे के संबंध में कि आवेदक के घाटे के लिए संबद्ध वस्तु की वैश्विक कीमतें जिम्मेदार हैं। यह नोट किया जाता है कि आयात कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें घटानी पड़ी हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से कम कीमत पर आयातों के कारण कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ अपनी कीमतों का पर्याप्त रूप से तालमेल नहीं बना पा रहा है जिसके कारण घाटा हुआ है। अत: दावा की गई क्षति के लिए भारत में संबद्ध देशों से आयात जिम्मेदार है।

107. इस दावे के संबंध में कि आवदेक के पास सर्वाधिक बाजार हिस्सा है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में केवल 9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जबकि संबद्ध देशों के आयातों के हिस्से में 2017-18 की तुलना में पी ओ आई में 1253 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि तथ्य यह है कि घेरलू उद्योग के पास भारत में संबद्ध वस्तु की 100 प्रतिशत मांग को पूरा करने की क्षमता है, परंतु उसके पास इस समय केवल 55 प्रतिशत हिस्सा है और अप्रयुक्त क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा है।

108. प्राधिकारी ने निर्यात बाजार में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन को नोट किया है। घरेलू बाजार में लाभप्रद कीमतों पर बिक्री करने में अपनी असमर्थता के कारण, घरेलू उद्योग ने अलाभप्रद कीमतों पर निर्यात बिक्री की। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग की निर्यात करने की रणनीति थी। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता, भारत में मांग से अधिक है। केवल इस कारण से कि इसकी क्षमता भारत में मांग से अधिक है, यह सिद्ध नहीं होता है कि उत्पादक निर्यात उन्मुख हैं और निर्यात करने के लिए रणनीति बनाएगा। यदि इस तर्क को भी मान लिया जाता है तब घरेलू उद्योग अपेक्षाकृत अधिक क्षमता का उत्पादन और उसकी बिक्री कर सकता था क्योंकि यह निष्क्रय क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा था। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन का घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत, पाटित आयातों की मौजूदगी में घरेलू उद्योग को घाटे में निर्यात करने के लिए बाध्य किया।

109. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बढ़ा सकता था क्योंकि कीमत में नकारात्मक कटौती थी, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग निर्यात करने के लिए विवश था क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी कीमतों पर दबाव पड़ा था। घरेलू उद्योग आदर्शतम से कम कीमत पर भी अपनी घरेलू बिक्री में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं था और यह कमतर कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए विवश था। यदि घरेलू उद्योग ने अपने सभी निर्यातों को घरेलू बाजार की ओर विपठित करने का प्रयास किया होता तब इसे और अधिक हानि हुई होती क्योंकि इसे और आगे अपनी बिक्री कीमत को कम करना पड़ता ताकि निर्यातों से विपठित किए गए घरेलू बाजार अतिरिक्त मात्रा में बिक्री की जा सके।

110. जहां तक चीनी ताइवेई से आयातों का प्रश्न है, प्राधिकारी ने इस नियमावली के अनुबंध-II के अंतर्गत यथा-उल्लिखित संचयी विश्लेषण किया है। यह नोट किया जाता है कि चीनी ताइपेई से आयात न्यूनतम से अधिक स्तर पर हुआ है और वह पाटित कीमतों पर हुआ है। ऐसी स्थिति होने के कारण इस तर्क में कोई दम नहीं है कि आयात बहुत अधिक मात्रा में नहीं हुआ है।

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग उन कीमतों से प्रतिस्पर्धा करता है जिन कीमतों पर संबंधित आयातक ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की और न कि उस कीमत से जिस पर इस उत्पाद का आयात संबंधित निर्यातक से किया गया था। इस कारण से, संबंधित आयातक की निवल बिक्री कीमत की तुलना आयात की पहुंच कीमत के बजाय घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से करना उचित होगा। उपर्युक्त, प्राधिकारी द्वारा समान रूप के मामलों में अपनाई गई कार्य-पद्धति के अनुरूप है।

112. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति के अन्य कारकों के संबंध में किए गए अनुरोध उस अवधि से संबंधित हैं, जो जाँच की अवधि के पूर्व की है। इस कारण से, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए कारणों का जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जाँच करने के लिए नियमावली में उल्लिखित सभी संगत कारकों की जाँच की है कि इन पाटित आयातों को छोड़कर किसी भी कारक पर घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है।

113. आयात कीमत/कीमत में कटौती और घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता की स्थिति की प्रवृत्तियों के बीच सह-संबंध के बारे में अनुरोध के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि जबकि कीमत में कटौती घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और आयात कीमत का कार्य है, ये लाभ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत और बिक्री की लागत का कार्य है। ऐसी स्थिति में, जहां घरेलू उद्योग की कीमतों पर या तो दबाव पड़ा है अथवा उसमें कमी आई है, यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती और लाभ एक ही प्रवृत्ति में आगे बढ़ेगी। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी ने पहले ही इस तथ्य की जाँच कर ली है कि आयातों की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा हे।

114. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की लागतें बैकवर्ड एकीकरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित कारकों के न होने के कारण कोवेस्ट्रो की लागत से अधिक है, यह नोट किया जाता है कि यह प्राधिकारी का एक सुस्थापित रुख है कि घरेलू उद्योग को उसी रूप में देखा जाना अपेक्षित है, जैसा यह है और न कि आदर्श स्थितियों के अंतर्गत यह कार्य कर रहा हो(निप्पन जिओन कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 1997(96) ईएलटी 126(ट्राई)। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि इसकी प्रौद्योगिकी वैश्विक रूप से अन्य उत्पादकों की प्रौद्योगिकी के समतुल्य है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी ने कोवेस्ट्रो द्वारा निर्यातों के संबंध में सकारात्मक पाटन मार्जिन पाया है।

115. यह अनुरोध किया गया है कि जाँच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की कीमत में गिरावट मौसमी है और यह कीमत में वैश्विक गिरावट के कारण होता है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि सभी संबद्ध देशों से आयात की गई वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक था। वैश्विक कीमतों का इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है कि क्या आयातक ने अपने उत्पाद को पाटित किया है अथवा नहीं। यदि निर्यातक ने पाटनरोधी कानून के अनुसार, सामान्य मूल्य से कम कीमत पर अपने उत्पाद का निर्यात किया है तब यह माना जाएगा कि संबंधित निर्यातक ने वस्तुओं का पाटन किया है और उसके कारण उस पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है। जबकि आयात कीमत में वैश्विक बाजार में गिरावट हुई होगी, भारतीय घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं के पाटन का कोई औचित्य नहीं है।

116. क्षति का मूल्यांकन करने के लिए अनुबंध-II के अंतर्गत मानदंड के रूप में कम कीमत पर बिक्री की गणना नहीं होने के संबंध में अनुरोध के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री की गणना इस तथ्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि क्या आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है।

117. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और यह संभावना कि घरेलू उद्योग का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा हो सकता था, इस नियमावली के अंतर्गत एक मानदंड नहीं है। इस नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे उन सभी कारकों पर विचार करें जिसका घरेलू उद्योग के मानदंडों पर वास्तविक अथवा संभावित प्रभाव हो सकता है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ, आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। भारत में मांग और आपूर्ति की स्थिति पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग के पास भारत में समग्र मांग को पूरा करने की क्षमता है। हालांकि, संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षमता रखने और उत्पादन करने के बावजूद जाँच की अवधि में बाजार हिस्से में वृद्धि करने के लिए सक्षम नहीं था। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम है, भारत में खपत तथा जाँच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन पर विचार करते हुए सिद्ध किया गया है।

118. जहां तक प्रौद्योगिकी के आपूर्तिकर्ता के साथ करारों के कारण घरेलू उद्योग की अपेक्षाकृत अधिक लागत के संबंध में, प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा रखे गए खाता-बुक के आधार पर घरेलू उद्योग की लागत पर विचार किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि किस प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई लागत अपेक्षाकृत अधिक है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह देखा जाता है कि कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में बहुत अधिक हद तक बदलाव नहीं हुआ है। इस कारण से इस तर्क में कोई दम नहीं हे। पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग पर उसी रूप में विचार करें, जिस रूप में यह है और इस तथ्य की जाँच करें कि क्या घरेलू उद्योग का प्रदर्शन क्षति की अवधि के दौरान और खराब हो गया।

झ. सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन

119. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एन आई पी जाँच अवधि के लिए उत्पादन लगात से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की एन आई पी ज्ञात की गई है और उसकी तुलना क्षति मार्जिन (आई एम) की गणना के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत (एल पी) के साथ की गई है। पाटन मार्जिन के निर्धारण के अनुक्रम में क्षति मार्जिन को भी संबंधित कंपनियों को एक कंपनी मानकर निर्धारित किया गया है।

120. इस जाँच परिणाम में पाटन मार्जिन विश्लेषण में यथा उल्लिखित सउदी अरब से उत्पादक और भारतीय सहायक कंपनी सहित उसकी संबंधित कंपनियों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया गया है कि विभिन्न व्यापार श्रृंखलाओं के माध्यम से अपनी मूल कंपनी से आयातित संबंधित वस्तु की बिक्री के दौरान उन्हें घाटा हुआ है। चूंकि संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत जिसमें आयात कीमत और भारतीय सहायक कंपनी के एस जी ए शामिल थे, से कम है। इसलिए उनकी पहुंच कीमत के लिए उपयुक्त समायोजन किए गए

देश	उत्पाद	एन आई पी (यू एस डॉलर/ मी.टन)	पहुंच मूल्य (यू एस डॉलर/ मी.टन)	क्षति मार्जिन (यू एस डॉलर/ मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/ मी.टन) (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
यूरोपीय संघ	मै० बोरसोडकेमजेडआरटी	***	***	***	***	20-30
	मै० कावेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी	***	***	***	***	20-30
	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30
सउदी अरब	मै० सादरा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20
चीनी ताइपेई	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20
यू ए ई	सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

ञ. क्षति का निष्कर्ष

121. उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं :

क. संबद्ध आयातों में समग्र रूप से तथा उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

ख. आयात कीमतों में तीव्र गिरावट आई है। पी ओ आई में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। यद्यपि कीमत कटौती थोड़ी सी नकारात्मक है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को कीमतें कम करने पर विवश होना पड़ा है। घरेलू उद्योग भारत में उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है।

ग. संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमत बिक्री लागत से भी काफी कम करनी पड़ी । इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग पर कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

घ. यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में कमी आई है।

ड. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की उसकी क्षमता पर विचार करते हुए काफी अधिक हो सकता है।

च. उत्पाद को घाटे में बेचने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास काफी माल सूची बची हुई है।

छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है और उसे जाँच अवधि में वित्तीय घाटे उठाने पड़े हैं। इसके अलावा, जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

122. प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों के अलावा ऐसे अन्य ज्ञात कारकों के साथ-साथ जाँच करना अपेक्षित है, जो साथ-साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हों ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। ऐसे कारक, जो इस संबंध में संगत हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी, अथवा खपत के पैटर्न में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ञ. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

123. संबद्ध देशों और चीन, कोरिया तथा जापान से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक है। चीन, कोरिया और जापान के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू है। इस प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अन्य / शेष देशों, जिनका कुल आयात में केवल 2.15 प्रतिशत हिस्सा है, से क्षति हो सकती है।

ख. मांग में संकुचन

124. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तु की मांग में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, आधार वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में संबद्ध देशों की आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों से आयातों ने संपूर्ण क्षति अवधि में पर्याप्त बाजार हिस्से को कब्जा लिया है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान मामूली गिरावट आई है, क्योंकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में घट गई हैं। अत: घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट के लिए संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि उत्तरदायी हो सकती है और न कि मांग में मामूली गिरावट। अत: मांग में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहीं हो सकता है।

ग. खपत के पैटर्न में बदलाव

125. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में किसी ज्ञात वास्तविक बदलाव से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

126. किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। अत: व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

127. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी ज्ञात या वास्तविक बदलाव संबंधी जानकारी प्राधिकारी को नहीं दी गई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अत: प्रौद्योगिकी में विकास से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

128. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से घटती आयात कीमतों के कारण वह बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ था और इसलिए उसने माल सूची बढ़ने से रोकने के लिए निर्यातों पर भरोसा किया। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि यह तथ्य कि पी ओ आई के दौरान लागत से कम कीमत पर निर्यात किए गए अपने आप में पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के प्रभाव को दर्शाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की निर्यात

बिक्री में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की निर्यातक कीमतें उस कीमत से काफी कम है जिसका घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री करता है जो संकटग्रस्त बिक्री के दावे को सिद्ध करता है। यद्यपि प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए अलग-अलग आंकड़े पर भरोसा किया है ताकि घरेलू उद्योग की क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उनकी मात्रा देखी जा सके। तथापि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को काफी कम और अलाभकारी कीमतों पर निर्यात करना पड़ा। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का दर्शाता है। निर्यात बिक्रियों पर लाभ में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग की घरेलू लाभप्रदता प्रभावित नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों हेतु क्षति आंकड़ों पर अलग से विचार किया है।

छ. घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

129. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उन्हें अपनाया है। अत: आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

130. घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादकता संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। यह देखा गया है कि प्रति दिन उत्पादकता में पी ओ आई सहित क्षति अवधि में निरंतर और पर्याप्त सुधार हुआ है। अत: घरेलू उद्योग के उत्पादकता घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

झ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष

131. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि:

क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात भारत में उस कीमत पर हो रहे हैं जो इसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कमतर है और इसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।

ख. पाटित आयात जाँच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में बढ़े हैं।

ग. क्षति की अवधि के दौरान, आयात की कीमतों में तीव्र गिरावट हुई थी। इसके अलावा, संबद्ध वस्तुओं के आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत कम है जिसने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें अपनी बिक्री की लागत से भी कम तक घटाने के लिए विवश हुआ है। इस प्रकार संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है।

घ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कमतर है और इसके फलस्वरूप सकारात्मक कम कीमत पर बिक्री हो रही है।

ड. घरेलू उद्योग के पास समग्र मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और यह निष्क्रिय क्षमताओं के साथ कार्य कर रहा है।

च. पाटन मार्जिन न्यूनतक से अधिक और सकारात्मक है।

छ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों में वृद्धि होने के कारण, घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपना समग्र उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग बदले में क्षति की अवधि के दौरान उन कीमतों पर मजबूरन निर्यात बिक्री करने के लिए बाध्य रहा है जो इसकी बिक्री लागत और इसकी घरेलू कीमतों से बहुत कम है। मजबूरन निर्यात बिक्री करने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने बहुत अधिक मालसूची इकट्ठी कर ली है।

ज. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में कीमत न्यूनीकरण के फलस्वरूप लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में इस हद तक तेजी से गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को जाँच की अवधि में वित्तीय हानि, नकद हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक लाभ उठाना पड़ा।

अ.. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

अ.1 घरेलू उद्योग का दृष्टिकोण

132. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए:

क. भारतीय उद्योग आत्म-निर्भर उद्योग है और एकमात्र उत्पादक इस देश में समग्र मांग को पूरा कर सकता है।

ख. घरेलू उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है, प्रयोक्ता उद्योग घरेलू उद्योग के खर्च पर खुशी-खुशी लाभ उठा रहे हैं।

ग. प्रयोक्ताओं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में लाभ में इन वर्षों के दौरान इसके बावजूद वृद्धि हुई है कि पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य से टीडीआई के आयातों पर लगाया गया था।

घ. भाग लेने वाले प्रयोक्ता पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने में सक्षम नहीं रहे हैं।

ड. पाटनरोधी शुल्क इस उद्योग के लिए एक संरक्षण नहीं है बल्कि अनुचित कीमत निर्धारण पर ध्यान देने और समान अवसर स्थापित करने का साधन है।

च. पाटनरोधी शुल्कों को पहले ही चीन, कोरिया गणराज्य और जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाया गया था और इन देशों से आयातों की मात्रा अभी भी बहुत अधिक है। यह दर्शाता है कि आयात शुल्कों को लगाए जाने के बाद भी लगातार होते रहेंगे।

छ. वैश्विक बाजार में अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति है और आयात प्रतिकूल कीमतों पर होते रहेंगे जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

ज. जनहित अपने आप केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं करता है और वास्तव में यह बहुत व्यापक पारिभाषिक शब्द है जो अपनी परिधि में घरेलू उद्योग को भी शामिल करता है।

अ..2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दृष्टिकोण

133. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किया:

क. डॉव और सादारा प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम निर्धारण में उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करें।

ख. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे क्षति मार्जिन की गणना के लिए पहुंच मूल्य और शुल्क के परिणामी दर, यदि कोई हो, में संशोधन करें। सादारा और डॉव कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और निर्यात तथा आयात के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। संबंधित आयातक के प्रश्नावली के उत्तर में, डीसीआईपीएल ने असावधानीवश आयात संबंधी लेन-देन के लिए भाड़े और बीमा की सूचना दी थी, जिसे पहले ही संबंधित निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में शामिल किया गया था। डीसीआईपीएल ने उस त्रुटि को ठीक कर लिया है और प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि पहुंच मूल्य का फिर से मूल्यांकन करें।

ग. छह महीने की जाँच की अवधि पाटन और क्षति के विश्लेषण का सामान्य तस्वीर प्रस्तुत करता है।

घ. घरेलू उद्योग के संगत आर्थिक मानदंडों में सुधार हुआ है।

ड. क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हुई है।

च. प्राधिकारी कोविड-19 के कारण यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने के लिए केस अधिकारियों की अक्षमता के कारण वर्तमान जाँच में डेस्क सत्यापन किया। हालांकि, डीजीटीआर की स्थापित प्रक्रिया और परिपाटी के अनुसार, डेस्क सत्यापन करने के लिए कभी भी कोई सत्यापन कार्य-सूची जारी नहीं की गई थी।

छ. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ रही है। यूरोपीय यूनियन से आयातों की मात्रा भारत में कुल मांग की तुलना में नगण्य है।

ज. कीमतों में वैश्विक बाजार कीमत में गिरावट के प्रतिक्रिया-स्वरूप गिरावट आई है।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा बैकवर्ड एकीकरण नहीं होने के संबंध में, प्रतिवादियों द्वारा दिए गए तर्क को प्रकटन विवरण में सही रूप में नहीं समझा गया है। इस तर्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत का समायोजन करना है। उसे इस नियमावली के अनुबंध-III के संदर्भ में निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। हालांकि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग द्वारा खर्च की गई लागत अपेक्षाकृत अधिक है, गैर-आरोपण विश्लेषण के लिए संगत हो जाता है। यह हमारा अनुरोध है कि उत्पादन की उच्च लागत क्षति और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि का वास्तविक कारण है।

ञ. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

ट. स्वतंत्र और सापेक्ष, दोनों रूपा में आयातों की प्रवृत्तियों का आकलन वास्तविक आंकड़े का उपयोग करते हुए, दी गई चक्रीय और मौसमी प्रवृत्तियों और उत्पादन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन का उपयोग करते ही किया जा सकता है। प्राधिकारी यह तर्क देते हैं कि हितबद्ध पक्षकार प्रतिस्पर्धा की चक्रीय और मौसमी स्थितियों की मौजूदगी दर्शाने के लिए बाध्य है। जीएएफटी आदरपूर्वक इससे सहमत नहीं होता है। एक वस्तुपरक जाँच करने वाला प्राधिकारी जो वास्तविक आंकड़ों के बजाय अनुमानित आंकड़ों के आधार पर निर्धारण करने का निर्णय लेता है, यह दर्शाने के लिए अपेक्षित है कि ये गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया।

ठ. प्राधिकारी की समग्र स्वीकारात्मक क्षति निर्णय एकमात्र उत्पाद को आबंटित घरेलू उत्पादक की लाभप्रदत्ता के आंशिक वर्ष छह महीने के आकलन के आधार पर आधारित है, उसके बाद जिसे परिणाम को आगे गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए "वार्षिकीकृत" रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी घरेलू एकाधिकार के लिए लाभप्रदत्ता के ऐसे गलत अनुमानों के आधार पर वस्तुपरक, निष्पक्ष जाँच निर्धारण प्रभावी रूप से नहीं कर सकते हैं।

ड. जीएएफटी डीजीटीआर द्वारा प्रकटन में पर्याप्त स्पष्टीकरण तथ्यों की जाँच में निहित असंगतता तथा इस जाँच में कानून के बारे में जीएएफटी की चिंताओं पर विचार नहीं करने के अपने निर्णय को न्यायोचित ठहराने के लिए नहीं पाता है।

ढ. कथित पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पता लगाने के लिए एक वस्तुपरक जाँच किए बिना कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

ण. जीएएफटी जाँच की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के व्यवहार पर ध्यान दिए बिना और उन कारकों, जो संबद्ध आयातों के अलावा टीडीआई की घरेलू कीमत को प्रभावित करते हैं, पर ध्यान न देते हुए प्राधिकारी से सहमत नहीं है।

त. प्राधिकारी का कम कीमतों और पाटन के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध के बारे में निष्कर्ष सही नहीं है।

थ. ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग ने यह महसूस करते हुए कम कीमतों के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन किया कि कीमतें और लाभप्रदत्ता में दूसरी छमाही में सुधार हो रहा था। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे जाँच की अवधि को बढ़ाकर बारह महीने तक के लिए करें और पाटन तथा क्षति निर्धारण पर फिर से विचार करें।

द. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह निष्कर्ष निकालें कि जीएनएफसी ने निर्यात दायित्व के कारण अलाभप्रद कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया और इस कारण से घरेलू क्षति के आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट स्वयं के कारण हुई है और उसके लिए संबद्ध आयात उत्तरदायी नहीं है।

ध. डॉव और सादारा यह अनुरोध करते हैं कि दी गई सूचना के अनुसार और प्राधिकारी द्वारा प्रकट किए गए अनुसार पद्धति का उपयोग करते हुए (हानि की कटौती के बाद भी) पहुंच मूल्य यूएसडालर***/मी.टन होनी चाहिए।

न. सादरा और डॉव सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के विस्तृत कार्य-चालन के रूप में प्राधिकारी से कोई कार्य प्राप्त नहीं किया है। एक्स-फैक्टरी निर्यात कीमत की गणना के लिए अपनाए गए संगत आंकड़े और पद्धति तथा सामान्य मूल्य, जिसे प्रकटन विवरण में अपनाया गया है, अवश्य दिया जाना चाहिए और उपयोग की गई पद्धति को अवश्य प्रकट किया जाना चाहिए।

प. यह अनुरोध किया जाता है कि भारत में असंबंधित ग्राहकों को कोवेस्ट्रो एचके की केवल सीधी बिक्री और भारत में असंबंधित ग्राहकों को कोवेस्ट्रो इंडिया की वह बिक्री मात्रा घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा करती है और केवल ऐसी मात्राओं का उपयोग पाटन और क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए अवश्य किया जाना चाहिए।

फ. भारत में कुल मांग की तुलना में यूरोपीय यूनियन से आयातों का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान सतत् रूप से कम रही है। यद्यपि जाँच की अवधि के दौरान इस हिस्से में मामूली वृद्धि हुई थी, हालांकि यह अभी भी 5 प्रतिशत से कम है। इस प्रकार के मामूली हिस्से के कारण, घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है जिसका 50 प्रतिशत से अधिक से बाजार हिस्से पर कब्जा है।

ब. वैश्विक कीमत के कारण घरेलू उद्योग द्वारा कीमतों में कटौती के लिए यूरोपीय यूनियन से संबद्ध आयातों को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

भ. इस समय जब संबद्ध वस्तुओं की कीमत अधिक है, कोई पाटनरोधी शुल्क लगाना अंतिम प्रयोक्ता उद्योग को कोविड-19 के कारण बहुत अधिक हानि पहुंचा रहा है। पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा।

म. जब इन आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया जाता है तब कीमत निर्धारण संबंधी आंकड़ों की तुलना स्वतंत्र आधार पर अथवा लागतों के सापेक्ष नहीं किया जा सकता है।

य. प्राधिकारी ने कोई आधार नहीं दिया है जिस पर इसने जाँच करने के बिना अप्रैल, 2019 के पूर्व कोई पाटन नहीं पाया।

कक. घरेलू उद्योग का आरोप पर्याप्त आधारों पर नहीं है जो पाटन के कारण हुई क्षति को दर्शाता हो और यह निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए उचित आधार नहीं हो सकता है। यह प्रकटन संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में विस्तार से बताने के लिए कोई वस्तुपरक जाँच नहीं देता है।

खख. प्राधिकारी को वस्तुपरक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए वास्तविक और सत्यापन योग्य आंकड़ों को दर्शाते हुए तुलनीय अवधियों का उपयोग करना चाहिए।

अ..3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

134. यह देखा जाता है कि प्रकटन विवरण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी करने के समय अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की पहले ही जाँच की है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अब व्यक्त किए गए विचार जो पहले किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है, को नीचे फिर से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित नए अनुरोध घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण के संबंध में किए गए हैं।

135. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि जाँच की वार्षिकीकृत अवधि पर विचार करने के फलस्वरूप गलत तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इन आंकड़ों को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिकीकृत किया गया है कि ये आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों से प्रत्यक्ष रूप से तुलनीय हैं। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी के पास संगत अवधि के लिए वास्तविक और सूचीबद्ध, दोनों आंकड़े हैं।

136. यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी ने निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का विस्तृत कार्य-चालन उपलब्ध नहीं कराया। यह नोट किया जाता है कि सामान्य मूल्य के परिकलन की इस जाँच परिणाम के उपयुक्त पैरा में पहले ही उल्लेख किया गया है। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों, जिन्होंने गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत की, को सतत् परिपाटी के अनुसार कार्य-चालन के बारे में नहीं बताया है।

137. सहयोगी उत्पादक और निर्यातक की पहुंच मूल्य के पुन:निर्धारण के लिए अपने अनुरोध के बारे में निवेदन के संबंध में, प्राधिकारी ने संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के संबंध में सादारा के दावे की जाँच की है। यह नोट किया जाता है कि डीसीआईपीएल ने सीआईएफ शर्तों पर संबंधित कंपनी डॉव सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया और भूलवश उसमें आयातक की प्रश्नावली के उत्तर में भाड़ा और बीमा भी शामिल था। इसकी जाँच और मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा किया गया है। पहुंच मूल्य के परिकलन के लिए, प्राधिकारी ने डॉव कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर फिर से विचार किया है और तद्नुसार पहुंच मूल्य को ठीक किया।

138. इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी ने यह आधार नहीं दिया है, जिस पर ये उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अप्रैल, 2019 से पहले कोई पाटन नहीं हुआ था।, यह नोट किया जाता है कि मार्च, 2019 की अवधि तक पाटन के संबंध में सूचना आवेदक द्वारा दी गई थी, जिसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाते हुए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि जाँच की छह महीने की अवधि को छोड़कर एक अवधि अलग तस्वीर को दर्शाई होती। जाँच की छह महीने की अवधि पर विचार करने के कारण कि प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से बताई गई है।

139. जहां तक क्षति के संबंध में तर्क का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इन अनुरोधों में तथ्यों और तर्कों पर वस्तुपरक तरीके से विचार करते हुए क्षति के मानदंडों की जाँच की है। क्षति के सभी मानदंडों को गिरावट दर्शाने की जरूरत नहीं है। जबकि कुछ मानदंड गिरावट को दर्शा सकते हैं, कुछ मानदंड सुधार दर्शा सकते हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर विचार किया है और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा नहीं। घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन सभी संगत कारकों को ध्यान में रखकर किया गया है जिनका उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो।

140. यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को गलत तरीके से क्षति को जिम्मेदार ठहराया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए ही संगत क्षति के मानदंडों पर विचार किया है। हालांकि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को केवल ईपीसीजी दायित्वों के कारण इस तथ्य पर विचार करते हुए इतनी हानि पर अपने निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी कि कंपनी के पास अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक लंबी अवधि उपलब्ध है।

ट . भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

141. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्कों को लगाए जाने से जनहित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने जा रहा है।

142. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क से विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित हो, कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

143. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जाँच करने पर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद जिसका निर्यात संबद्ध देशों से भारत को किया गया है, पाटित कीमतों पर हुआ है।

ख. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पिछले वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि के दौरान भारत में इसके उत्पादन और खपत की तुलना में तथा स्वतंत्र रूप में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

घ. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है।

144. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच की शुरूआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रर्याप्त अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना दे सकें। पाटनरोधी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और परिणामी क्षति को निष्प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। इस कारण से प्राधिकारी इस आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

145. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1) (ख) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त की जा सके। इस कारण से, प्राधिकारी इस आवश्यक मानते हैं और दिनांक 2 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 43/2020-सीमाशुल्क के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से इसमें नीचे वर्णित रूप में और तरीके से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। तद्नुसार शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर अनंतिम शुल्क लगाने की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

146. इस उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य आकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के लागू स्तर द्वारा किया जाता है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29291020 *	'टोल्यूइन डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) जिसमें आइसोमर्स की मात्रा 80:20 के अनुपात में होती है।'	ईयू	ईयू सहित कोई भी देश	कोवेस्ट्रो ड्यूट्स्चलैंड एजी	221.04	मी. टन	यूएसडॉलर
2	-वही-	-वही-	ईयू	ईयू सहित कोई भी देश	बोरसोडकेम जेडआरटी	102.05	मी. टन	यूएसडॉलर
3	-वही-	-वही-	ईयू	ईयू सहित कोई भी देश	उपर्युक्त कं.सं. 1 और 2 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	264.96	मी. टन	यूएसडॉलर
4	-वही-	-वही-	उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, को छोड़कर कोई भी देश	ईयू	कोई भी	264.96	मी. टन	यूएसडॉलर

5	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सादारा केमिकल कंपनी	217.55	मी. टन	यूएसडॉलर
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	उपर्युक्त कं.सं.5 को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक	344.33	मी. टन	यूएसडॉलर
7	-वही-	-वही-	उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, को छोड़कर कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	344.33	मी. टन	यूएसडॉलर
8	-वही-	-वही-	चीनी ताईपेई	चीनी ताईपेई सहित कोई भी देश	कोई भी	274.39	मी. टन	यूएसडॉलर
9	-वही-	-वही-	उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, को छोड़कर कोई भी देश	चीनी ताईपेई	कोई भी	274.39	मी. टन	यूएसडॉलर
10	-वही-	-वही-	यूएई	ईयू सहित कोई भी देश	कोई भी	368.20	मी. टन	यूएसडॉलर
11	-वही-	-वही-	उन देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है, को छोड़कर कोई भी देश	यूएई	कोई भी	368.20	मी. टन	यूएसडॉलर

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

147. उपर्युक्त के अध्यधीन, 4 सितंबर, 2020 को अधिसूचित प्रारंभिक जाँच परिणाम की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

ड. आगे की प्रक्रिया

148. केन्द्र सरकार द्वारा इन जाँच परिणामों को स्वीकार किए जाने के बाद इनके विरुद्ध अपील 1995 में यथा संशासेधित सीमा प्रशुल्क अधिनमय 1975 और सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 28th January, 2021

Case No. ADD (O.I.) 34/2019

Subject : Anti-dumping investigation concerning the imports of Toluene Di-Isocyanate from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates.

F. No. 6/43/2019-DGTR.—

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as the "Applicant") filed an application before the Designated Authority in accordance with Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter also referred to as the "Act") as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the "Anti-Dumping Rules" or "Rules") for initiation of anti-dumping investigation concerning the imports of Toluene Di-Isocyanate (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or "PUC" or the "subject goods") from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/43/2019-DGTR dated 31st January, 2020 in the Gazette of India Extraordinary initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty (ADD), which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.

3. The Authority having regard to the Act and the Rules, considered it appropriate to recommend interim duties and issued Preliminary Findings vide Notification No. 6/43/2019-DGTR dated 4th September, 2020, recommending imposition of provisional ADD on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. Accordingly, the Central Government vide Notification No.43/2020-Customs dated 2nd December, 2020 imposed provisional ADD on imports of the Toluene Di-Isocyanate from Chinese Taipei, European Union, Saudi Arabia and United Arab Emirates for a period of 6 months.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:

   a. The Authority notified the Embassies of subject countries/territories in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.

b. The Authority issued a public notice dated 31st January, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject countries.

c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and the Domestic Industry as well, as per the informationavailable. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

f. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

i. M/s Sadara Chemical Company;

ii. M/s BASF SE;

iii. M/s BASF Schwarzheide GmbH;

iv. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, EU;

v. M/s BorsodChemZrt, Hungary, EU;

vi. M/s Nan Ya Plastics, Chinese Taipei;

vii. M/s Polychem Company, Chinese Taipei.

g. In response to the above notification, following exporters/ producers have submitted exporter questionnaire responses:

i. M/s BorsodChemZrt., Hungary, EU;

ii. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, EU;

iii. M/s Covestro (Hong Kong) Limited;

iv. M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia;

v. M/s Dow Chemical International Pvt. Ltd. (Dubai Branch);

vi. M/s Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V., Netherlands;

vii. M/s Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited, Singapore.

h. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

i. M/s Sheela Foam Limited;

ii. M/s Tirupati Foam Limited;

iii. M/s Kurlon Limited;

iv. M/s Springwell Mattresses Private Limited;

v. M/s Sunrise Foam Product Private Limited;

vi. M/s M H Polymers Private Limited;

vii. M/s Pyarelal Foam (South) Private Limited;

viii. M/s Jindal Petro Foam Private Limited;

ix. M/s Allied Foam Private Limited;

x. M/s Fancy Foam Private Limited;

xi. M/s Hindustan Poly Foams Private Limited;

xii. M/s Shree Malani Foams Private Limited;

xiii. M/s Prime Comforts Product Private Limited;

xiv. M/s Aadi Polymers Private Limited;

xv. M/s Springfeel Polyurethanes Foams Private Limited;

xvi. Indian Polyurethane Association.

i. In response to the above notification, following importers/users have submitted the questionnaire responses:

i. M/s Covestro (India) Private Limited;

ii. M/s Dow Chemical International Private Limited;

iii. M/s Wanhua International India Private Limited;

iv. M/s Sheela Foam Limited.

j. Further, the following interested parties have filed legal submissions/registered as an interested party: -

i. M/s BorsodChemZrt., Hungary, EU;

ii. M/s Covestro (India) Private Limited;

iii. M/s Dow Chemical International Pvt. Ltd. (Dubai Branch);

iv. M/s. Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V.;

v. M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia;

vi. Indian Polyurethane Association;

vii. BASF SE;

viii. M/s Desim International.

k. Additionally, the General Authority for Foreign Trade from the Kingdom of Saudi Arabia and Taipei Economic & Cultural Centre have filed submissions.

l. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension to the interested parties for submitting responses. The first extension was granted upto27thMarch, 2020, and then upto 10thApril, 2020 and thereafter a final extension upto 21stApril, 2020.

m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of an e-file through e-mails for the interested parties.

n. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

o. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

p. Information was sought from the applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the Domestic Industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

q. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April, 2019 to 30th September, 2019 (6 months). The injury examination period has, however, been considered as the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.

r. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

s. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the Final Findings on the basis of the facts available.

t. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

u. The Authority issued Preliminary Findings vide Notification No. 6/43/2019-DGTR dated 4th September, 2020. The interested parties were provided an opportunity to submit their comments on the Preliminary Findings.

v. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all the interested parties to present their views orally in a hearing held on 9th November, 2020. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of their views expressed orally. The parties were directed to share their non-confidential submissions to other parties so as to enable them to offer their rebuttals.

w. Further information was sought from the Applicant and the other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by Domestic Industry and other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

x. In accordance with Rule 16 of the Rules, a Disclosure Statement containing all essential facts in this investigation which forms the basis of the present final finding was issued to the interested parties on 20th January, 2021. The post-Disclosure Statement submissions received from various interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings. The Authority notes that most of the post-Disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in this Final Findings.

y. '***' in this Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US $1 = Rs. 70.73.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows: -

"The product under consideration in the present investigation is "Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20". Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula $CH_3C_6H_3$ $(NCO)_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

The product is classified under the Chapter Heading 29 under the code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration."

C.1. Submissions made by the domestic industry

6. The submissions made by the Domestic Industry in regard to the PUC are as follows: -

i. The PUC is Toluene di-isocyanate or also called TDI which is an organic compound having the formula $CH_3C_6H_3$ $(NCO)_2$. The present investigation is restricted to TDI having isomer content in the ratio of 80:20.

ii. The PUCis used in Flexible Polyurethane foam, Mattresses, Pillows& Quilts, etc.

iii. The product is imported under the customs heading 2929 10 20 of the Act.

iv. There is no difference in the product produced by the Applicant and imported from the subject countries.

C.2 Submissions made by other interested parties

7. No submissions have been made by any other interested party with regard to the scope of the PUC.

C.3 Examination by Authority

8. The submissions made by the Domestic Industry with regard to PUC related issues are examined and addressed hereunder.

9. The product under consideration in the present investigation is Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20. The scope of the PUC in the present investigation is restricted to TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and all other grades are beyond the scope of product under consideration. The PUCis used in Flexible Polyurethane foam, Mattresses, Pillows & Quilts, etc.

10. The Authority has considered the PUC as under:-

"The product under consideration in the present investigation is "Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20". Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound having formula CH3C6H3 (NCO)2. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The product under consideration in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20). All other grades are beyond the scope of product under consideration.

11. The PUC is classified under the Chapter Heading 29 under the HS code 2929 10 20. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the PUC.

12. It is seen from the information on record that the subject goods produced by the Domestic Industry is like article to the PUC imported from the subject countries. Subject goods produced by the Domestic Industry and the PUC imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The end product has comparable specifications and is used interchangeably. It is further noted that the imported and the domestically sold products are technically and commercially substitutable, and the consumers are using the two interchangeably. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the Domestic Industry are like article to the PUC imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions made by the domestic industry

13. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the scope of Domestic Industry and standing:

i. The Applicant is the only producer of the subject goods in India

ii. The Applicant has not imported the subject goods from subject countries and is not related to any exporter in the subject countries or importer of subject goods in India.

iii. The Applicant satisfies the requirement of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the rules.

D.2. Submissions made by other interested parties

14. None of the other interested parties have made any submissions with regard to the Domestic Industry.

D.3. Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Rules defines Domestic Industry as follows:

"*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

16. It is noted that the application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited. There is no other producer of the subject goods in India. The Applicant has not imported the subject goods from subject countries and is not related to any exporter in the subject countries or importer in India. Accordingly, the Authority holds that the Applicant constitutes Domestic Industry under Rule 2(b) of the Rules and the application meets the requirements of 'standing' under Rule 5(3).

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by domestic Industry

17. The submissions made by the Domestic Industry with regard to confidentiality are as follows:

i. Covestro Deutschland AG and Sadara Chemical have not disclosed information in compliance with the requirements of Trade Notice 10/2018 dated 7th September, 2018.

ii. The information regarding names of the owner, lists of products produced, specification of product, product brochures and list of affiliates company is available in public domain but has been claimed confidential by Borsod. Further, it has claimed that disclosure of brochure and exchange rates will amount to "irreparable damage" to the business interests of the company. The Applicant is unable to understand what irreparable damages can be caused on the disclosure of a product brochure or even exchange rate.

iii. M/s Kędzierzyn-Kozle, related party of Borsod is engaged in the production of the raw material for the subject goods i.e., Toluene and utilities required to produce the subject goods such as power and water are produced captively by it. However, information about inputs produced captively and evidence showing the basis of transfer completely is kept confidential.

iv. The Applicant has made detailed submissions on the questionnaire response filed by M/s BrosodChemZrt. and M/s Covestro Deutschland AG.

E.2. Submissions made by other interested parties

18. The submissions made by other interested parties with regard to confidentiality are as follows:

i. Borsod Exporter's questionnaire response is in the prescribed format and in compliance with applicable Trade Notices including Trade Notice No. 10/2018 dated 7thSeptember, 2018.

ii. M/s Covestro Deutschland AG &Covestro (Hong Kong) Limited have filed complete information in the Producer and Exporter Questionnaire in the prescribed format.

iii. Sadara Chemical Company, Dow Marketing and Dow Singapore have filed the questionnaire responses.

iv. The claims of the Domestic industry regarding confidentiality claimed by Sadara Chemical is misplacedand incorrect.

E.3. Examination by the Authority

19. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).

20. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12,sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

21. As regards the contentions regarding confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1 Submissions made by the domestic industry

22. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic Industry:

i. The present Application was filed on 27th December, 2019. It would be seen that there was no dumping of the product till January, 2019. Therefore, the POI could not have started prior to March, 2019. As far as the period October - December 2019 is concerned, the same could not have been added for the reason that the Application was filed on 27th December, 2019 and the financial results for that period were declared only on 11th February, 2020. Thus, the Applicant has chosen the right period for the present purposes.

ii. The interested parties have assumed that annualised data implies that the Applicant has extrapolated the data for the subsequent period. The Applicant has not extrapolated any data for subsequent period. On the contrary, the Applicant has simply considered the data for POI and in

order to compare the data with previous periods of different duration, it has been considered appropriate to bring the data of the POI in the same platform before comparison. It is only for the above purpose, the Applicants have "annualised" the figures for the POI and then compared the same with the figures of previous years.

iii. Wherever data on annualised basis could be different from six months data, the Applicant has annualised the data. As regards reference to Article 3 of Anti-Dumping Agreement, the fact that one period is of twelve months duration and other period is of six months duration does not in itself imply that an analysis of the data over the period is inappropriate. While analysing the data, due regard must be given to the fact that the data for two periods are not for same length and the same must be appropriately factored while drawing conclusion on whether the parameter deteriorated or improved.

iv. Thus, it only implies that analysis is required to consider the fact of different duration of two periods. The Applicant for the sake of convenience has adopted an approach wherein the Applicant has annualized the data and then done the comparison. Even if data is not annualised and considered as it is, while comparing it with preceding years, the Authority will have to give due regard to the fact that the length of two periods are different and therefore, the figures cannot be directly compared.

v. The Applicant has no captive sales in the POI and even earlier it was extremely negligible. Therefore, the information with regard to captive sales quantity, value and realization is inconsequential to the present case.

vi. The details of normal value disclosed in the non-confidential version of the Application is sufficient as per DGTR practice. Moreover, the Applicant has claimed no expense on R&D account relating to the PUC and has not made any purchase of the PUC, hence the information has not been provided. It would, thus, be seen that the Applicant has provided all such information as is relevant to the present case.

vii. The anti-dumping duties which were levied in June, 2017 were only interim duties. The definitive duties were imposed in January, 2018. In any case, whether June, 2017 or January, 2018 is considered as the relevant date for duty, the argument in the Application remains the same.

viii. The Applicant had proposed a 6-month POI in the application because the import prices from the subject countries have declined drastically in a short period;as a result of which the performance of the Domestic Industry deteriorated drastically. A 6-month POI is in complete consistency with the past practice of the Authority. The other interested parties too have so far been unable to substantiate why a 6-month POI is not appropriate.

ix. There was no dumping of the product till January, 2019. Therefore, the POI could not have started prior to March, 2019.

x. Information with respect to names of shareholders and associations with other company concerning research and developments of Sadara is available in public domain but has been claimed confidential.

xi. Both the producers Sadara and Borsod have suppressed information in relation to financial or contractual links and joint ventures with any other company concerning Research and Development.

xii. Covestro in response to the question about raw material purchased from related party or captively produced, has stated that it is not applicable. However, raw materials required for production of subject goods are being captively produced inside the same plant. Further, it has also failed to provide any evidence to show that the price considered for raw material is reflective of the fair market price.

xiii. Since Sadara has filed deficient questionnaire response, the Authority should apply facts available.

xiv. There is no risk on the continuity of business operations of the Applicant and if that would have been the case, the Board of Directors and Auditors must have reported in the Annual Report.

xv. The Domestic Industry made significant investment for the production of subject goods in the country and is currently operating with losses. ADD will not discourage imports, but it will ensure that imports are at fair prices and are not harming the Indian industry.

xvi. The Applicant strongly disputes and opposes participation of Indian Polytherane Association at such a belated stage of investigation. The list of interested parties issued by the Authority nowhere discloses the IPUA as an interested party.

xvii. The Association has not demonstrated its credentials to be considered as an Interested Party in the proceedings before the Authority. It has not established that it is duly authorized by its member/consumers of the PUC to represent themselves in the present investigation.

xviii. The Association is making loud noises about the users and the importers belonging to the MSME sector, but none of users has participated in the present investigation. Had the user industry participated, it would have provided necessary information to the Authority which could have been helpful in determining the impact of duties.

xix. Neither the Applicant has claimed an exclusion nor the Authority in the Preliminary Findings has excluded six months of data from each year for the purpose of injury analysis. The allegation that data of 6 months has been excluded by the Domestic Industry thus has no relevance for the purpose of present investigation.

xx. It seems that the interested party has understood that the mechanism for imposition of duty is a child's play. The applicant domestic industry, in fact, is going through a time-consuming elaborate process. The Domestic Industry suffered injury even before it could seek imposition of appropriate duty.

F.2 Submissions made by other interested parties

23. Miscellaneous submissions made by other interested parties are as follows:

i. DGTR has not provided any justification for adopting a 6-month POI, which it was required to provide as per the Manual of Operating Practice. The Authority adopts a 12-month period as the POI in most cases.As per the Manual of Standard Operating Procedures and WTO Anti-dumping Committee recommendation, the POI should normally cover a period of twelve months and a shorter period as the POI can be considered only as an exception.POI of six months is insufficient and inappropriate to undertake an objective analysis of dumping, injury, and causal link analysis.

ii. WTO Panel in Mexico - Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice (DS295), held that the investigating authority's injury analysis by exclusion of six months of data from each year of the investigation period is inconsistent with Article 3.1 of the AD Agreement.

iii. A 6-month period presents only half the picture and does not consider the time period in which the Domestic Industry could have been doing better.

iv. In order to examine most of the factors for injury the Applicant has used annualized data for the POI without providing any justification.Due to annualization of import volumes, volume of exports made by Chinese Taipei to India have been inflated.

v. The Applicant has switched between "POI" and "POI-A" in examining different factors of injury in the Application which does not provide an objective examination and sufficient basis for analysis as required by Article 3.1(iv) of the agreement.

vi. There is inconsistency in comparison of 6 months POI with other periods of 12 months which does not comply with obligation to conduct objective examination.

vii. An inconsistent method in identification of the POI has led to DGTR failing in the examination of accuracy and adequacy of the Application pursuant to Article 5.3 of the agreement.

viii. The Applicant has provided actual imports for 6 months and estimated volume of imports for 6 months to introduce annualized POI without providing any justification. The Appellate Body in India-Iron and Steel Products (Safeguard) also held the methodology adopted by the Indian authority of annualizing data to make them comparable with those of previous years warrants an explanation.

ix. Normal value, captive sales quantity, captive sales value, captive sales realization, R&D expenses, funds raised, purchase quantity of PUC and NIP calculations have not been provided as per Trade notice no. 10/2018 dated 7thSeptember, 2018 and no justification has been provided. This violates the Articles 5.2, 6.2, 6.5.1, and 6.8 of the Agreement

x. The Applicant has provided inaccurate and misleading information about the levy of ADD on the imports from China PR, Korea RP, and Japan. The duties were levied with effect from 5thJune, 2017 as against January, 2018 as stated in the Application.

xi. The end-user industry cannot pass the duty burden to consumers and is suffering a lot. The levy of duty will lead to closure of a lot of small foaming units. A review mechanism in place is so lengthy and time-consuming and the end-user industry keeps suffering.

xii. Importers/users are from MSME sector which employs hundreds/thousands of workforces and forms a major portion in job creation as far as the organized sector is concerned.

xiii. Covestro India has invested around INR 150 Crore in the production plant of Poly-isocyanateCrosslinkers at Ankleshwar, the raw material for which is TDI. With ADD imposed on imports of TDI from EU, the production plant will become unviable and downstream industry will suffer irreparable injury.

xiv. The sustainability of the company is threatened by Demand Notice of Rs. 15,019.97 crores issued by Department of Telecommunications (DoT).

xv. The price of subject goods is cyclic in nature and the price usually increases during the second half of the Indian financial year. Current price is almost double the price during the POI.

xvi. The Domestic Industry should be directed to provide transaction-wise import data.

xvii. The investigation was initiated on 31stJanuary, 2020 and DGCI&S data uptil December, 2019 would have been available. The data for October to December could have been added. If data for period only uptoSeptember, 2019 was available, the Authority could have considered preceding 12 months as the POI.

xviii. The Domestic Industry has claimed aggravated injury post-POI.Therefore, it is appropriate to extend the POI by six months.

xix. Contractual agreement of R&D of Sadara is a business proprietary arrangement and has been furnished in Exhibit A -7.

xx. Information with respect to shareholders of Sadara is a business proprietary information and cannot be disclosed.

xxi. Sadara has not incurred R&D expense because it has arrangements for 'technology transfer', 'technology license', and 'technical service' arrangements the details of which have been served to the Authority. Sadara has not made any contribution to JMC.

xxii. Research and Development collaboration arrangement with the University of Miskolc has nothing to do with the PUC and therefore,Borsod has not shared.

xxiii. In Guatemala - Definitive Anti-Dumping Measures on Grey Portland Cement from Mexico, Appellate Body allowed extension of the POI on request of interested parties.

xxiv. International prices of Toluene as published in Platts report has been claimed confidential but is available in the public domain. Further, production and capacity are available in public domain but have been claimed confidential.

xxv. In European Communities - Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil, it was held that the POI must be long enough to allow the investigating authority to make dumping determination that is less likely to be subject to market fluctuations.

xxvi. The amendment to the Rules was issued after the initiation of investigation and they will not be applicable to present case.

xxvii. Wanhua International India Pvt. Ltd has not circulated non-confidential version of submissions filed before the Authority.

xxviii. The Domestic Industry's production of the subject good has increased by 21% in the POI, without having installed any additional capacity.

xxix. There has been an unprecedented rise in the wages despite no increase in the number of employees.

xxx. Imports from Saudi Arabia during POI have not increased either in absolute terms or relative to production and consumption in India.

xxxi. The Authority is requested to exclude injury to the Applicant on account of other intrinsic factors.

xxxii. The Authority must segregate and identify injury to the Domestic industry, if any, on account of imports from non-subject countries including Singapore.

xxxiii. There is an inconsistency in comparing the POI of 6 months to periods covering 12 months in the previous financial years.

xxxiv. The information provided by the Applicant shows an estimated volume of imports in the last 6 months of (2019–2020), which cast doubt upon the accuracy of information in the Application.

xxxv. The Applicant cannot claim the increase of imports by comparing 2016-2017 to 2017-2018 because comparing these periods does not reflect, in an objective way, the normal commercial quantities of the Saudi exporter.

xxxvi. Covid crisis has stressed out the MSME sector. Labour, cash flow and slow down are hurting the industry. Therefore, any additional imposition of penalty will be a huge blow to viability of most foaming units.

xxxvii. Injury is not caused by imports from Chinese Taipei as Chinese Taipei constitutes 6.5% of the total imports of TDI into India, and, therefore, much less in the total demand.

F.3 Examination by the Authority

24. Regarding the submission of other interested parties on the selection of the POI of 6 months, the Authority notes that adoption of 6 months as the POI is not inconsistent with the Rules. The Domestic Industry substantiated the need for considering April, 2019 to September, 2019 as the POI. The Authority accepted the same, being satisfied with the reasons given by the Domestic Industry. The Authority considers that 6 months POI in the present case is appropriate as the decline in import prices from subject countries is steep in April-September,2019. The Application in the present case was filed on 27thDecember, 2019 and, therefore, data for the period after September, 2019 was not available at the stage of initiation.

25. The purpose of an antidumping investigation is to examine whether the product has been dumped and whether such dumping has caused material injury to the Domestic Industry. Thus, the Authority notes that the POI chosen for the case is consistent with the legal position at the time of initiation and the practice being followed by the Authority. It is further noted that the Rules have been amended vide Customs Notification no. 9/2020- customs dated 2ndFebruary, 2020 wherein Rule 2(da) and Explanation to Rule 22 have been inserted, incorporating the following provisions:

"The POI shall: -

(i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.

(ii) be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months."

26. It is noted that the above amendment has been carried out after the initiation of the present investigation. Nevertheless, the Authority had duly considered the justification provided by the Applicant for selection of April to September,2019 as POI, as mentioned above.

27. In regard to the contention that the Domestic Industry has annualized the data for the purpose of injury examination and has switched between POI and POI–A for examination, it is seen that the data has been annualized to bring it to same level in order to compare it with previous period of 1 year duration. Further, it is seen that the Applicant has annualized the data only in cases where annualized basis could be different from six months data. The methodology followed by the Applicant is in accordance with the practice followed by the Authority.

28. It is noted that the preliminary ADD were imposed on the imports of subject goods from China PR, Japan and Korea RP on 5thJune, 2017 and final duties were imposed on 23rdJanuary, 2018.

29. The Authority has already addressed in the Preliminary Finding that a 6-month POI is appropriate for the present investigation. As regards the considering data for the period prior to April 2019, the Applicant had provided the data for the period. It is seen that there was no dumping of the subject goods in India and therefore the POI could not have started prior to April, 2019. Further, at the time of initiation of investigation, DGCI&S data upto period December, 2019 was not available as DGCI&S releases the transaction-wise import data after a lapse of 2 months. Even the domestic

industry's performance parameters for period upto December 2020 would have been available after atleast 2 months. The Authority, therefore, could not have added another quarter to the period of investigation. There is sufficient justification for a 6-month POI. However, the other interested parties have not brought forward any new justification/evidence to show that a 6-month POI is not adequate in the present investigation.

30. It has been submitted that the prices of the goods are cyclic in nature and the prices increase in the second half of the year. From the data provided by the applicant, it is seen that the prices of the subject goods continued to decline in the post-POI as well. No evidence has been provided by the interested parties to show that the price movements are cyclic. Further, the Authority has already examined in the Preliminary Findings that the subject goods from the subject countries are at dumped prices.

31. As against the submission that levy of duties will be against the public interest and will affect the users who are from MSME sector, it is noted that the purpose of ADD is not to restrict the entry of imports. The Domestic Industry in the present investigation is suffering due to dumped imports. The duties will only ensure that the dumped goods are at fair and non-injurious prices. Imports from China PR, Japan and Korea RP attract ADD, yet there have been imports from all the three countries. Users are free to import from any other source. The users can seek review of the present ADD under Rule 23 in case there is no justification for continued imposition of the same.

32. The Domestic industry had filed the transaction-wise data with the Authority at the time of initiation of the investigation. The interested parties were free to obtain it in accordance with trade notice 07/2018 dated 15thMarch, 2018.

33. As regards the participation of Indian Polytherane Association in the investigation, the Authority notes from its submissions that Indian Polytherane Association represents the interest of a section of users of the PUC in India and to that extent, the contentions of the Association and its members are considered and addressed.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1 Submissions made by Domestic industry

34. The submissions made by the Domestic Industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. Exports from Germany and Hungary to other EU countries reflect the domestic selling price for the producers in EU and hence can be considered for the purpose of normal value.

ii. Dow Chemical International Private Limited is a company affiliated to Sadara Chemical Company, the sole producer of TDI in Saudi Arabia. Therefore, the price at which the company has exported is unreliable due to association of compensatory arrangements. The export price should, therefore, be constructed considering the price at which the goods have been imported into India and the resale price offered for sale of the product in India. The dumping margin for all the four countries is positive and significant.

iii. The dumping Margin for all the three participating producers is positive. Dumping margin for other two countries as per constructed normal value is also significant and positive.

iv. Covestro has claimed normal value based on domestic market sales and it can be seen that as compared to 2018, sales realization per unit for the external EU sales in the period of

investigation have reduced to 60% but for internal EU sales have fallen only 20%. The Authority is, therefore, requested to investigate the reasons for such a significant price variation of the subject goods.

v. Sales of Sadara in its domestic market during the POI are at losses.

vi. Sadara has not claimed any expense on account of research and development. However, Sadara is a new entrant and should have incurred significant expenditure on R&D. Further, it had associations with research centers. The same should be accounted for in the cost of production for determining normal value.

vii. Sadara has claimed adjustment in cost due to high fixed costs incurred due to outage. Similar outage was also planned by the Sadara in the year 2016 which shows that it is regularly undertaken by Sadara. Power outages are part of ordinary business operations and does not warrant any treatment as extraordinary expense requiring adjustments in the calculation of cost of production

viii. Adjustments made in landed price and net export price of Sadara for the loss incurred by the related importer on sale of the subject goods imported from the parent company is in conformity with the provisions of the Custom Tariff Act.

ix. The fact that purchase price of the related importer is higher than the sale price itself shows that there exists a compensatory arrangement between the exporter and the importer warranting an adjustment, considering the nature of the product and the relationship involved. Neither the exporter nor importer has given any reason for the losses suffered by the related importer.

x. The low cost of production does not justify dumping of the subject goods in the Indian market. Further, dumping is price discrimination in two markets and not cost difference in two markets.

xi. It has been admitted that the price fall is due to global oversupply in the market which is an admission of dumping.

G.2 Submissions made by other interested parties

35. The submissions made by the interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

i. The Applicant has determined normal value by constructing it leading to artificial high value. The approach is inconsistent with Article 5.2 of the Agreement.

ii. The Applicant could have claimed normal value using Saudi's exports to third countries, like it did in case of European Union.

iii. The exports of Covestro to its related importer do not compete with the Domestic Industry, therefore, exports to unrelated customers should be considered for determining injury margin.

iv. There is no compensatory arrangement between the exporter and the importer in case of Sadara. Computation of export price should be re-visited and dumping margin should be computed, without any adjustment in the Export price.

v. Questionnaire responses shall be relied on by the Authority for the purpose of determining dumping margin and injury margin in case of Covestro and Borsod.

vi. WTO Agreement on Anti-dumping and the Rules acknowledge that business entity may be forced to sell goods to unrelated customer at loss (on account of various factors such as high fluctuation in price, condition of competition, demand, and supply, etc.)

vii. The price of TDI imported by DCIPL has been evaluated and confirmed by the Customs Special Valuation Branch ('SVB') as per Customs Valuation Rules. The Authority is under an obligation to accept this data.

viii. Computation of Landed Value by adjusting loss of respondent is contrary to the Office Memorandum No. 4/15/2018-DGTR (Part III) and customs laws of India.

ix. Power outage falls under extraordinary expense, adjustment on account of the same should be allowed by Authority to Sadara. Adjusted cost of production claimed by Sadara is as per questionnaire template and no information has been concealed.

x. M/s Kedzierzyn-Kozle was one of the Borsod subsidiaries but it was spun-off at the end of 2017 and has been unaffiliated to it. Purchases of any inputs used for production of the PUC from related parties during the POI were made by Borsod at market prices and documentary evidence has been furnished for it.

xi. The Applicant has failed to provide credible document to validate any compensatory arrangement between exporter and importer of Sadara or to show the export price is unreliable. The Authority has not undertaken an analysis to validate the existence.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Determination of normal value and export price

36. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

a. comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

b. the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

G.4 Determination of Normal value and Export Price for Subject countries

37. The Authority notes that the following producers of the subject goods have filed exporter's questionnaire response: -

a. M/s BorsodChemZrt, Hungary, European Union

b. M/s Covestro Deutschland AG, Germany, European Union

c. M/s Sadara Chemical Company, Saudi Arabia.

G.4.1 European Union

i. M/s. Covestro Deutschland AG

38. M/s. Covestro Deutschland AG ("Covestro Germany"), is a stock corporation company registered and established under German Company Laws. It is noted from the Exporter's Questionnaire response that Covestro Germany has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its related parties, namely, Covestro International SA (Switzerland), Covestro S.R.L. (Italy) and Covestro, S.L (Spain). It is also noted that Covestro Germany has exported the subject goods to India through its related trading company, M/s. Covestro (Hong Kong) Limited ("Covestro HK"). Covestro HK has sold the subject goods to unrelated Indian Customers, and also to a related importer,M/s. Covestro India Pvt. Ltd, who has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. Covestro Germany, Covestro International SA (Switzerland), Covestro S.R.L. (Italy), Covestro, S.L (Spain), Covestro HK and Covestro India Pvt. Ltd have provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.

Normal Value

39. M/s. Covestro Deutschland AG ("Covestro Germany") has submitted Exporter's Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. The Authority has conducted desk verification of the data submitted by the exporter. During the POI, Covestro Germany has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its related parties, namely, Covestro International SA (Switzerland), Covestro S.R.L. (Italy) and Covestro, S.L (Spain). Covestro Germany has provided details of sales made in the domestic market to unrelated customers, details of sales made in the domestic market to related parties and details of resale price of these related parties to independent customers. It is noted from the response that during the POI, Covestro Germany, has sold *** MT of subject goods having an invoice value of Euros *** in the domestic market directly to unrelated customers and also to its related parties. The cost of sales claimed by Covestro Germany has been verified and accepted for the purpose of findings subject to detailed verification On the basis of cost of sales calculated the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test, which indicates that more than 80% of domestic sales made during the POI were profitable. Accordingly, all domestic sales have been considered for determination of normal value.

40. Covestro Germany has claimed adjustments on account of freight, insurance and credit cost. The Authority has allowed the adjustments as claimed after verification and has accordingly determined the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

41. During the POI, Covestro Germany has exported the subject goods to India through a related trader, namely, M/s. Covestro (Hong Kong) Limited ("Covestro HK"). It is noted from the response that during the POI, Covestro Germany has exported ***MT of subject goods to India having an invoice value of Euros *** through Covestro HK. Covestro HK has sold the subject goods to unrelated Indian Customers and also to a related importer,M/s. Covestro India Pvt. Ltd, who has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. The Authority has examined the sale price of Covestro HK to independent customers and notes that the sale price of Covestro HK covers all the expenses incurred by Covestro HK. For the exports made to M/s. Covestro India Pvt. Ltd, the

Authority has examined the export price on the basis of price at which the imported subject goods were first resold to an independent buyer. It is noted from the response filed by the related Indian importer that it has earned sufficient amount of profits on resale of the imported subject goods during the POI.

42. Covestro Germany has claimed adjustments on account of freight, insurance and credit cost and the same have been allowed by the Authority after verification. Accordingly, the ex-factory export price so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

ii. M/sBorsodChemZrt

43. M/s BorsodChemZrt, Hungary is a private limited company limited by shares. It is a limited liability company established under Hungarian law. The company has filed Exporter's Questionnaire response. It is noted from the response that M/s BorsodChemZrt has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its subsidiary M/s WanhuaBorsodChem Italia S.R.L., Italy. It is also noted that M/s BorsodChemZrt has exported the subject goods to its Indian subsidiary, M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd, who has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. M/s BorsodChemZrt, M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L., Italy and M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd have provided all the relevant information in the prescribed questionnaire formats.

Normal Value

44. M/s BorsodChemZrt has submitted Exporter's Questionnaire response furnishing details of domestic sales and cost of sales of subject goods during the POI. During the POI, M/s BorsodChemZrt, has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market and also through its subsidiary, M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L., Italy. M/s BorsodChemZrt has provided details of sales made in the domestic market to unrelated customers, details of sales made in the domestic market its related party and details of resale price of the related party to independent customers. The cost of sales as claimed by M/s BorsodChemZrt has been verified and the Authority has carried out ordinary course of trade ("OCT") test, which indicates that more than 80% of domestic sales made during the POI were profitable. Accordingly, all domestic sales have been considered for determination of normal value. It is noted from the response that during the POI, M/s BorsodChemZrt, has sold ***MT of subject goods at an average invoice price of Euro ***per MT in the domestic market directly to unrelated customers and also to its subsidiary M/s Wanhua BorsodChem Italia S.R.L.

45. M/s BorsodChemZrt has claimed adjustments on account of insurance, inland transportation, credit cost, packing cost and other related expenses. The Authority has allowed the adjustments as claimed as verified and accordingly determined the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

46. During the POI, M/s BorsodChemZrt has exported the subject goods to its Indian subsidiary, M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd, which has in turn resold the subject goods to unrelated customers in India. M/s BorsodChemZrt and M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd have provided the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, M/s BorsodChemZrt, has exported ***MT of subject goods at an average invoice price of Euro ***per MT to its Indian subsidiary, M/s Wanhua International (India) Pvt Ltd.

47. It is noted from the response filed by the related Indian importer that it has earned sufficient amount of profits on resale of the imported subject goods during the POI. M/s BorsodChemZrt has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, port related expenses, and insurance, credit cost and packing expenses and the same have been allowed by the Authority after desk subject to verification.The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table below.

iii. Non-cooperating producers/exporters

Normal value for all other non-cooperating producers/exporters in EU

48. The normal values for all other non-cooperating producers and exporters of European Union has been determined as per facts available considering the data provided by the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for all other non-cooperating producers/exporters in EU

49. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined as per facts available considering after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

G.4.2 Saudi Arabia

50. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from Saudi Arabia have responded by filing questionnaire response:-

a) M/s Sadara Chemical Company, Kingdom of Saudi Arabia (Producer)

b) M/s. Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. (Exporter)

c) M/s. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (Exporter)

d) Dow Chemical International Private Limited, Dubai Branch (Exporter)

51. In addition to the Sadara and Dow trading entities, related importer of subject goods in India namelyDow Chemical International Private Limited (‘**DCIPL’**) has also filed the importer’s questionnaire response.

52. Accordingly,theAuthorityhasdeterminedthenormalvalue,exportpriceanddumping margin in respect of various producers/exporters of the subject country as follows:-

i. Sadara Chemical Company (“Sadara”), Dow Saudi Arabia Product Marketing B.V. (‘Dow Marketing’), Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (‘Dow Singapore’), Dow Chemical International Private Limited – Dubai Branch (‘DCIPL- Dubai Branch’)

53. It is notedSadara is the producer of subject goods from Saudi Arabia engaged in domestic sales of subject goods as well as exports to India through related entities namely Dow Marketing, Dow Singapore and DCIPL Dubai Branch. Sadara is a limited liability company existing under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia having a commercial registration number (***). The head office of the company is located at Eastern Province at Jubail, Kingdom of Saudi Arabia.

Normal value

54. The subject goods produced by Sadaraare first sold to Dow Marketing, and Dow Marketing invoices the subject goods to Dow Singapore and DCIPL Dubai Branch. Dow Singapore is the trader of subject goods and they have sold the subject goods to DCIPL (related entity in India) as well as directly to unrelated entities/importers. DCIPL Dubai Branch has sold the subject goods directly to unrelated Indian importers.

55. Based on the response filed by Sadara, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market. The cost of sales claimed by M/s Sadara has been accepted for the purpose of findings after desk verification. On the basis of cost of sales claimed, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. Upon examination, the Authority noted that all sales of subject goods in domestic markets during the POI are at loss. Therefore, the Authority constructed the normal value based on cost of production, SGA and profit, and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price

56. It is noted from exports to India, M/s Sadara sells the entire quantity of the subject goods to Dow Marketing. For exports to India, Dow Marketing raises invoice on Dow Singapore for resale to unrelated and related Indian importers. Similarly, Dow Marketing has sold subject goods to unrelated importers through DCIPL Dubai Branch. On an overall basis, ***MT of subject goods is sold to unrelated importers and ***MT of the subject goods is exported to DCIPL (related importer). All these related parties have also filed questionnaire responses.

57. During the POI, Dow Singapore has sold ***MT of subject goods to DCIPL (Indian importer) and *** MT of subject goods to unrelated importer. DCIPL Dubai Branch has sold *** MT of subject goods to unrelated Indian importers.

58. It is noted from the response filed by above mentioned subsidiaries that together, they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e. M/s Sadara through different trading channels as mentioned above. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which includes import prices and SGA of the subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price and net export price. Further for arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of freight, credit cost and other post factory expenses from the invoice price of the producer (Sadara). Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table below.

ii. Non-cooperating producers/exporters

Normal valuefor all other non-cooperating producers/exporters in Saudi Arabia

59. The normal value for all other non-cooperating producer of Saudi Arabia has been determined as per facts available considering the data provided by the co-operating producer and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for all other non-cooperating producers/exporters in Saudi Arabia

60. The export price for all other producers and exporters who have not participated in the present investigation has been determined as per facts available considering after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

G.4.3 Chinese Taipei

Normal value for all producers/exporters in Chinese Taipei

61. None of the producers/exporters from Chinese Taipeihave responded, therefore, normal value has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. In view of absence of publicly available information with regard to selling price of the product in the domestic market in Chinese Taipei, normal value in respect for Chinese Taipei producers has been determined

by constructing cost of production for the Chinese Taipei producers, as per best estimates, duly adjusted with regard to SGA and profit. Based on this, the dumping margin is indicated in the dumping margin table below.

Export Price for all producers/exporters in Chinese Taipei

62. The export price for all producers and exporters has been determined as per facts available after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

G.4.4UAE

Normal value for all producers/exporters in UAE

63. None of the producers/exporters from UAE have responded, therefore, normal value has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) of the AD Rules. In view of the absence of publicly available information with regard to selling price of the product in the domestic market in UAE, normal value in respect of UAE producers has been determined by constructing cost of production for the UAE producers, as per best estimates, duly adjusted with regard to SGA and profit. Based on this, the dumping margin is indicated in the dumping margin table below.

Export Price for all other producers/exporters in UAE

64. The export price for all producers and exporters has been determined as per facts available after allowing due adjustments of expenses and the same has been mentioned in the dumping margin table below.

G.5 Dumping margin

65. Considering the normal value and export price for subject goods, the final dumping margins for the subject goods from subject countries have been determined as follows:

Dumping Margin

Producer	Normal value (USD/MT)	Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
European Union					
BorsodChemZrt	***	***	***	***	**10-20**
Covestro Deutschland AG	***	***	***	***	**0-10**
Any other producer	***	***	***	***	**20-30**
Saudi Arabia					
Sadara Chemical Company	***	***	***	***	**10-20**
Any other producer	***	***	***	***	**20-30**
Chinese Taipei					
All producers/exporters	***	***	***	***	**20-30**
United Arab Emirates					
All producers/exporters	***	***	***	***	**20-30**

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Submissions made by the Domestic Industry

66. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to injury and causal link:

i. Since the conditions of Annexure II (iii) are satisfied, the Authority may consider undertaking cumulative assessment of the imports from the subject countries.

ii. The imports from subject countries have increased in absolute terms as well as in relation to gross imports, production and consumption over the injury period.

iii. The prices of imports from subject countries have declined steeply in the POI.

iv. The subject imports are undercutting the prices of the Domestic Industry. The price undercutting in case of Saudi Arabia should be determined after considering the price adjustment, as the related Indian importer has imported from related Saudi exporter at high price and has suffered financial losses while selling to the unrelated independent buyer.

v. The fall in prices of subject goods have led to fall in prices of Domestic Industry. Thus, the imports are depressing the prices of Domestic Industry.

vi. The production of the Domestic Industry has increased over the injury period however, there are significant idle capacities with the Domestic Industry.

vii. While the production has increased, the Domestic Industry has been forced to export as the domestic sales have reduced.

viii. The profitability of the Domestic Industry has been severely impacted. The industry made significant profits in 2017-18 and thereafter the profits have significantly reduced to an extent that the domestic industry is now suffering losses in the POI.

ix. The cash profits and the return on capital employed of the Domestic Industry have turned negative in the POI.

x. The market share of the domestic industry is still below the level which it could have achieved. Dumping from subject countries has prevented it from increasing its market share.

xi. The average inventory with the Domestic Industry has increased significantly in the POI.

xii. The imports from subject countries have increased by more than 300 times over the injury period.

xiii. There are significant capacities in the subject countries.

xiv. The imports from the subject countries have a depressing effect on the domestic prices and would likely to increase demand for more imports.

xv. The fall in the prices of subject imports is higher than the fall in prices of Toluene.

xvi. The sales volumes of the Domestic Industry increased between 2016-17 and 2018-19 with imposition of ADD. Sales volumes of the Domestic Industry, however, fell once again in the POI because of dumping in the country. In a situation where inventories with the Domestic Industry are rising and sales volumes are falling, a possible fact that export volumes of the Applicant have declined is of little consequence. In any case, export volume of the Applicant has increased over the period. In fact, in period of investigation as compared to preceding

year, whereas export volumes increased by 70%, the domestic sales fell by 7%. Since exports of the Domestic Industry have increased, it is factually without any basis to contend that increase in inventory is attributed to fall in exports.

xvii. The fact that the Authority has in none of its previous findings on the subject goods allowed adjustment owing to time lag, does not imply that there is no merit in the argument raised by the Domestic Industry. As far as the disadvantageous position of importer is concerned, it is for the importer to contend and not for the exporter to argue. At the same time, it is indicative of possible fact that imported product has been sold at a loss. If so, the Applicant requests the Authority to kindly adopt constructed export price for the purpose of determining dumping margin and injury margin in the present case. The price at which material has been sold becomes unreliable because of the fact that the related importer has resold the product at a loss. These prices are no longer in the ordinary course of trade.

xviii. Imports from subject countries increased substantially in the POI and the Domestic Industry could not increase its domestic sales in proportion to the increase in production. Faced with threat of significant piling up of inventories and blockage of working capital, it was forced to undertake exports at un-remunerative prices. Even if exports are to be excluded, it could have produced more as it was operating with an idle capacity.

xix. The Applicant was under no long-term contractual obligations with any foreign consumer to undertake exports. Exports undertaken are only because it is facing difficulties in selling its product in the domestic market at remunerative prices. Losses in export inspite of significant demand in the country is a sign of injury suffered by the Domestic Industry.

xx. The fall in landed price had no nexus with the fall in the price of basic raw material i.e. Toluene as fall in the landed price was significantly higher than the marginal fluctuation in the price of toluene. The downward trend of decline in import price has continued in the post-POI as well, as the average landed price of imports have further declined.

xxi. Depression refers to a situation when the domestic producer is not able to recover the cost because it is forced to keep the prices down in order to compete with the imported goods. The low price of imports may be due to dumping or subsidization or any other factor such as a global fall in prices. In the present case, the import price has declined due to dumping of the subject goods in the domestic market.

xxii. There is no global price as such and price in every market is different. Prices are always between two parties in the same or in two different countries. Further, prices vary with country, region, etc. and such being the case, there is nothing called “global price” of the product.

xxiii. If any adjustment is to be made in normal value determination due to time lag in imports, the same adjustment should be made for determining the price undercutting as well.

xxiv. Difference in technology is not relevant under the law. Only developments in technology are relevant. The respondents have not shown how technology has changed.

xxv. The related importer is selling the subject goods in Indian market at a loss, what the domestic industry is competing with is the price at which related importer is selling to the unrelated party in the Indian market and not the imported price of the subject goods by the related

importer/trader. It is therefore appropriate that the price undercutting is computed by comparing the net selling price of the related importer with that of the domestic industry.

xxvi. Performance of the applicant company has no relevance for the present investigation. The applicant being a multi-product company has provided segregated data on its performance relating to the product under consideration.

xxvii. The other known factors listed under the Rules do not show that the Domestic Industrycould have suffered injury due to them.

xxviii. Injury, if any,on account of exports is the result of dumping caused in the Indian and the global market.

xxix. As regards the submission that the injury is due to high price of raw material and fall in the selling price of subject goods, the very fact that the Applicant was unable to align its selling prices with the increase in raw material prices due to presence of dumped imports, itself shows that the injury has been suffered by the Domestic Industry.

xxx. Plant shut down was a regular maintenance shutdown which is undertaken by all producers. While plant shutdown would result in decline in production and not decline in prices of subject goods.

xxxi. Regarding the operation of TDI Plant at Dahej, the plant is now streamlined and consistently operational for years.

xxxii. The Applicant has not claimed decline in production as a factor of injury and therefore, gas leakage incident could not be considered as the factor for the injury suffered by Domestic Industry. Even otherwise, the Applicant has claimed injury in the POI. The incident reported pertain to a period prior to the POI.

xxxiii. Captive consumption undertaken by the applicant is insignificant as no downstream product is manufactured by the applicant.

xxxiv. The volume of imports from China and Korea RP are significantly below the volume of imports from the subject countries. Further, the landed price of imports from the two countries after adding ADD is higher. As regards imports from Japan, they are insignificant.

xxxv. Claims of the respondents on causal link are based on annual report pertaining to the period 2018-19 and do not pertain to the POI.

xxxvi. The Domestic Industry was forced to reduce the prices in order to sell the subject goods in domestic market. Had the Domestic Industry retained its prices, there would have been a significantly positive undercutting albeit losing significant sales volume.

xxxvii. The argument that the price undercutting is based on import price, without accounting any profit/loss incurred by the related importer, is without legal basis.

xxxviii. Calculation of price underselling is as per consistent practice of the Authority. Further, calculation of price underselling is also prescribed under Para 11.7.17 of the Manual of OP for Trade Remedy Investigations.

xxxix. The Domestic Industry has already filed DGCI&S transaction wise import data vide letter dated 4thFebruary, 2020 in accordance with trade notice no. 7 dated 15thMarch, 2015.

xl. In investigations wherein the Domestic Industry's capacity is below the demand, other interested parties seek redressal on the grounds of demand and supply gap and imports will continue because of insufficient capacities. In the current investigation when the Domestic Industry is operating with a capacity higher than the demand, other interested parties have alleged that it is export orientated.

xli. The production of the Domestic Industry is at par with the demand in the country and it has the capacity to cater the entire demand in the country. Entire dumped imports into India are unwarranted and unnecessary.

H.2 Submissions made by other interested parties

67. The submissions made by the interested parties with regard to injury are as follows:

i. Format IV-I shows a very slight decrease in the imports from countries attracting duty in the year 2017-18 as compared to 2016-17. Therefore, the claim of Domestic Industry that it could not increase its sales because of subject country imports during 2017-18 is not found correct.

ii. Despite ADD imposed which lead to increase in the prices, the Domestic Industry's sales could not substantially increase to replace the market share of those imports.

iii. The single producer in Saudi Arabia started production in 2017 and hence the quantities from Saudi will increase year by year and therefore comparison of imports with year 2016-17 or 2017-18 is not proper.

iv. The import prices into India have fallen from all the sources and not only from the subject countries. The Applicant should have adjusted its prices to the fall in prices globally as done by all the countries. Further, prices of imports from other countries is lower than prices of imports from Saudi Arabia.

v. Contrary to the claimed price suppression, the prices of the subject goods reduced drastically around the globe which is the underlying cause of injury.

vi. The Applicant was making huge profits in the year 2017-18 when the prices of subject goods were highest globally and as the prices decreased globally, the Applicant made losses. This also shows absence of causal link between Applicant's losses and prices of targeted countries.

vii. The Authority in none of its previous findings on subject goods allowed adjustment owing to time lag. Further, the time lag puts the importer in disadvantageous position when the applicants has reduced prices due to reduction in cost.

viii. As against the claims of the Applicant, the production and sales have shown an increase whereas the exports have reduced by 12%. The increase in inventory by 544% is also attributable to fall in exports and not due to increasing imports.

ix. The Applicant's losses are attributable to the global prices of subject goods and Toluene as the Applicant had insufficient reaction to the change.

x. The production and capacity utilization have shown an improvement. There is no justification to demonstrate "sufficient unutilized capacities".

xi. The Applicant had the largest market share which has increased through-out the period. The share is more than double to that of subject country imports.

xii. The other known factors that may have caused injury to the Domestic Industry such as the global subject goods market behavior, global prices decline of subject goods, imports from sources other than subject countries. The Applicant's behavior and reaction in response to subject goods global developments and effect of Indian law on employment, wages, and productivity

xiii. During the POI, the Domestic Industrymade profit before tax of Rs. 154.36 crores on the sale of Rs. 2542.29 crores (6.06%). In the second half of the year the company made a profit before tax of Rs. 270.42 crores on a sale of Rs. 2620.14 cr. (10.3%).

xiv. The Applicant exported from India at low prices owing to the strategic decision of the company. Since its production capacity is above the total demand in India, it is apparent that the main focus of the Applicant is to cater to the export market as against the Indian market.

xv. Determination of Price Undercutting based on the resale price of the importer is not only contrary to law but also impractical and illogical.

xvi. As per ICIS journal, the prices of TDI in India follow the global trend. During the POI, there was a consistent fall in the global prices of TDI.

xvii. There is time lag of 50-60 days between placement of the order and arrival of cargo from EU. Considering prices were continuously declining during the POI, sale price of subject imports from EU were lower than market prices at the time of delivery of such goods into India.

xviii. Economic parameters like production, capacity utilization and domestic sales have all increased. The market share and profits of the Domestic Industry has also increased. PBIT of the company witnessed a steep increase during the year 2017-18 and company reaped super-normal profits in 2017-18. On stabilization of costs and sales realization in 2018-19, the profits further stabilized.

xix. The Authority is only permitted to evaluate the price undercutting based on the import price, without accounting for any profit/loss incurred by the related importer.

xx. The Authority has erred in the Preliminary Findings by including price underselling as a criterion for injury evaluation. Annexure II of the Rules do not call for evaluation of price underselling for determination of injury.

xxi. The Authority is requested to assess the impact of the loss in export sales on the performance of the Domestic Industry.

xxii. A mere increase in imports is not sufficient; there must be material injury caused to the Domestic Industryto due to imports.

xxiii. Injury is due to other factors such as high prices of raw materials and fall in sales price, annual plant shutdown of 27 days and concerns regarding the operation of 50,000 MTPA TDI Plant at Dahej.

xxiv. As per the Rating Rationale published by CRISIL in 2018, it is clear that the production stability and overall operations of the Domestic Industry were impacted due to gas leakage incidents of 2017 and 2018.

xxv. The increase in inventory is attributable to the discontinuation of the captive consumption of TDI.

xxvi. If imports were responsible for decline in profits and losses, there would be some degree of correlation between trend in import price/price undercutting and profitability situation of the Domestic Industry. Price of the Domestic Industry is not being undercut by the import prices.

xxvii. Imports from Korea RP and China PR are high in volume and injury is attributable to them.

xxviii. A decrease in import prices in the POI is a result of seasonal change as price has witnessed sharp fall worldwide. Import prices into India have fallen from all sources and not only from subject countries.

xxix. The Annual Report of the company makes it amply clear that it is suffering because of substantial increase in price of raw materials as well as annual plant shut down for 27 days and not solely on account of the claim made by it in the Application.

xxx. Subject goods are classic global commodity and prices depends on market forces of supply demand and prices of raw materials.

xxxi. The current demand of the country is approximately over 100000 metric tons against which the Domestic Industry is producing hardly about 35000 tons, imports are unavoidable.

xxxii. Panel in China – Cellulose Pulp held that identification of parallel pricing in domestic price and declining prices of the dumped imports cannot alone show that decline in price of the Domestic Industry is effect of imports. Mere claim by the Domestic Industry that its injury is caused by import prices is not sufficient.

xxxiii. If there was price depression or suppression due to dumped imports, there is no rationale to explain the drop in export prices.

xxxiv. TDI being a commodity product in global market, prices are decided by cost and demand-supply gap. When demand is more than supply, price will be pushed up and in case of oversupply in market, caused by overcapacity, it will lead to harsh drop in market price.

xxxv. The Domestic Industry uses common liquid phase phosgenation (LPP) as opposed to gas phase phosgenation (GPP). Compared with processes based on liquids, GPP requires up to 60 percent less energy and 80 percent less solvent. The technology is used in the manufacture of isocyanates, which is a key component of TDI. The two chemicals toluene diamine (TDA) and phosgene react as early as the gaseous state phase, and not in the last process step as liquids, thereby saving costs and making the process more energy efficient.

xxxvi. The Domestic Industry's manufacturing costs are estimated to be 25-35% higher due to the procedure adopted by it and the lack of backward integration and technology factors.

xxxvii. The injury margin cannot be so high when cost of the Domestic Industry witnessed a fall during period of investigation.

xxxviii. The market share of the Domestic Industry has increased during the POI. Potential to have done better is not a relevant injury parameters.

xxxix. It is incorrect to state that subject imports have impacted its ability of sell subject goods in the Indian market. Imports from subject countries have replaced imports from other countries to India.

xl. The Domestic Industry is consistently engaged in export of subject goods. No explanation has been provided by the Domestic Industry to justify its exports at a price below NIP or domestic selling price.

xli. The cost of production of the Domestic Industry has plunged in the POI, while the selling price of the Domestic Industry was higher than the landed price. The Authority is requested to examine how the domestic industry is suffering losses.

xlii. Injury is due to high prices of raw material and fall in sales price, plant shut down, teething issues in 2015, gas leakages etc.

xliii. The Domestic Industry could have increased its prices upto landed price but it chose to export and adopted an aggressive pricing strategy in the international market.

xliv. Domestic Industry is offering at price substantially below import price and has failed to increase its price to the extent of landed value for subject countries.

xlv. As per Annual Report of 2018-19, the Domestic Industry achieved almost 95 % of capacity utilization for subject goods.

xlvi. As per Annual Report of the Domestic Industry, the Domestic Industry has entered into an Annual Rate Contract (ARC) with various parties so that inputs are available on sustainable basis which is the reason for high cost of domestic industry.

xlvii. TDI is a commodity product in global market whose prices are decided by cost and demand/supply factors. Fall in prices of TDI is a global phenomenon and not only the EU market, but also Asian market and more specifically Indian market, are affected by it.

xlviii. The Domestic Industry sells goods to affiliated companies at lower price which resell goods at a higher price.

xlix. Plant-II was underutilized even when there was no alleged dumping of goods from subject countries and appropriate ADD was in place on subject goods from China, Japan, and Korea. Capacity utilization of the plant has always been sub-optimal.

l. Both import price as well as resale price of DCIPL is above net sales realization of the Domestic Industry and there is negative price undercutting. The Authority's examination in the Preliminary Findings is incorrect.

li. The data on price and profitability parameters depict no logical trend and appears to be misrepresented.

lii. The market share of Applicant's market has not had any adverse impact since Domestic industry is currently operating at optimum production capacity and there is no scope for enhancement of production.

liii. Price injury to Domestic Injury cannot be attributed to imports from Saudi Arabia.

liv. The NIP computed for the subject good is not based on the actual price of input material.

lv. The landed value of subject goods from UAE and Saudi Arabia is approximately INR 124.5/kg which cannot be a cause of injury to the Applicant.

lvi. The production of the Domestic Industry is only capable of catering to merely 10-20% of the Domestic Demand, even at 100% capacity utilization. It is insufficient to meet the increasing and substantial demand in the country.

lvii. There is no causal link between the decline in domestic selling price and subject imports. The prices of the TDI have fallen globally and not only in India

lviii. We request the Authority to investigate the effect of global price decline of TDI as well as the volume of other sources for the PUC, when examining the existence of the alleged injury.

lix. There is a substantial increase in the volume of inventory, which does not reflect the positive performance of production and sales.

lx. The information provided by the Applicant shows no negative effect on the Application due to the noticeable increase of trends of the production and capacity utilization during the POI.

lxi. The market share of Applicant shows no decline during the POI.

lxii. The Domestic Industry is not suffering material injury due to subject imports.

lxiii. The Authority is requested to re-examine the price effects of imports of the subject goods on the Domestic Industry.

lxiv. There is no excess capacity in the European Union.

lxv. There is no price suppression or depression caused by the subject imports.

lxvi. There is no threat of material injury to the Domestic Industry with regard to inventory. Any injury caused due to an increasing inventory cannot be attributed to the subject imports rather the same is due to the discontinuation of captive consumption.

lxvii. There is marginal decline in domestic sales of the Domestic Industry due to decline in demand of the subject goods during the POI.

lxviii. The Domestic Industry has not reduced its prices under the pressure of low import prices since the overall price undercutting due to the subject imports is negative.

lxix. The Authority is requested to evaluate the injury on account of imports from subject countries as well as other countries during post-POI.

H.3 Examination by the Authority

68. The Authority has taken note of various submissions made by the interested parties including domestic industry and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

Cumulative assessment

69. Article 3 of WTO agreement and Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, only when it determines that:

i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual

countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and

ii. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

70. The Authority notes that:

i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

71. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates on the domestic industry.

72. Rule 11 of Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the Domestic Industry, *".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effects on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...."*.In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1. Volume Effect of Dumped Imports on Domestic Industry

73. Since the POI is not of 12 months, in order to ensure that the actual/indexed figures are directly comparable with preceding years, the actual/indexed data has been "annualised" and mentioned in these Final Findings. Since the POI in the present case is six months, the figures have been multiplied by 2 to make them comparable to the previous years. For this reason, the indexed figures for the POI actual and annualised show the same figures in these Final Findings.

a. Assessment of Demand / Apparent Consumption

74. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the applicant being the single producer in India and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
Subject countries-Imports	MT	49	1,190	7,235	8,248	16,496
Countries attracting ADD-Imports	MT	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
Other countries-Imports	MT	288	1,473	1,346	333	665
Total demand/Consumption	**MT**	***	***	***	***	***

75. It is seen that the demand for the PUC has increased consistently over the first three years of the injury period with a marginal decline in the POI, as compared to the immediately preceding period. On the whole, the demand has increased during the injury period.

76. The domestic sales of the applicant have increased consistently over the first three years of the injury period with a marginal decline in the POI, as compared to the immediately preceding period, whereas imports from subject countries have increased significantly over the injury period.

b. Import Volumes from the subject countries

77. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analyzed as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Imports from subject Countries	MT	49	1,190	7,235	8,248	16,496
Saudi Arabia	MT	-	240	2,660	2,348	4,696
UAE	MT	9	860	3,168	2,460	4,920
European Union	MT	-	90	685	1,680	3,360
Chinese Taipei	MT	40	-	722	1,760	3,520
Imports from countries attracting ADD	MT	32,568	30,484	24,038	6,861	13,722
Import from Other Countries	MT	288	1,473	1,346	333	665
Total imports	**MT**	**32,905**	**33,147**	**32,619**	**15,442**	**30,883**
Subject countries import in relation to						
Total imports	%	0.15%	3.59%	22.18%	53.41%	53.41%
Production	%	0.10%	2.00%	11.82%	22.32%	22.32%
Demand	%	0.08%	1.77%	9.84%	23.90%	23.90%

78. It is seen that: -

a. The volume of imports from subject countries have increased consistently and significantly in absolute term over the injury period and more sharply in the POI as compared to the increases in previous years.

b. The imports from subject countries have increased consistently and significantly over the injury period in relation to total imports in India, demand in India and production in India.

H.3.2 Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

79. With regard to the effect of the dumped imports on the prices of the domestic industry, it is required to be examined whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the Domestic Industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined through price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the Domestic Industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price Undercutting

80. For the purpose of price undercutting analysis, the net sales realization of the Domestic Industry has been compared with the landed value of imports from each of the subject countries. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject countries work out as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	105	67	67
Subject Countries						
Landed Price	₹/MT	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
Trend	Indexed	100	148	131	76	76
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	(118)	(8)	(8)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	0-10%	(5-15)%	(0-10)%	(0-10)%
Saudi Arabia						
Landed Price	₹/MT	-	2,94,889	2,28,515	1,54,893	1,54,893
Trend	Indexed	-	100	77	53	53
Price undercutting	₹/MT	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	131	132	132
Price undercutting	%	-	***	***	***	***
Price undercutting	Range	-	(0-10)%	(5-15)%	(10-20)%	(10-20)%

UAE						
Landed Price	₹/MT	2,15,495	2,54,276	2,33,833	1,28,473	1,28,473
Trend	Indexed	100	118	109	60	60
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(122)	145	(20)	(20)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	(0-10)%	0-10%	(5-15)%	0-10%	0-10%
European Union						
Landed Price	₹/MT	0	2,20,780	2,50,611	1,11,096	1,11,096
Trend	Indexed	-	100	114	50	50
Price undercutting	₹/MT	-	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	100	(78)	37	37
Price undercutting	%	-	***	***	***	***
Price undercutting	Range	-	20-30%	(10-20)%	15-25%	15-25%
Chinese Taipei						
Landed Price	₹/MT	1,66,934	-	2,00,408	1,35,108	1,35,108
Trend	Indexed	100	-	120	81	81
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-	19	(10)	(10)
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	15-25%		0-10%	(0-10)%	(0-10)%

81. The imports from the subject countries have increased sharply in the POI with a steep fall in the prices. Consequently, the Domestic Industry has been forced to reduce its prices with the decline in landed price. While the price undercutting is marginally negative during the POI on an average basis, it is seen that there is a steep decline in the prices. The domestic industry further contended that in case of Saudi Arabia, being a purchase by an affiliated party in India, the import prices are unduly high and therefore, the price for the Saudi producer/ exporter should be constructed. The issue has been examined. The Authority further notes that the price undercutting is negative from Saudi Arabia due to the fact that exporters from Saudi Arabia export the subject goods to India at a high price and their related party resells the subject goods at a loss to the independent buyer in India. Therefore, the import price recorded in DGCI&S import data is not showcasing the actual prevailing price of Saudi Arabia exporters in the Indian market.

b. Price Suppression and Depression

82. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	101	89	89
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	105	67	67
Landed Value of subject countries as a whole	₹/MT	1,75,853	2,59,934	2,30,132	1,33,871	1,33,871
Trend	Indexed	100	148	131	76	76

83. It is seen that while the landed price of imports from subject countries has been above the cost of sales in the period prior to the POI, it has fallen below the cost of sales in the period of investigation. Further, both the cost of sales and the selling price of the Domestic Industry have declined during the POI as compared to 2016-17. However, the decline in domestic selling price is more than the decrease in cost of sales as the Domestic Industry has been forced to reduce prices due to a larger reduction in landed price of imports than the reduction in the selling price of the Domestic Industry. The imports of the product under consideration were thus depressing the prices of the Domestic Industry in the domestic market.

c. Price Underselling

84. The non-injurious price (NIP) of the product under consideration the Domestic Industry, as determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the period of investigation and based on the principles mentioned in Annexure III of the Rules, has been compared with the landed value of the subject goods from subject countries to arrive at the extent of Price Underselling. The analysis shows that during the period of investigation, the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the Domestic Industry, as can be seen from the table below, demonstrating positive Price Underselling effect:

Particulars	UOM	Saudi Arabia	UAE	EU	Chinese Taipei
Non Injurious Price	₹/MT	***	***	***	***
Landed Price	₹/MT	1,54,893	1,28,473	1,11,096	1,35,108
Price Underselling	₹/MT	***	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***	***
Price Underselling	Range	(10)-0	20-30%	30-40%	10-20%

H.3.3. Economic Parameters of the Domestic Industry

85. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed

below. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

a. Production, Capacity, Capacity utilization and Sale

86. Capacity, production, sales and capacity utilization of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	131	158	158
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	131	158	158
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	128	153	142	142
Export Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	88	75	149

87. It is seen that-

a. The capacity of the Domestic Industry has remained constant over the injury period and is more than the demand in India.

b. The production and capacity utilization increased over the injury period. However, the domestic industry is still left with idle capacity despite having a demand in India.

c. The domestic sales of the industry increased up to 2018-19 but have marginally declined in the POI.

b. Market Share

88. The market share of the Domestic Industry over the injury period is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Domestic Industry	%	44.85	50.81	55.65	55.25	55.25
Trend	Indexed	100	113	124	123	123
Subject countries-Imports	%	0.08	1.76	9.83	23.89	23.89
Trend	Indexed	100	2150	11,978	29,105	29,105
Countries attracting ADD-Imports	%	54.57	45.23	32.67	19.88	19.88
Trend	Indexed	100	83	60	36	36
Other countries-Imports	%	0.48	2.18	1.82	0.96	0.96
Trend	Indexed	100	454	380	200	200

89. It is seen that ADD were levied against the imports from China PR, Japan and Korea RP in 2017 as a result of which the market share of the Domestic Industry increased till 2018-19. With the increasing imports from the subject countries, the market share of domestic industry has marginally declined in the POI. On the other hand, the share of subject countries in demand increased significantly during the injury period from 0% in 2016-17 to 24% during the POI.

c. Profitability, return on investment and cash profits

90. Profitability, return on investment and cash profits of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	101	89	89
Selling price	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	105	67	67
Profit/(Loss) before tax	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	371	121	(24)	(24)
Profit/(Loss) before tax	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	474	185	(34)	(34)
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	420	184	(7)	(7)
Profit before interest	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	323	119	(11)	(22)
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	278	87	(20)	(20)

91. It is seen that-

a. The profit per unit of the Domestic Industry increased in the year 2017-18 with the imposition of ADD against the imports of other countries.

b. The subsequent year 2018-19 saw a sharp fall in the profits of the Domestic Industry as the prices of the domestic industry fell sharply due to the sharp increase in imports from the subject countries at lower prices. The Domestic Industry faced a sharp fall in prices, in spite of increase in the cost. Resultantly, the cash profits and the return on investment declined.

c. In the POI, the landed price of the imports from subject countries has fallen below the cost of sales the Domestic Industry. As a result, the Domestic Industry has been forced to sell at a price which could not even cover its cost. Resultantly, the domestic industry has suffered financial losses. Consequently, the Domestic Industry has recorded cash losses and a negative return on investment.

d. Employment, Wages and Productivity

92. Employment, wages, and productivity of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
No of Employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	102	101	101
Wages	RsLacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	159	155	155
Wages per unit	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	90	121	98	98
Productivity	MT/day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	131	158	158

93. It is seen that number of employees and salary & wages of the Domestic Industry have increased over the injury period with marginal decline in POI as compared to the immediately preceding period. The productivity per day has also improved during POI.

e. Inventories

94. The inventory position with the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualised
Opening Stock	MT	***	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	309	544	544

95. It is seen that the average inventories with the Domestic Industry have increased significantly over the injury period. The production of the Domestic Industry increased; but it has not been able to sell in the market.

f. Growth

96. The growth in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per below table:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI	
				Actual	Annualized
Production	Y/Y	27%	3%	21%	21%
Capacity Utilization	Y/Y	27%	3%	21%	21%
Domestic Sales Volume	Y/Y	28%	20%	-7%	-7%
Profit/(Loss) per unit	Y/Y	271%	-67%	-120%	-120%
Average Inventory	Y/Y	10%	181%	76%	76%

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI	
				Actual	Annualized
Market Share	Y/Y	13%	10%	-1%	-1%
Profit/(Loss) before tax	Y/Y	374%	-61%	-118%	-118%
Cash Profit	Y/Y	320%	-56%	-104%	-104%
PBIT	Y/Y	223%	-63%	-118%	-118%
ROI	Y/Y	178%	-69%	-123%	-123%

97. It is seen that the growth of the Domestic Industry in terms of production and capacity utilization was positive whereas growth in domestic sales volume, market share, inventories, profits, cash profits and return on investment was adverse and/or negative in the POI.

g. Ability to Raise Capital Investment

98. The Domestic Industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected the ability to raise capital investment. However, it is seen that the domestic industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the concerned product alone.

h. Factors affecting domestic prices

99. The import prices are directly affecting the prices of the Domestic Industry in the domestic market. It is noted that the landed prices of the subject goods from subject countries are below the NIP of the Domestic Industry. Further the landed prices of subject imports have depressed the prices of the Domestic Industry leading to financial losses to it. The imports of subject goods from third countries not attracting ADD are negligible in volumes and not injuring to the Domestic Industry. The demand for the PUC is sufficient in the country and the Domestic Industry has enough capacity to meet the demand in the country and cannot be the reason of caused injury to the Domestic Industry. In view thereof, it can be concluded that the principal factor impacting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

100. With regard to the claim that there is only a very slight decline in the imports from other countries and no substantial increase in the domestic sales after the duties were imposed, it is noted that the purpose of the anti-dumping duty is not to restrict the entry of imports but to correct the unfair practice of dumping and bring the prices to a fair level. However, it is seen that the imports from the countries attracting ADD have declined sharply in absolute terms as well as in relation to production and consumption after the imposition of ADD. Further, it is also noted that the sales volume of the domestic industry had in fact increased post the imposition in 2017 of the duties against China, Korea RP and Japan and have declined only in the POI with the increase in imports from subject countries.

101. It has been claimed that the imports from Saudi Arabia have increased as the producer started production in 2017. It is noted that the imports from Saudi Arabia are above the de-minimis limits in POI as prescribed under para (iii) of Annexure II of the Rules. Therefore, the effect of the imports is to be cumulatively assessed by the Authority.

102. It is further seen that the landed price of imports from the subject countries is much below the landed price of imports from other countries after adding the imposed ADD, wherever applicable.

Therefore, the contention raised by the interested parties that the import prices into India have reduced from all the sources and not only from subject countries is factually incorrect. Further as regards the prices of Saudi Arabia alone is concerned, the landed prices of Saudi Arabia are lower than the prices of other countries attracting ADD if the high prices through affiliated entities of Saudi Arabia and India are adjusted adequately.

103. With regard to the claim of the interested parties that the Domestic Industry was earlier making profits and is now suffering losses shows absence of causal link, it is noted that the import prices have actually declined in the POI which has depressed the prices of the Domestic Industry. The Domestic Industry was earning profits in the earlier years and because of price depression has gone down into losses.

104. With regard to the issue of adjustment owing to time lag, the Authority as a matter of consistent practice has not allowed any adjustment for such time lag in the import prices.

105. As against the claim that production and sales have increased and exports have declined which has led to increase in the inventories, it is noted that the domestic sales of the applicant have declined and the export sales at unremunerative prices have increased in the POI.

106. With regard to the claim that the Applicant's loss is attributable to the global prices of the subject goods, it has been noted that the fall in the import price has forced the domestic industry to reduce its prices. The Domestic Industry has been unable to align its prices adequately to the movements in prices of raw materials because of low priced imports from the subject countries which have resulted in losses. Therefore, the claimed injury is attributable to the imports from subject countries in India.

107. In regard to the claim that the Applicant has the highest market share, it is noted that the market share of the domestic industry has increased only by 9% in POI as compared to 2017-18, whereas the share of the subject countries imports has increased by 1253% in POI as compared to 2017-18. It is also noted that the domestic industry has the capacity to cater 100% of the demand of the subject goods in India but currently has only 55% share and operating with idle capacities.

108. The Authority has taken a note of the performance of the Domestic Industry in the export market. Due to its inability to sell at remunerative prices in the domestic market, the domestic industry undertook export sales at unremunerative prices. The interested parties have argued that it was a strategy of the domestic industry to export. It is seen that the domestic industry's production capacity is higher than the demand in India. Merely because its capacity is higher than the demand in India, it does not establish that the producer is export-oriented and would strategize to export. Even if the argument is considered, the Domestic Industry could have produced and sold more as it was operating with idle capacities. It is noted that the export performance of the Domestic Industry has no bearing on the performance of the Domestic Industry in the domestic market. On the contrary, the presence of dumped imports forced the Domestic Industry to export at losses.

109. As regards the submission that the Domestic Industry could have increased its prices as there was negative price undercutting, it is seen that the Domestic Industry was forced to export as its prices in the domestic market were depressed. The Domestic Industry was not in a position to increase its domestic sales even at the suboptimal price and it was forced to export the subject goods at a lower price. Had the Domestic Industry ventured to divert all its exports to domestic market, it would have incurred a higher loss as it had to decrease its selling price further in order to sell in the domestic market the additional volume diverted from exports.

110. As regards the imports from Chinese Taipei, Authority has undertaken cumulative analysis as laid down under Annexure II of the Rules. It is noted that imports from Chinese Taipei are above de-minimis level and are at dumped prices. Such being the case, there is no merit in the argument that the imports are not significant in volume.

111. The Authority notes that the Domestic Industry competes with the prices at which the related importer sold the subject goods in the Indian market and not with the price at which the product was imported from the related exporter. Therefore, it will be appropriate to compare the net selling price of the related importer with that of the net selling price of the domestic industry instead of the landed price of imports. The above is in consonance with the practice adopted by the Authority in similarly placed cases.

112. The submissions made by the other interested parties on other factors of injury of the domestic industry pertain to a period which is prior to the POI. Therefore, the reasons given by the interested parties would not have had any impact on the performance of the domestic industry in the POI. The Authority has examined all the relevant factors laid down in the Rules to examine whether any factor other than dumped imports has impacted the performance of the Domestic Industry.

113. As regards the submission on correlation between trend in import price/price undercutting and profitability situation of Domestic Industry, it is noted that while price undercutting is a function of net selling price of the Domestic Industry and the import price, the profits are a function of net selling price of the domestic industry and cost of sales. In an event where the prices of the domestic industry are either suppressed or depressed, it is not necessary that the price undercutting and profits of the domestic industry would move in same trend. In the present case, the Authority has already examined that the landed price of imports has depressed prices of the Domestic Industry.

114. As regards the submission that the Domestic Industry's costs are higher than the cost of Covestro due to lack of backward integration and technology factors, it is noted that it is a well settled stand of the Authority that the domestic industry is required to be seen as it exists and not operating under ideal conditions (*Nippon Zeon Co. Ltd. v. Designated Authority, 1997(96) ELT 126(Tri)*. It has been stated by the Domestic Industry that its technology is at par with that of other producers globally. In any case, the Authority has found positive dumping margin in respect of exports by Covestro.

115. It has been submitted that the fall in price of subject goods in POI is seasonal and due to global price fall, the Authority has noted that the dumping margins in respect of goods imported from all the subject countries were positive. Global prices have no bearing on whether an exporter has dumped its product or not. If the exporter has exported its product at a price lower than the normal value, as per antidumping law, it will be regarded that the concerned exporter has dumped the goods and thereby liable for imposition of ADD. While the import price may have declined in the global market, there is no justification for dumping the subject goods in the Indian domestic market.

116. As regards the submission on calculation of price underselling being not a parameter under Annexure II to evaluate injury, the Authority notes that calculation of price underselling is undertaken to evaluate if the landed price of imports is below the non-injurious price of the Domestic Industry.

117. It has been contended that market share of the domestic industry has increased and the possibility that the domestic industry could have had a higher share is not a parameter under the Rules. Under the rules, the Authority is required to consider all the factors that have actual or potential effect on the parameters of the domestic industry. It is noted that with the imposition of anti-dumping duty on

the imports of China PR, Japan and Korea RP, the market share of the imports declined and that of domestic industry increased. Considering the demand and supply situation in India, the domestic industry has the capacity to cater the entire demand in India. However, with the increase in imports of subject countries, domestic industry was not able to increase the market share in the period of investigation despite holding significant capacities and production. The fact that the domestic industry's market share is low is established considering the consumption in India, and production of the domestic industry in the POI.

118. As regards alleged higher cost of domestic industry due to agreements with technology supplier, the Authority has considered the cost of the domestic industry on the basis of books of account maintained by the company. The other interested party have not brought forward any verifiable evidence to show how the cost claimed by the domestic industry is higher. From the data provided by the domestic industry it is seen that the global prices of raw material have not changed significantly. Therefore, there is no merit in the argument. Under the AD Rules, Authority is required to consider the domestic industry as it exists and examine whether the performance of the Domestic Industry deteriorated over the injury period.

i. Injury margin for cooperative producers/exporters

119. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP of the Domestic Industry has been worked out and it has been compared with the landed price (LP) from each of the subject countries for calculating injury margin (IM). In line with the determination of dumping margins, the injury margin has also been determined for the related companies together taking them as one entity.

120. As mentioned in the dumping margin analysis in this Findings, it is noted from the response filed by producer from Saudi Arabia and their related Indian subsidiary that they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company through different trading channels. As their sales price of subject goods are lower than their cost to the importer which included import prices and SGA of the Indian subsidiary, suitable adjustment has been made from their landed price.

Country	Producer	NIP (US$/ MT)	Landed price (US$/MT	Injury margin (US$/MT	Injury margin (%)	Injury margin (Range)
European Union	M/s BorsodChem Zrt	***	***	***	***	20-30
	M/s Covestro Deutschland AG	***	***	***	***	20-30
	All Other producers/exporters	***	***	***	***	20-30
Saudi Arabia	M/s. Sadara Chemical Company	***	***	***	***	10-20
	All Other producers/exporters	***	***	***	***	10-20
Chinese Taipei	All producers/exporters	***	***	***	***	10-20
UAE	All producers/exporters	***	***	***	***	20-30

j. Conclusions on Injury

121. On the basis of the above, the following conclusions have been made:

a. The subject imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.

b. There is a steep decline in the import prices. The landed prices of the subject imports are below the cost of sales of the domestic industry in the POI. While price undercutting is marginally negative, the Domestic Industry has been forced to reduce prices due to decline in landed price of imports. The Domestic Industry is the sole producer of the product in India.

c. The imports from the subject countries have forced the Domestic Industry to reduce its prices much below the cost of sales. Thus, the imports have had an effect of price depression on the Domestic Industry.

d. While the production and capacity utilization of the Domestic Industry have increased, the domestic sales of the domestic industry have declined.

e. The market share of the domestic industry could have been much higher considering that it has the capacity to cater the entire demand in India.

f. Despite selling the product at losses, the Domestic Industry is left with significant inventories.

g. Profitability of the domestic industry has declined significantly, and it has suffered financial losses in the POI. Further, the Domestic Industry is facing cash losses and negative return on investment in the period of investigation.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

122. The Authority is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the above said factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries

123. Imports from the subject countries and China, Korea and Japan are above de-minimus limit. The imports from China, Korea RP and Japan are already attracting anti-dumping duty. Thus, it cannot be said that imports from other/ remaining countries accounting for merely 2.15% of the total imports are causing injury.

b. Contraction in Demand

124. It is seen that the demand of the subject goods has increased over the injury period with marginal decline in the POI as compared to the immediately preceding year. However, the volume of imports from the subject countries has increased significantly in the period of investigation as compared to the base year as well as the immediately preceding year. As a result of this, the imports from the subject countries have taken up substantial market share throughout the injury period whereas that of the Domestic Industry has declined slightly during the POI as compared to the immediately

preceding year, as the domestic sales of the domestic industry have reduced in the POI as compared to the immediately preceding year. Therefore, the decrease in the domestic sales of the Domestic Industry may be attributed to the increase in the imports from the subject countries and not to a minor fall in demand. Therefore, the decline in demand cannot be the reason of causing injury to the Domestic Industry.

c. Changes in the pattern of consumption

125. No interested party has produced any evidence relating to any known material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the Domestic Industry.

d. Trade restrictive practices

126. No interested party has produced any evidence relating to any known trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry. Hence, trade restrictive practices have not caused injury to the Domestic Industry.

e. Development in technology

127. No evidence has been brought before to the Authority by any interested party concerning any known and material changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. Hence, development in technology has not caused injury to the domestic industry.

f. Export performance of domestic industry

128. The Domestic Industry has claimed that it was unable to sell its production in the market due to the falling import prices from the subject countries and therefore it had to rely on exports to prevent inventory pile up. It has been further claimed by the domestic industry that the fact that the exports were made at prices lower than cost during the POI is in itself a reflection of the effects of injury being caused due to the dumped imports. The Authority notes that the export sales of the domestic industry have increased substantially over the injury period. However, it is noted that the export prices of the domestic industry are much below the prices at which the domestic industry has sold in the domestic market which substantiates its claim of distress sale. While the Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be, for the purpose of injury analysis of the Domestic Industry, the fact that the Domestic Industry was forced to export at significantly low and unremunerative prices is a reflection of the injury caused to the domestic industry due to the dumped imports. Possible decline in profits on export sales could not have caused impact on the domestic profitability of the domestic industry, as the Authority has considered injury data for the domestic operations separately for the injury analysis.

g. Performance of other products of domestic industry

129. The domestic industry has provided the data for the product under consideration performance and the same has been adopted by the Authority after due verification for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicants is not a possible cause of the injury to the Domestic Industry.

h. Productivity of the domestic industry

130. The Domestic Industry has provided the data relating to their productivity. It is seen that the productivity per day has consistently and significantly improved over the injury period including the POI. Therefore, productivity of the Domestic Industry is not a possible cause of the injury to the Domestic Industry.

J. CONCLUSION ON INJURY & CAUSAL LINK

131. The Authority notes as under:

a. Imports of the subject goods from subject countries are entering India at a price lower than its associated normal value, resulting in dumping.

b. Dumped imports have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption during the injury period including the period of investigation.

c. There was rapid decline in the import prices during the POI. Further, imports of the subject goods are entering at prices much below the cost of sales of the domestic industry which has forced the domestic industry to reduce its prices even below its cost of sales. The subject imports are thus depressing the prices of the domestic industry.

d. The landed price of the imports is lower than the non-injurious price of the domestic industry and is resulting in positive price underselling.

e. The domestic industry has sufficient capacity to meet the entire demand and it is operating with idle capacities.

f. Dumping margin is above de-minimis and positive.

g. Because of the increasing dumped imports from the subject countries, the domestic industry has not been able to sell its entire production in the domestic market. The domestic industry has been instead forced to make distress export sales during the POI at prices much below its cost of sales and its domestic prices. Despite making forced export sales, the domestic industry has piled up significant inventories.

h. Performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of profits, cash profits and return on capital employed as a result of price depression, to such an extent that the domestic industry suffered financial losses, cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Views of the Domestic Industry

132. The Domestic Industry made the following submissions:

a. The Indian industry is Atmanirbhar industry and sole producer can cater entire demand in the country.

b. The domestic industry has been suffering with losses, user industry is merrily enjoying at the expense of the domestic industry.

c. Profit as a % of revenue of the users has increased over the years even after anti-dumping duties were imposed on the imports of TDI from China PR, Japan and Korea RP.

d. Participating users have not been able to show the adverse impact of anti-dumping duty.

e. Anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of addressing unfair pricing and establishing a level playing field.

f. Anti-dumping duties are already imposed on the imports of subject goods from China, Korea RP and Japan and volume of imports from the three countries are still significant. This shows that imports will continue to enter even after imposition of duties.

g. There is situation of oversupply in the global market and the imports will continue to happen at adverse prices causing injury to the domestic industry.

h. Public interest does not limit itself to the consumer industry alone and is in fact a much wider term which covers in its ambit the domestic industry as well.

K.2 Views of Other Interested Parties

133. The other interested parties made the following submissions:

a. Dow and Sadara request the Authority to determine the dumping margin and injury margin based on the information submitted by them in the final determination.

b. The Authority is requested to revise the Landed Value for computation of injury margin and consequent rate of duty, if any. Sadara and Dow entities have filed the questionnaire response and furnished data concerning export and import. In the questionnaire response of the related importer, DCIPL had inadvertently reported freight and insurance for import transactions which was already included in the related exporter's questionnaire response. DCIPL has rectified the error and requests the Authority to re-evaluate the landed value.

c. POI of six months leads to a skewed picture of dumping and injury analysis.

d. There is improvement in relevant economic parameters of the Domestic Industry.

e. Injury, if any, is attributable to factors other than subject imports.

f. The Authority undertook a desk verification in the present investigation due to the inability of the Case officers to travel internationally, owing to the Covid-19 travel restrictions. However, as per the established practice and procedure of the DGTR, no verification agenda was ever issued for the conduct of desk verification.

g. The Domestic Industry is not suffering material injury due to the subject imports. The volume of imports from the EU are negligible in relation to total demand in India.

h. Prices have declined in response to global market price fall.

i. The argument raised by the Respondents regarding lack of backward integration by the Domestic Industry has not been appreciated in correct manner in the Disclosure Statement. The argument does not aim towards adjustment of NIP determined for the Domestic Industry. The same is required to be determined in terms of Annexure III of the Rules. However, the fact that costs incurred by the Domestic Industry are higher becomes relevant for non-attribution analysis. It is our submission that the high cost of production is the actual cause of injury and consequent losses to the Domestic Industry.

j. The imposition of ADD will not be in public interest.

k. Trends in imports, both in absolute and relative terms, can only be assessed using actual data, given cyclical and seasonal trends and changes in production and consumption patterns. The Authority contends that interested parties are obligated to demonstrate the existence of cyclical or seasonal conditions of competition. GAFT respectfully disagrees. An objective investigating authority that decides to make a determination based on estimated data rather than actual data is required to demonstrate the lack of distortion.

l. The Authority's entire affirmative injury decision is based on a partial-year six-month estimate of the domestic producer's profitability allocated to a single product, which is then "annualized" to

further distort the result. The Authority cannot sustain an objective, unbiased injury determination effectively based solely on such distorted estimates of profitability for a domestic monopoly

m. GAFT does not find sufficient explanations in the Disclosure by the DGTR, justifying its decision not to consider GAFT's concerns about inconsistency embedded in the examination of facts and law in this investigation.

n. No anti-dumping measures can be imposed without conducting an objective examination to find a causal link between the alleged dumped imports and the alleged injury.

o. GAFT does not agree with the Authority disregarding the behavior of the Domestic Industry throughout the POI and towards the factors that affect TDI domestic market other than the subject imports.

p. The Authority's conclusion regarding a direct link between low prices and dumping is not accurate.

q. It appears that Domestic Industry applied for a levy of ADD based on low prices, realising that the prices and profitability was improving in the second half. We request the Authority to extend the POI to twelve months and revisit the dumping and injury determination.

r. The Authority is requested to conclude that 'GNFC has exported the subject goods at the unremunerative price on account of export obligation and therefore decline in the economic performance of the domestic injury is self-inflicted and not attributable to subject imports.

s. Dow and Sadara submit that the Landed Value as per the information provided and using the methodology as disclosed by the Authority (even after deduction of loss) should be USD ***/MT.

t. Sadara and Dow have not received any work from the Authority in the form of a detailed working of normal value and net export price. Relevant figure and methodology adopted for computation of ex-factory export price and normal value as adopted in the Disclosure Statement must be provided and the methodology used must be disclosed.

u. It is submitted that only the direct sales of Covestro HK to unrelated customers in India and the re-sale quantities of Covestro India to unrelated customers in India compete with the domestic industry and only such quantities must be used for computation of dumping and injury margins.

v. The share of imports from the EU in relation to total demand in India have been consistently lower throughout the injury period. Though there was a slight increase in the share during the POI, however, it is still below 5%. Such a miniscule share cannot cause any injury to the domestic industry which commands more than 50% market share.

w. Reduction in prices by the domestic industry due to global price fall cannot be attributed to the subject imports from the EU.

x. The levy of any ADD at this time when the price of subject goods are high. As it is, the end user industry is suffering badly due to COVID -19. Any levy of ADD will not be in public interest.

y. Pricing data cannot be compared on an absolute basis or relative to costs when the data is annualized.

z. Authority has not provided any basis on which it found no dumping before April 2019 without conducting the investigation

aa. The Domestic Industry's allegation are not based on sufficient grounds which demonstrate injury caused by dumping and cannot constitute a proper basis for levy of definitive anti-dumping measures. The Disclosure provides no objective examination to elaborate the causal link between the subject imports and injury caused by the DI.

bb. The Authority should use comparable periods representing actual and verifiable data to reach objective conclusions.

K.3 Examination by the Authority

134. It is seen that that most of the submissions made by the interested parties on the disclosure statement are mere reiteration of their earlier submissions. Authority has already examined the submissions made by other interested parties at the time of issuance of the disclosure statement. The views expressed by the interested parties now which are mere repetition of the submissions made before are not being reproduced below. Following new submissions have been made by domestic industry and interested parties on the disclosure statement issued by the Authority.

135. The other interested parties have claimed that considering annualized period of investigation has led to a distorted picture. The data has been annualized only to ensure that the figures are directly comparable with the figures of the preceding year. In any case, the Authority has both actual and indexed figures for the relevant period.

136. It has been claimed that the Authority did not provide a detailed working of export price and normal value. It is noted that computation of normal value is already explained in the appropriate paragraphs of this findings. The Authority has disclosed the working as per the consistent practice to cooperating producers and exporters who submitted the information on confidential basis.

137. With regard to submissions of cooperating producer and exporter about their request for redetermination of landed value, the Authority has examined the claims of Sadara concerning the landed value of subject imports. It is noted that DCIPL imported the subject goods from the related entity Dow Singapore at CIF terms and inadvertently included freight and insurance in the importer's questionnaire response as well. This has been examined and evaluated by the Authority. For the computation of Landed Value, the Authority has revisited the data filed by Dow entities and rectified the landed value accordingly.

138. On the submission that Authority has not provided the basis on which it arrived at a conclusion that there was no dumping prior to April 2019, it is noted that information with respect to dumping upto period March 2019 was provided by the applicant which was shared with the other interested parties. It is also noted that the other interested parties have not provided any evidence showing that a period other than 6-month period of investigation would have depicted a different picture. Reason for considering a 6-month period of investigation has been appropriately explained by the Authority in the disclosure statement.

139. As regards arguments on injury it is noted that the Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments in the submissions. All parameters of injury need not show deterioration. While some parameter may show deterioration, some may show improvement. The Designated Authority has considered all injury parameters and thereafter concluded whether the domestic industry has suffered injury or not. The overall position of the domestic industry has been evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

140. It has been claimed that Authority has erroneously attributed injury to the domestic industry on account of exports of the subject goods. It is noted that the Authority has considered the relevant injury parameters only for the domestic operations of the industry. It is however noted that the domestic industry need not have increased their exports at such losses only due to EPCG obligations, considering that a company has much longer period available to fulfill its export obligations.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

141. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.

142. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

143. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority notes the following.

a. The product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices.

b. There is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in absolute terms as well as in relation to its production and consumption in India, during the period of investigation as compared to the previous year.

c. The domestic industry has suffered material injury.

d. Material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.

144. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. After conducting the investigation into dumping, injury and causal link as per the information/ data submitted by the interested parties and in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of ADD is necessary to offset dumping and consequent injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries.

145. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1)(b) of the Rules, the Authority recommends impositions of anti-dumping duty equal to lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of antidumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No.43/2020-Customs dated 2nd December, 2020. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5)

years from the date of imposition of provisional duties, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from the subject countries.

146. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29291020*	"Toluene Di-Isocyanate (TDI) having isomer content in the ratio of 80:20".	EU	Any Country including EU	Covestro Deutschland AG	221.04	MT	US$
2	-do-	-do-	EU	Any Country including EU	BorsodChem Zrt	102.05	MT	US$
3	-do-	-do-	EU	Any Country including EU	Any other producer other than S.No. 1 & 2 above	264.96	MT	US$
4	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	EU	Any	264.96	MT	US$
5	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any Country including Saudi Arabia	Sadara Chemical Company	217.55	MT	US$
6	-do-	-do-	Saudi Arabia	Any Country including Saudi Arabia	Any other producer other than S.No. 5 above	344.33	MT	US$
7	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	Saudi Arabia	Any	344.33	MT	US$
8	-do-	-do-	Chinese Taipei	Any Country including Chinese Taipei	Any	274.39	MT	US$
9	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	Chinese Taipei	Any	274.39	MT	US$
10	-do-	-do-	UAE	Any Country including UAE	Any	368.20	MT	US$
11	-do-	-do-	Any Country other than countries attracting ADD	UAE	Any	368.20	MT	US$

*The customs classification is only indicative.

147. Subject to the above, the Preliminary Findings notified on 4th September, 2020 is hereby confirmed.

N. FURTHER PROCEDURE

148. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.01.28 23:13:58 +05'30'